रजिस्ट्री सं० डी—(डी)—73

REGISTERED NO. D—(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 5, 1980 (चैत्र 16, 1902)

No. 14] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 5, 1980 (CHAITRA 16, 1902)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

PART III—SECTION 1

उच्च न्यायालयों, नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 10 मार्च 1980

सं० ए० 32014/1/80-प्रशा० II—अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा स्थायी अधीक्षक (हॉल) श्री एम० एल० धवन को 1-3-19 से 31-5-1980 तक की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में उप नियंत्रक (त० सं०) के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 11 मार्च 1980

सं० ए० 32014/2/80-प्रशा० II—अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में निम्नलिखित अधीक्षकों (हालरिथ) को 1-3-1980 से 31-5-1980 तक की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, आयोग के कार्यालय में सहायक नियंत्रक (त० सं०) के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है :—

1. श्री जे० एल० कपूर
2. कुमारी संतोष हांडा

सं० ए० 35014/1/80-प्रशा० II—अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संघ लोक सेवा आयोग में के० स० से० संवर्ग के स्थायी अनुभाग अधिकारी श्री एम० एस० छाबड़ा को 1-3-80 से 31-5-1980 तक की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, वरिष्ठ विश्लेषक के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

2. श्री एम० एस० छाबड़ा, वरिष्ठ विश्लेषक संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर होंगे और उनका वेतन वित्त मंत्रालय के समय समय पर यथा संशोधित का० ज्ञा० सं० एफ० 10(24)—ई० III/60 दिनांक 4-6-1961 में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार विनियमित होगा।

एस० बालचन्द्रन,
अवर सचिव
कृते अध्यक्ष
संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 6 मार्च 1980

सं० ए० 12019/1/80-प्रशा० II—इस कार्यालय के निम्नलिखित स्थायी अनसंधान सहायकों (हिन्दी) को, सचिव

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1-3-1980 से 31-8-1980 तक की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (हिन्दी) के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

1. श्रीमती सुधा भार्गव
2. श्री चन्द किरण
3. श्री जे० एन० एस० त्यागी।

एस० बालचन्द्रन,
अवर सचिव,
कृते सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 25 फरवरी 1980

सं० ए० 12025 (ii)/1/78-प्रशा० III—कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के का० ज्ञा० सं० 5/77/79—सी० एस० (1) दिनांक 21-12-79 के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा इस कार्यालय की अधिसूचना सं० ए० 32014/1/79–प्रशा० III दिनांक 18 दिसम्बर, 1979 द्वारा संघ लोक सेवा आयोग में के० स० से० संवर्ग के स्थायी सहायक तथा तदर्थ आधार पर स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी श्री पी० एस० राणा को 21-12-1979 से आगामी आदेशों तक उक्त संवर्ग की उसी सेवा में अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

सं० ए० 12025 (ii)/1/78–प्रशा० III—कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के का० ज्ञा० सं० 5/77/79–सी० एस० (I) दिनांक 21-12-79 के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग में के० स० से० संवर्ग के स्थायी सहायक श्री जीत राम को 21-12-79 से आगामी आदेशों तक उक्त संवर्ग की उसी सेवा में अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

एस० बालचन्द्रन,
अवर सचिव,
प्रशासन प्रभारी
संघ लोक सेवा आयोग

Division
Acc. No.
Date 3 OCT 19

नई दिल्ली-1100[illegible] 29 फरवरी 1980

सं० ए० 32013/4/79–प्रशा० I—संघ लोक सेवा आयोग की अधिसूचना सं० ए० 32013/1/79–प्रशा० I (i) दिनांक 14-1-80 और सं० ए० 32013/4/79–प्रशा० I दिनांक 1-2-80 में आंशिक संशोधन करते हुए राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I में नियुक्ति हेतु 1978 की चयन सूची में सम्मिलित संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय के निम्नलिखित अधिकारियों को 14-12-1979 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में अवर सचिव के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है :—

क्रम सं०	नाम
1	2
1.	श्री बी० बी० मेहरा, के० स० स्टे० सेवा के ग्रेड क के स्थायी अधिकारी।
2.	श्री बी०एस० कपूर, के० स० से० के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के स्थायी अधिकारी।
3.	श्री आर० एन० खुराना, के० स०से० के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के स्थायी अधिकारी।
4.	श्री जे० पी० गोयल, के० स० से० के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के स्थायी अधिकारी।
5.	श्रीमती भवानी त्यागराजन, के० स० से० के अनुभाग अधिकारी ग्रेड की स्थायी अधिकारी।
6.	श्री एम० ए० गणपति राम, के० स० स्टे० सेवा के ग्रेड क के स्थायी अधिकारी।

दिनांक मार्च 1980

सं० ए० 32013/4/79–प्रशा० I (ख)—संघ लोक सेवा आयोग के के० स० से० संवर्ग के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के तथा के० स० सेवा के ग्रेड I में नियुक्ति हेतु 1978 वर्ष की चयन सूची में सम्मिलित अधिकारी श्री दाउदयाल को राष्ट्रपति द्वारा 8 जनवरी, 1980 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में अवर सचिव के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

उक्त नियुक्ति भारत संघ के विरुद्ध श्री एस०एस० शर्मा व अन्य द्वारा दायर 1979 के रिट पिटीशन सं० 626–630 पर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अध्यधीन है।

दिनांक 1 मार्च 1980

सं० ए० 32013/1/80–प्रशा० I—संघ लोक सेवा आयोग में के० स० से० संवर्ग के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के स्थायी अधिकारी श्री एस० श्रीनिवासन को राष्ट्रपति द्वारा 1-2-80 से 29-2-80 तक की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 3 मार्च 1980

सं० पी०/1691–प्रशा० I—संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में उप सचिव के पद पर पुनर्नियुक्ति की मियाद की समाप्ति के परिणामस्वरूप श्री ए० गुप्ता ने 29 फरवरी, 1980 के अपराह्न से संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में उप सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

दिनांक 5 मार्च 1980

सं० ए० 32013/3/79–प्रशा० I (क)—संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में के० स० से० संवर्ग के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के निम्नलिखित स्थायी अधिकारियों को जिन्हें के० स० से० के ग्रेड I में नियुक्ति हेतु वर्ष 1977 की चयन सूची में सम्मिलि

किया गया था, राष्ट्रपति द्वारा 8-1-1980 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में अवर सचिव के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

1. श्री किशन सिंह
2. श्री जीत सिंह
3. श्री भूपति बी० मुर्मू

इन नियुक्तियों पर श्री एस० एस० शर्मा तथा अन्य द्वारा भारत संघ के विरुद्ध दायर 1979 की रिट याचिका सं० 626–630 पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया जाने वाला अन्तिम निर्णय लागू होगा ।

दिनांक 6 मार्च 1980

सं० ए० 38013/2/79–प्रशा० I—संघ लोक सेवा आयोग के स्थायी निजी सचिव (के० स० स्टे० सेवा संवर्ग का ग्रेड क) श्री एम० सी० मांगो को राष्ट्रपति द्वारा सी० सी० एस० (पेंशन) नियमावली के नियम 48–ए के अनुसार 3 मार्च, 1980 के पूर्वाह्न से स्वेच्छा से सरकारी सेवा से निवृत होने की अनुमति दी जाती है ।

एस० बालचन्द्रन
अवर सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

गृह मंत्रालय

का० एवं० प्र० सु० विभाग

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च, 1980

सं० ए०–35018/15/79–प्रशा०–I—पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, एतद्द्वारा, श्री फणी भूषण सरकार, पुलिस उप-निरीक्षक, पश्चिम बंगाल को दिनांक 13 फरवरी, 1980 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना प्रभाग की सामान्य अपराध स्कंध, कलकत्ता को अस्थायी रूप से प्रतिनियुक्ति पर पुलिस निरीक्षक नियुक्त करते हैं ।

की० ला० ग्रोवर,
प्रशासनिक अधिकारी (स्था०),
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110001, दिनांक 15 मार्च 1980

सं० ओ०-दो-182/769–स्थापना—श्री ई० एस० बख्तावर की सेवाएं, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को आई० टी० बी० पी० में प्रत्यावर्तन पर सौंपी जाने के फलस्वरूप, उसने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में कमाडेंन्ट 68 बटालियन का कार्यभार दिनांक 11-2-80 पूर्वाह्न से संभाल लिया ।

सं० ओ० दो० 1038/75–स्थापना—महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने डा० (श्रीमती) ऊषा जैन को 20-2-80 के पूर्वाह्न से केवल तीन माह के लिये अथवा उस पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, इनमें जो भी पहले हो उस तारीख तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप में नियुक्त किया है ।

सं० ओ० दो० 1099/78–स्थापना—राष्ट्रपति ने कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (जी० डी० ओ० ग्रेड–II) डा० योगेन्दर प्रकाश, बेस हास्पिटल–I केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नई दिल्ली, को केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थाई सेवा नियमावली) 1965 के नियम 5(1) के अनुसार एक माह के नोटिस की समाप्ति पर दिनांक 29-2-80 के अपराह्न से कार्य भार मुक्त कर दिया है ।

बी० के० कारकरा,
सहायक निदेशक,
(प्रशासन)

महानिरीक्षक का कार्यालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110019, दिनांक 10 मार्च 1980

सं० ई०–38013(3)/26/79–कार्मिक—राउरकेला से स्थानांतरित होने पर श्री एच० एस० पन्नू ने 11 फरवरी, 1980 के पूर्वाह्न से सहायक कमांडेंट, के० औ० सु० ब०, फर्स्ट रिजर्व बटालियन, सागर (म० प्र०) के पद का कार्यभार संभाल लिया ।

(ह०) अपठनीय
महानिरीक्षक

भारत के महापंजीकार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 14 मार्च 1980

सं० 11/10/78–प्रशा०–I—राष्ट्रपति, मणिपुर सिविल सेवा के अधिकारी श्री एल० पाशोट सिंह को मणिपुर, इम्फाल में जनगणना कार्य निदेशालय में तारीख 18 फरवरी, 1980 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा उप निदेशक जनगणना कार्य के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

श्री सिंह का मुख्यालय इम्फाल में होगा ।

दिनांक 18 मार्च 1980

सं० 11/121/79–प्रशा०–I—राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश सिविल सेवा के अधिकारी श्री यादगीर रेड्डी को आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद में जनगणना कार्य निदेशालय में तारीख 1 मार्च, 1980 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा उप निदेशक जनगणना कार्य के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

श्री रेड्डी का मुख्यालय हैदराबाद में होगा ।

सं० 11/121/79–प्रशा० I—राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश सिविल सेवा के अधिकारी श्री एम० एस० नरसिंहा चारी को आन्ध्र प्रदेश हैदराबाद में जनगणना कार्य निदेशालय में तारीख 3 मार्च, 1980 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक प्रतिनियुक्ति

पर स्थानान्तरण द्वारा उप निदेशक जनगणना कार्य के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

श्री चारी का मुख्यालय हैदराबाद में होगा।

पी० पद्मनाभ,
भारत के महापंजीकार

मुद्रण निदेशालय

नई दिल्ली-11, दिनांक 15 मार्च, 1980

सं० टी० (6)/प्रशासन-II—निवर्तन की आयु प्राप्त करने पर श्री आर० एस० तनेजा, सहायक प्रबन्धक (प्रशासन), भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली, मुद्रण निदेशालय, 31 जनवरी, 1980 के अपराह्न में सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

ब्रजेन्द्र नाथ मुखर्जी,
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली-110002, दिनांक 14 मार्च 1980

सं० 606/सी० ए०-I/277-70—महालेखाकार द्वितीय, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता के कार्यालय में कार्यरत श्री पी० अधिकारी, लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्यिक) अपनी अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31-12-79 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो गए हैं।

एम० एस० ग्रोवर,
उप निदेशक (वाणिज्यिक)

कार्यालय : निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली-2, दिनांक 15 मार्च 1980

सं० प्रशा० I/का० आ० 647/पी० एफ०/आर० सी० बंसल—इस कार्यालय के स्थायी लेखापरीक्षा अधिकारी श्री आर० सी० बंसल राष्ट्रीय जलविद्युत शक्ति निगम लि० नई दिल्ली में दि० 21-9-79 (पूर्वाह्न) से संलग्न प्रपत्र में उल्लिखित नियम एवं शर्तों पर स्थायी रूप से विलयन हो चुका है।

इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय से नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक के पत्र सं० 287-जी० ई० II/114-79 दि० 21-2-80 के द्वारा अनुमोदन मिल चुका है।

कौ० टि० छाया,
संयुक्त निदेशक, ले० प० (प्र०)

रक्षा मंत्रालय

आर्डनैन्स फैक्टरी बोर्ड

कलकत्ता, दिनांक 11 मार्च 1980

सं० 2/80/ए०/एम०—राष्ट्रपति जी तोप एवं गोला फैक्टरी, काशीपुर के निम्नलिखित सहायक चिकित्सा अधिकारियों के त्याग-पत्र तारीख 7-4-79 (अपराह्न) से मंजूर करते हैं और तदनुसार उसी तारीख से उनके नाम तोप एवं गोला फैक्टरी, काशीपुर की नफरी से काट दिए जाते हैं :—

(1) डा० केशव सिंह सागर, ए० एम० ओ०

(2) डा० अरूप राय, ए० एम० ओ०

ओ० पी० बहल,
अपर महानिदेशक,
आर्डनैन्स फैक्टरियां

कलकत्ता, दिनांक 12 मार्च, 1980

सं० 10/180/जी०—तीन माह की सूचना की समाप्ति पर, श्री ए० सी० पिल्लाई स्थानापन्न मौलिक एवं स्थायी डी० एम० दिनांक 1-5-1976 (अपराह्न) से सेवा से स्वेच्छापूर्वक निवृत्त हुए।

वी० के० मेहता,
सहायक महानिदेशक,
आर्डनैन्स फैक्टरियाँ

वाणिज्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च, 1980

आयात-निर्यात व्यापार नियंत्रण

(स्थापना)

सं० 6/957/72-प्रशासन (राज०)/1331—सेवा-निवृत्ति की आयु होने पर, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के स्थायी वर्ग-4 के अधिकारी, श्री टी० एम० बालाकृष्णन ने 29 फरवरी, 1980 के दोपहर बाद से इस कार्यालय में नियंत्रक, आयात-निर्यात के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० 6/632/61-प्रशासन (राज०)/1341—सेवा-निवृत्ति की आयु होने पर, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के स्थायी विभाग अधिकारी और उसी सेवा के वर्ग-I में स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे श्री सी० एस० आर्य ने 29 मार्च, 1980 के दोपहर बाद से इस कार्यालय में उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

दिनांक 13 मार्च, 1980

सं० 6/1313/79-प्रशासन (राज०)/1370—मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात एतद् द्वारा आयकर कार्यालय, देहरादून में आयकर निरीक्षक श्री महेश चन्द्र को, 5 फरवरी, 1980 के दोपहर पूर्व से अगला आदेश होने तक संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय, अहमदाबाद में स्थानापन्न रूप से नियंत्रक, आयात-निर्यात वर्ग "ख" के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री महेश चन्द्र, नियंत्रक के रूप में रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में वेतन प्राप्त करेंगे ।

ए० एन० चटर्जी,
उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात,
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 12 मार्च 1980

सं० 12(610)/69-प्रशासन (राज०)—राष्ट्रपति जी, लघु उद्योग सेवा संस्थान, नई दिल्ली के श्री पी० पी० वर्मा, सहायक निदेशक, ग्रेड-II (वैद्युत) को दिनांक 30 जनवरी, 1980 (अपराह्न) से अगले आदेशों तक, उसी संस्थान में सहायक निदेशक, ग्रेड-I (वैद्युत) के पद पर नियुक्त करते हैं ।

सं० 12 (625)/69-प्रशासन (राज०)—राष्ट्रपति जी, विकास आयुक्त (लघु उद्योग), नई दिल्ली के कार्यालय में सहायक संपादक (हिंदी) श्रीमती रक्षा छिब्बर को दिनांक 15 फरवरी, 1980 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक, इसी कार्यालय में तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक, ग्रेड-I (प्रचार) के रूप में नियुक्त करते हैं ।

सं० ए०-19018/431/79-प्रशासन (राजपत्रित)—राष्ट्रपति जी, डा० सुनील कुमार कपूर को दिनांक 29 फरवरी, 1980 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक, क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र, नई दिल्ली में उप निदेशक (रसायन) के रूप में नियुक्त करते हैं ।

सं० ए०-19018/10/73-प्रशासन (राज०)—राष्ट्रपति जी, लघु उद्योग सेवा संस्थान, नागपुर के श्री एस० आर० मुण्डारगी, सहायक निदेशक, ग्रेड-I (कांच/मृत्तिका) को दिनांक 29 नवम्बर, 1979 से 30 जून, 1980 तक की अवधि के लिए लघु उद्योग सेवा संस्थान, बम्बई में तदर्थ आधार पर उप निदेशक (कांच/मृत्तिका) के रूप में नियुक्त करते हैं ।

महेन्द्र पाल गुप्त
उप निदेशक (प्रशा०)

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

(प्रशासन अनुभाग-6)

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी, 1980

सं० प्र० 6/247 (475) II—सहायक निरीक्षण अधिकारी (वस्त्र) के पद पर अवनत होने पर श्री बी० बी० हुजेला ने निरीक्षण अधिकारी (वस्त्र) (भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप ए, वस्त्र शाखा के ग्रेड III) का पदभार छोड़ दिया और दिनांक 10-1-80 के पूर्वाह्न से उत्तरी निरीक्षण मंडल, नई दिल्ली के अधीन उप निदेशक निरीक्षण, कानपुर के कार्यालय में सहायक निरीक्षण अधिकारी (वस्त्र) का कार्यभार सम्भाल लिया ।

दिनांक 15 मार्च, 1980

सं० ए०-247 (264)—निरीक्षण निदेशक, जमशेदपुर के कार्यालय में सहायक निरीक्षण अधिकारी (धातु) श्री एस० के० नाग निवृत्तमान आयु होने पर दिनांक 31-1-80 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए ।

सं० प्र० 6/247 (374)—निरीक्षण निदेशक, वर्णपुर के कार्यालय में सहायक निरीक्षण अधिकारी (धातु-रसायन) श्री बी० एन० राय चौधरी दिनांक 31-1-80 के अपराह्न से निवृत्तमान आयु होने पर सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए ।

सं० ए०-17011/174/80-प्र० 6—महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान, निरीक्षण निदेशक कलकत्ता के कार्यालय में भंडार परीक्षक (इंजी०) श्री एस० सी० गर्ग को दिनांक 2-2-80 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उसी कार्यालय में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक निरीक्षण अधिकारी (इंजी०) के रूप में नियुक्त करते हैं ।

सं० ए०-17011/175/80-प्र० 6—महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान, निदेशक, पूर्ति तथा निपटान, मद्रास के कार्यालय में कनिष्ठ क्षेत्र अधिकारी श्री एन० एस० नटराजन को दिनांक 28-1-1980 के अपराह्न से आगामी आदेशों तक निरीक्षण निदेशक, कलकत्ता के कार्यालय में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक निरीक्षण अधिकारी (इंजीनियरी) के रूप में नियुक्त करते हैं ।

(प्रशासन अनुभाग-1)

दिनांक 17 मार्च, 1980

सं० प्र० 1/1 (1153)/80—महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान एतद्द्वारा पूर्ति निदेशक (वस्त्र), बम्बई के कार्यालय में अवर प्रगति अधिकारी श्री ई० एल० श्रीनिवासन को दिनांक 1-3-80 के पूर्वाह्न से बम्बई के उसी कार्यालय में सहायक निदेशक (ग्रेड II) के रूप में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं ।

श्री श्रीनिवासन की सहायक निदेशक, पूर्ति (ग्रेड II) के रूप में नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी और तदर्थ आधार पर होगी और उनसे अन्यथा वरिष्ठ अधिकारियों के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और उन्हें वर्तमान स्थानापन्न व्यवस्था के आधार पर भविष्य में पदोन्नति का दावा करने का हक नहीं होगा ।

सं० प्र० 1/1 (1154)/80—महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान, निरीक्षण निदेशक, बम्बई के कार्यालय में अधीक्षक श्री मनोहर लाल जे० ताहिल्यानी को दिनांक 1 मार्च, 1980 के पूर्वाह्न से पूर्ति निदेशक (वस्त्र) बम्बई के कार्यालय में सहायक निदेशक, पूर्ति (ग्रेड II) के रूप में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं ।

श्री मनोहर लाल जे० ताहिल्यानी की सहायक निदेशक, पूर्ति (ग्रेड II) के रूप में नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी और तदर्थ आधार पर

होगी और उनसे अन्यथा वरिष्ठ अधिकारियों के हक पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और वर्तमान स्थानापन्न व्यवस्था के आधार पर भविष्य में पदोन्नति का दावा करने का कोई हक नहीं होगा ।

सं० प्र० 1/1 (1156)/80:—महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान एतद्द्वारा निरीक्षण निदेशक बम्बई के कार्यालय में अधीक्षक श्री टी० बी० पोते को दिनांक 1-3-80 के अपराह्न से पूर्ति तथा निपटान नि० बम्बई के कार्यालय में तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक ग्रेड- के रूप में नियुक्त करते है ।

सहायक निदेशक (ग्रेड-II) के रूप में श्री पोते की पदोन्नति पूर्णत: अस्थायी और तदर्थ आधार पर होगी और उनसे अन्यथा वरिष्ठ अधिकारियों के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और उन्हें वर्तमान स्थानापन्न व्यवस्था के आधार पर भविष्य में पदोन्नति का दावा करने का हक नहीं होगा ।

पी० डी० मेठ,
उप निदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

इस्पात, खान और कोल मंत्रालय

(खान विभाग)

भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 10 मार्च, 1980

सं० ए०—19011/163/75—स्था० ए०—विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति डा० एस० सी० पांडे, वर्तमान वरिष्ठ रसायनविद् (तदर्थ आधार पर) को स्थानापन्न रूप में वरिष्ठ रसायनविद् के पद पर भारतीय खान ब्यूरो में दिनांक 28-2-1980 के अपराह्न से अगले आदेश तक सहर्ष नियुक्ति प्रदान करते है ।

एस० व्ही० अली
कार्यालय अध्यक्ष
भारतीय खान ब्यूरो

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कलकत्ता-700016, दिनांक 13 मार्च, 1980

सं० 2034बी ए०—19011 (1—ए के बी)/79—19ए:—राष्ट्रपति जी श्री अनुप कुमार बंद्योपाध्याय को भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ) के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 700-40-900-द० रो०--40-1100-50-1300 रु० के वेतनमान में, स्थानापन्न क्षमता में, आगामी आदेश होने तक 29-12-1979 के पूर्वाह्न से नियुक्त कर रहे हैं ।

बी० एस० कृष्णस्वामी,
महा निदेशक

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

महासर्वेक्षक का कार्यालय

देहरादून, दिनांक 12 मार्च, 1980

सं० सी० 5607/718—ए—श्री ए० बी० सरकार, मैप-मयुरेटर, 8 फरवरी, 1980 (अपराह्न) से श्री राम लाल स्थापना एवं लेखा अधिकारी, जो छुट्टी पर गए है, के स्थान पर पूर्वी सर्किल कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कलकत्ता में 840-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतन मान में स्थापना एवं लेखा अधिकारी (सा० सि० सेवा ग्रुप 'बी') के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किए जाते है ।

के० एल० खोसला
मेजर जनरल
भारत के महासर्वेक्षक

आकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 1979

सं० 2/66/60-एस० टी०:—वार्धक्य निवर्तन की आयु प्राप्त करने पर श्री एस० ए० एन्टोनीसामी, प्रशासनिक अधिकारी, आकाशवाणी, विजयवाड़ा दिनांक 30-9-79 (अपराह्न) से सेवा से निवृत्त हो गये है ।

दिनांक 15 मार्च 1980

सं० 29/7/78—एस०—टी —इस निदेशालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 14-1-80 के पालनार्थ श्री जी० बी० पटेल, तदर्थ आधार पर काम कर रहे फार्म रेडियो अधिकारी ने दिनांक 21-1-80 से फार्म रेडियो अधिकारी, आकाशवाणी, बड़ौदा के पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

एस० वी० सेषाद्री,
प्रशासन उपनिदेशक,
कृपेते महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च 1980

सं० 6 (66)/62—एस-I—निवर्तन्न की आयु प्राप्त होने पर, श्री डी० वेंकटेशन ने कार्यक्रम निष्पादक, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी, मद्रास का पदभार दिनांक 31 जनवरी, 1980 अपराह्न से त्याग दिया ।

नन्द किशोर भारद्वाज,
प्रशासन उपनिदेशक
कृते महानिदेशक

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च 1980

सं० 6—19/77—डी० सी०—राष्ट्रपति ने डा० पंकज कुमार चटर्जी को 25 जनवरी, 1980 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों

तक केन्द्रीय औषधि प्रयोग शाला, कलकत्ता में जीवाणु विज्ञानी के पद पर नियुक्त किया है ।

श्री पी०जी० राय ने उसी दिन से केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कलकत्ता से जीवाणु विज्ञानी के पद का कार्यभार छोड़ दिया है और वे अर्जित छुट्टी पर चले गये हैं ।

श्री पी० जी० राय ने 25 जनवरी, 1980 से 8 फरवरी, 1980 तक 15 दिनों की अर्जित छुट्टियां बिताने के बाद 11 फरवरी, 1980 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कलत्ताक तकनीकी अधिकारी (जीवाणुविज्ञान) के पद का कार्यभार संभाल लिया है । 9 फरवरी, तथा 10 फरवरी, 1980 को क्रमशः द्वितीय शनिवार और रविवार की छुट्टियां थीं ।

संगत सिंह
उप निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च, 1980

सं० ए० 19019/26/76—जे० आई० पी०/प्रशासन —I—राष्ट्रपति ने जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी के जीव रसायनज्ञ डा० पी० रामाकृष्णा राव का 1 फरवरी, 1980 अपराह्न से सरकारी सेवा से इस्तीफा मंजूर कर लिया है ।

सं० ए०—12026/5/78—सी० एल० टी० आर० आई०/प्रशासन—I—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने श्री टी० के० एम० पिल्ले अनुभाग अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को 14 जनवरी, 1980 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चिंगलपुट में प्रशासन अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है ।

सं० ए० 12025/7/79—(ए० आई० आई० एच० पी० एच०)/प्रशासन—I—राष्ट्रपति ने डा० जी० राजगोपाल को 8 फरवरी, 1980 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता में जीव रसायन एवं पोषण विज्ञान के सहायक प्रोफेसर के पद पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया है ।

दिनांक 11 मार्च, 1980

सं० ए० 12024/1/76—प्रशासन—I (भाग—2) (ख):—केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में अपनी बदली हो जाने के फलस्वरूप डा० (श्रीमती) जी० के० सच्चर ने 28 सितम्बर, 1979 पूर्वाह्न से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली के अधीन दन्त शल्य चिकित्सक के पद का कार्यभार संभाल लिया है ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन दन्त शल्य चिकित्सक के पद पर अपनी नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप डा० (श्रीमती) जी० के० सच्चर ने 28 सितम्बर, 1979 पूर्वाह्न को सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली से दन्त शल्य चिकित्सक के पद का कार्यभार छोड़ दिया है ।

सं० ए० 12025/35/76—(ए० आई० आई० एच० पी० एच०)/प्रशासन—I—राष्ट्रपति ने डा० (श्रीमती) इन्दिरा चक्रवर्ती को 1 फरवरी, 1980 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता में जीव रसायन विज्ञान तथा पोषण के एसोसियेट प्रोफेसर के पद पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया है ।

शाम लाल कुठियाला
उप निदेशक प्रशासन

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

(कार्मिक प्रभाग)

बम्बई—400085, दिनांक 15 जनवरी 1980

सं० पी० ए०/81 (12)/79—आर०—4:—अपर निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, इस केन्द्र के निम्नलिखित अधिकारियों को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड एस० बी० के पद पर उनके नाम के सामने कालम नं० 5 में अंकित तिथि से इसी अनुसंधान केन्द्र में, स्थानापन्न रूप से, अग्रिम आदेशों तक नियुक्त करते है ।

क्रम संख्या	नाम	यदि किसी पद पर स्थाई नियुक्ति हो	स्थानापन्न पद	दिनांक
1.	श्री जोखू राम गुप्ता	——	एस० ए० (सी)	1-8-79 (पूर्वाह्न)
2.	श्री परमानन्द लधाराम वासवानी	सहायक फोरमैन	फोरमैन	——वही——
3.	श्री सुरेश चंपकलाल झवेरी	——वही——	——वही——	——वही——
4.	श्री विजयेन्द्र कृष्णराव हरोहल्ली	——वही——	——वही——	——वही——
5.	श्री नाना दामोदर गावन्डे	डी० मैन (सी)	——वही——	——वही——
6.	श्री कृष्णस्वामी वेंकटेशन	——	एस० ए० (सी)	——वही——
7.	श्री अजय सिंह	——	——वही——	——वही——
8.	श्री माडप्पड वेलायुधन् सुरेन्द्रनाथ	एस० एस० (बी)	——वही——	10-8-79 (पूर्वाह्न)
9.	श्री कासिम मुस्तफा अली	——वही——	——वही——	1-8-79 (पूर्वाह्न)
10.	श्री शंकर रामचन्द्र चिंचणिकर	टी० मैन (जी)	——वही——	——वही——

क्रम संख्या	नाम	यदि किसी पद पर स्थाई नियुक्ति हो	स्थानापन्न पद	दिनांक
11.	श्री प्रवीणचन्द्र मंगलजीभाई शाह	एस० ए० (बी)	एस० ए० (सी)	1-8-79 पूर्वाह्न
12.	श्री जगदीश बाबूराव म्हाले	—	एस० ए० (सी)	—वही—
13.	डॉ० मन्नम् सुब्बाराव	—	—वही—	—वही—
14.	श्री वप्पला सेथुमाधवन्	एस० ए० (बी)	एस० ए० (सी)	—वही—
15.	श्री उन्निपरंबत कनिचुकलथु विश्वनाथन्	—वही—	—वही—	—वही—
16.	श्री वासुदेव कुरुप रवीन्द्रन नायर	—वही—	—वही—	—वही—
17.	श्री रमेश चन्द्र हरिभाई रखामिया	एस० ए० (बी)	एस० ए० (सी)	1-8-79 पूर्वाह्न
18.	श्री चन्द्रशेखरन् कृष्णन् पिल्लै	—वही—	—वही—	—वही—
19.	श्री नरसिमहन् गोपालन्	एस० ए० (ए)	—वही—	—वही—
20.	श्री अरुणाचलम् राजू	एस० ए० (बी)	—वही—	—वही—
21.	श्री सैय्यद अख्तर हुसैन	एस० ए० (ए)	एस० ए० (बी)	—वही—
22.	श्री वैतिनाथ कन्नन	एस० ए० (बी)	एस० ए० (सी)	—वही—
23.	श्री सदानंद जनार्दन राउत	—वही—	—वही—	—वही—
24.	श्री मथत् रत्नाकरन्	—वही—	—वही—	—वही—
25.	श्री अशरफखान केसरखान पठान	—	एस० ए० (सी)	—वही—
26.	श्री कल्लरक्कल कुंजुम्मि बालकृष्णन् नायर	टी० मैन (एफ)	—वही—	—वही—
27.	श्री सदानंद चिन्तामण करंदीकर	एस० ए० (बी)	—वही—	—वही—
28.	श्री सरदार सिंह मरहम	—वही—	—वही—	—वही—
29.	श्री कोडी वेनकप्पा किनी	—वही—	—वही—	—वही—
30.	श्री तूरानी कृष्णन् शेषाद्री	एस० ए० (बी)	—वही—	—वही—
31.	श्री अशोक रामचन्द्रराव कलुरकर	एस० ए० (ए)	—वही—	—वही—
32.	श्री लालेन्द्रनाथ सिंह	—वही—	—वही—	—वही—
33.	श्री बिमल रंजन सरकार	एस० ए० (बी)	—वही—	—वही—
34.	श्री शरद विश्वनाथ मयेकर	—वही—	—वही—	—वही—
35.	श्री रामचन्द्र रघुबरदत्त शर्मा	एस० ए० (ए)	—वही—	—वही—
36.	श्री मुलचेरि सुकुमारन नायर	एस० ए० (बी)	—वही—	—वही—
37.	श्री गदाधर मंडल	फोरमैन	—	—वही—
38.	श्री मंगेश रावलनाथ कंटक	—वही—	—	—वही—
39.	श्री पयाट्टिनिडल वलौघननायर बालकृष्णन् नायर	—वही—	—	—वही—
40.	श्री रमाकान्त द्वारकानाथ तुंगारे	एस० ए० (बी)	एस० ए० (सी)	—वही—
41.	श्री कमल किशोर रामपाल	डी० मैन (सी)	—	—वही—
42.	श्री सुभाष गोविन्द बेलगांवकर	—वही—	—	—वही—
43.	श्री राजकुमार सुर्मा	—वही—	—	—वही—
44.	श्री अब्दुल अजीज उमर धाबी	एस० ए० (बी)	एस० ए० (सी)	—वही—
45.	श्री नारायणन् वसंतराव मंगलवेडकर	एस० ए० (बी)	एस० ए० (सी)	1-8-79 पूर्वाह्न
46.	श्री नारायणन् पिल्ले षण्मुखन पिल्लै	एस० ए० (सी)	—	—वही—
47.	श्री वत्तापिल्लै गोपालकृष्णन्	एस० ए० (बी)	एस० ए० (सी)	—वही—
48.	श्री शंकरासुब्बीर वेंकटेश्वरन्	—वही—	—वही—	—वही—
49.	श्री अंगरि श्रीनिवासागणेशन्	—	—वही—	—वही—

सं० पी० ए०/81 (12)/79-आर०-4.—अपर निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की, बी० ई० सी० परियोजना के निम्नलिखित अधिकारियों को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड एस० बी. के पद पर उनके नाम के सामने कालम 5 में अंकित तिथि से अग्रिम आदेशों तक, इसी अनुसंधान केन्द्र में नियुक्त करते हैं।

क्रम संख्या	नाम	यदि किसी पद पर स्थाई नियुक्ति हो	स्थानापन्न पद	दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्री तपन कुमार चट्टोपाध्याय	एस० ए० (बी)	एस० ए० (सी)	1-8-79 पूर्वाह्न
2.	श्री नादौर विजय राघवाचार्य मुरलीधरन्	एस० ए० (बी)	एस० ए० (बी)	16-8-79 (पूर्वाह्न

ए० एस० दीक्षित
उप स्थापना अधिकारी

केन्द्रीय सम्मिश्र

बम्बई–400085, दिनांक 15 फरवरी 1980

संदर्भ : 5/1/79-स्था० II/583:—नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र निम्नलिखित अधिकारियों को, तदर्थ रूप से उनके नाम के सामने अंकित समयावधि के लिए स्थानापन्न सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

क्र० सं०	नाम तथा पदनाम	स्थानापन्न रूप में नियुक्ति	समयावधि	
			से	तक
1.	श्री पी० ई० जोब सहायक सुरक्षा अधिकारी	सुरक्षा अधिकारी	27-8-79 पूर्वाह्न	29-9-79 अपराह्न
2.	श्री पी० ई० जोब सहायक सुरक्षा अधिकारी	सुरक्षा अधिकारी	28-12-79 पूर्वाह्न	2-2-80 अपराह्न

सं० 5/1/79-स्था० II/585:—नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र निम्नलिखित अधिकारियों को, तदर्थ रूप से उनके नाम के सामने अंकित समयावधि के लिए स्थानापन्न प्रशासन अधिकारी II/सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

क्र० सं०	नाम तथा पदनाम	स्थानापन्न रूप में नियुक्ति	समयावधि	
			से	तक
			पूर्वाह्न	अपराह्न
1.	श्री एस० के० कपूर सहायक कार्मिक अधिकारी	प्रशासन अधिकारी–II	29-10-79	30-11-79
2.	श्री जे० आर० कर्णिक सहायक कार्मिक अधिकारी	प्रशासन अधिकारी–II	3-11-79	30-1-80
3.	श्री वी० पी० कुलकर्णी सहायक	सहायक कार्मिक अधिकारी	29-10-79	30-11-79
4.	श्री ए० के० कात्रे सहायक	सहायक कार्मिक अधिकारी	3-11-79	30-1-80
5.	श्री जे० वी० नाइक सहायक	सहायक कार्मिक अधिकारी	3-10-79	9-11-79
6.	श्री एस० आर० पिन्गे सलैक्शन ग्रेड लिपिक	सहायक कार्मिक अधिकारी	17-12-79	2-2-80

दिनांक 18 फरवरी, 1980

सं० 5/1/79–स्थापना II/625—नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र निम्नलिखित अधिकारियों को तदर्थ रूप से स्थानापन्न लेखा अधिकारी II/स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी पद पर उनके नाम के सामने अंकित समयावधि तक नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं०	नाम तथा पदनाम	स्थानापन्न रूप में नियुक्ति	समयावधि		अभ्युक्ति
			से	तक	
1.	श्री के० जे० जॉर्ज सहायक लेखा अधिकारी	लेखा अधिकारी–II	5-11-79 पूर्वाह्न	31-12-79 अपराह्न	
2.	श्री पी० बी० कलंके सहायक लेखाकार	सहायक लेखा अधिकारी	5-11-79 पूर्वाह्न	31-12-79 अपराह्न	
3.	श्री पी० बी० कलंके सहायक लेखाकार	सहायक लेखा अधिकारी	1-1-80 पूर्वाह्न	अग्रिम आदेशों तक	(श्री एन० गोकरणेशन के मूल विभाग में लौटने के कारण नियमित अधिकारी के आने तक)।
4.	श्री जी० बी० मांडके सहायक लेखाकार	सहायक लेखा अधिकारी	24-12-79 पूर्वाह्न	30-1-80 अपराह्न	

दिनांक 29 फरवरी, 1980

सं० 5/1/79/स्था० II/762—नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र श्री बी० एम० नायक, सं० ग्रे० लिपिक को स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर दिनांक 22–10–79 (पूर्वाह्न) से 25–1–80 (अपराह्न) तक तदर्थ रूप में नियुक्त करते हैं।

दिनांक 3 मार्च, 1980

सं० 5/1/79–स्था० II/797—नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री पी० बी० करंदीकर, सहायक को स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी पद पर दिनांक 29–12–1979 (पूर्वाह्न) से 29–1–1980 (अपराह्न) तक तदर्थ रूप में नियुक्त करते हैं।

कु० एच० बी० विजयकर,
उप-स्थापना अधिकारी

ऊर्जा विभाग

(परमाणु खनिज प्रभाग)

हैदराबाद-500 016, दिनांक मार्च, 1980

सं० प० ख० प्र०–2/2900/79–प्रशा०—श्री एम० जमील हुसैन शरीफ द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग में वैज्ञानिक अधिकारी/एस० बी० के अस्थायी पद से दिया गया त्यागपत्र परमाणु खनिज प्रभाग के निदेशक द्वारा 10 फरवरी, 1980 के अपराह्न से स्वीकार कर लिया गया है।

एम० एस० राव,
वरिष्ठ प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

अंतरिक्ष विभाग

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन

अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र

अहमदाबाद-380053, दिनांक 3 मार्च 1980

सं० ई एस टी/सी० ए०/7047—निदेशक, अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, श्री भार्गव नलीनिकांत पण्ड्या को अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र/भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन/अन्तरिक्ष विभाग में अभियंता एस० बी० के पद पर दिनांक 22 नवम्बर 1979 से 30 जून 1980 तक की अवधि के लिये अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं।

एम० पी० आर० पणिकर
प्रशासन अधिकारी

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च, 1980

सं० ए० 12025/1/78–ई० डब्ल्यू०—महानिदेशक, नागर विमानन श्री एच० एस० रावत को दिनांक 25–2–80 (पूर्वाह्न) से अन्य आदेश होने तक नागर विमानन विभाग में रु० 650–30–740–35–810–ई० रो०–35–880–40–1200 के वेतनमान में सहायक अग्निशमन अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

श्री रावत को क्षेत्रीय निदेशक कलकत्ता क्षेत्र, कलकत्ता के अधीन अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केन्द्र, कलकत्ता में तैनात किया जाता है।

वी० बी० जौहरी
उप निदेशक प्रशासन
कृते महानिदेशक
नागर विमानन

नई दिल्ली, दिनांक 7 मार्च, 1980

सं० ए०-32013/17/78-ई० ए०—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित अधिकारियों की विमानक्षेत्र अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ नियुक्ति को 31 मार्च, 1980 तक या ग्रेड में नियमित नियुक्ति होने तक, इनमें जो भी पहले हो, जारी रखने की मंजूरी दी है :—

क्र०सं०	नाम	स्टेशन
1.	श्री जी० बी० बंसल	राजकोट
2.	श्री ए० के० झा	उत्तरी लखीमपुर
3.	श्री डी० एस० चतरथ	दिल्ली एयरपोर्ट, पालम
4.	श्री डी० डी० वुत्थू	श्रीनगर

विश्वविनोद जौहरी
उप-निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली-22, दिनांक 7 मार्च, 1980

सं० ए०-32013/13/79-ई०I—राष्ट्रपति जी, श्री आर० पी० सिंह, उपनिदेशक विमान सुरक्षा, नागर विमानन विभाग को दिनांक 19 नवम्बर, 1979 से 31-3-1980 तक तदर्थ आधार पर निदेशक, विमान सुरक्षा के रूप में नियुक्त करते हैं।

दिनांक 10 मार्च, 1980

सं० ए० 32013/10/79-ई०-I—इस विभाग की दिनांक 28-1-1980 की अधिसूचना संख्या ए० 32013/10/79-ई०-I के क्रम में महानिदेशक नागर विमानन ने नागर विमानन विभाग के स्थाई लेखापाल श्री एस० आर० भाटिया को लेखा अधिकारी (लागत) के पद पर तदर्थ नियुक्ति को 18-12-79 से और 46 दिन की अवधि के लिये श्री टी० पी० नल्लैयप्पन* के स्थान पर और 2-2-80 से तीन माह की अवधि के लिये अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, इनमें जो भी पहले हो, श्री एस० सी० भाटिया** (जिन्हें (अपने मूल विभाग में प्रत्यावर्तित किया गया है) के स्थान पर जारी रखने की संस्वीकृति दी है।

*लेखा अधिकारी (लागत)

**लेखा अधिकारी

चितरंजन कुमार वत्स
सहायक निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च, 1980

सं० ए० 32013/3/79-ई० सी०—इस विभाग की दिनांक 6 मार्च, 1980 की अधिसूचना सं० ए०-32013/5/78-ई० सी० के क्रम में राष्ट्रपति जी महानिदेशक नागर विमानन (मुख्यालय) में उपनिदेशक, संचार के रूप में तदर्थ आधार पर कार्यरत श्री आर० पी० शर्मा को 8-2-1980 से उपनिदेशक संचार के ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं और उन्हें उसी कार्यालय में तैनात किया जाता है।

सं० ए० 32013/9/79-ई० सी०—राष्ट्रपति जी, श्री पी० के० दत्ता, I, सहायक संचार अधिकारी, वैमानिक संचार स्टेशन, कलकत्ता को दिनांक 21-1-1980 (पूर्वाह्न) से 29-2-1980 तक तदर्थ आधार पर संचार अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त करते हैं और उन्हें उसी स्टेशन पर तैनात करते हैं।

सं० ए०-32014/4/79-ई० सी०—इस विभाग की दिनांक 8-1-1980 की अधिसूचना सं० ए० 32014/4/79-ई० सी० के क्रम सं० 3 और 4 का संशोधन करते हुए महानिदेशक नागर विमानन निम्नलिखित दो संचार सहायकों को उनके नाम के सामने दी गई तारीखों से नियमित आधार पर सहायक संचार अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त करते हैं और उनके नाम के सामने दिये गये स्टेशन पर तैनात करते हैं :—

क्र० सं०	नाम	मौजूदा तनाती स्टेशन	नया तैनाती स्टेशन	कार्यभार संभालने की तारीख
3.	श्री के० जी० नायर . .	वै० संचार स्टेशन, मद्रास	वै० सं० स्टेशन, मद्रास	7-12-79 (पूर्वाह्न)
4.	श्री आर० पी० बर्तन . .	वै० संचार स्टेशन, बंगलौर	वै० सं० स्टेशन, मद्रास	18-12-79 (पूर्वाह्न)

एन० ए० पी० स्वामी
सहायक निदेशक प्रशासन

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क समाहर्तालय
समाहर्तालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मध्यप्रदेश
इन्दौर, दिनांक 13 मार्च, 1980

क्रमांक 4/80—मध्य प्रदेश केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय, इन्दौर के बहु पदीय रेंज I, सागर में तैनात श्री आर० एल० बावरिया, अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क श्रेणी 'ख' ने निवर्तन की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 जनवरी, 1980 के अपराह्न में सेवामुक्त कर दिये गये।

शिविन किशन धर
समाहर्ता

मद्रास-600 034, दिनांक 13 मार्च 1980

सं० IV/16/384/78-सी० एक्स०-एड्ज०-II—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (सातवां संशोधन) नियमावली, 1976 के नियम 232 'क' के उपनियम (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो कि दिनांक 21-2-1976 से प्रभावी है, यह घोषित किया जाता है कि उपनियम (2) के अन्तर्गत निर्दिष्टित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्तियों और उनके नाम, पते व अन्य विवरण जिन पर पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 33 में निर्दिष्टित अधिकारी द्वारा 10,000.00 रुपये या उससे शास्ति अधिक्षेपित की गयी है नीचे दिये जाते हैं। (साल का चौथाई हिस्सा—31-12-79 के लिये) :—

क्र० सं०	व्यक्ति का नाम	पता	अधिनियम के उल्लिखित उपबंध	अधिरोपित शास्ति की शक्ति
1	2	3	4	5
1.	1. श्री बालाजी एन्टरप्रैसेस, मद्रास-12 2. एस० हरिहरन क-1 कंपनी का मैनेजिंग पार्टनर	पं० 144, स्ट्राहन्स	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम के 1944 की धारा 9(1)(ख) 9(1)(ख)(ख) और 9(1)(ख)(ख)(ख)	1. अपराध के कारण क-1 से क-8 तक प्रत्येक की धारा 9(1)(ख) के अंतर्गत दोषी ठहराया गया और उनको न्यायालय का समय समाप्त हो जाने तक कारावास की सजा और उसके अतिरिक्त प्रत्येक को रु० 250/- का जुर्माना भी अनुपस्थिति में क-2 से क-8 को एक महीने का कठोर कारावास की सजा निदेश हुआ है।
	3. आर० मनोहरन, क-1 कंपनी का मैनेजर			
	4. श्रीमती एम० शिवरानी, क-1 कंपनी का पार्टनर			
	5. श्रीमती अलमेलु अम्माल, क-1 कंपनी का पार्टनर			
	6. श्री आर० रामचन्द्रन, क-1 कंपनी का पार्टनर			
	7. श्री के० आर० गोकर 8. एम० के विजयराज } अधिकृत मैनेजर्स			(2) अपराध के कारण क-1 से क-3 और क-6 से क-8 प्रत्येक को धारा 9(1) के अन्तर्गत रु० 250/- जुर्माना, अनुपस्थिति में क-2, क-3 और क-6 से क-8 प्रत्येक को एक महीने का कठोर कारावास की सजा निदेश हुआ है। (3) अपराध के कारण क-1 से क-3 और क-6 से क-8 प्रत्येक को धारा 9(1)(ख ख ख) के अंतर्गत रु० 250/- जुर्माना, अनुपस्थिति में क-2, क-3 और

1	2	3	4	5
				क-6 से क-8 प्रत्येक को एक महीने का कठोर कारावास की सजा निदेश हुआ है।
2.	श्री आर० एस० गुलाबजान	एल० 5 नं० 35/75, कबरि पट्टिणम धर्मपुरी	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के 1944 की धारा 9(1) (ख) 9(1)(ख)(ख) पढिए के० 3 शु० के० 1944 की नियम 151 (ग) और 223 (क)	दंडित और रु० 250/- चुकाने का जुर्माना, अनुपस्थिति में 2 महीनों का कठोर कारावास की सजा आदेश हुआ है।
3.	श्री ए० के० गोविंदसामी	एल० 5 नं० 76-64 अट्टूर	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के 1944 की धारा 9(1) (ख) 9(1)(खख) पढिए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के 1944 की नियम 144 (ग) और 151 (ग)	दंडित और 3 महीनों का कठोर कारावास अनुभव करने की प्रत्येक सहवर्ती सजा आदेश दिया गया है।
4.	श्री मानिकम चेट्टियार	एल० 5 नं० 106-74 नाडुपालथम गांव		दंडित और 6 महीनों का कठोर कारावास लेकिन मद्रास उच्चत न्यायालय पाटी के सिफारिश पर शिक्षा (जो अब तक अनुभव कर चुका है) कम कर दिया गया है और उसके अतिरिक्त रु० 1,000/- जुर्माना, अनुपस्थिति में 1 महीने का कठोर कारावास की सजा निवेश हुआ है।
5.	श्री एम० अब्बास श्री हसैन मीरान साहेब के पुत्र	तंबाकू व्यापारी, एल० 5 [नं० 5/72 देशनायकन पट्टी सेलम।]	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के 1944 की धारा 9(1)(ख), 9(1)(खख) और 9(1)(खखख) पढिए के०उ०शु० के नियम 29, 31, 151, और 223-क, तथा 226	दंडित और 1 साल की कठोर कारावास की सजा का आदेश दिया गया है।

II—विभागीय न्याय निर्णय

—शून्य—

बी० आर० रेड्डी
समाहर्ता
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, मद्रास-34

केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला डाकघर खड़कवासला

अनुसंधान शाला

पुणे-411024, दिनांक 23 फरवरी 1980

सं० 608/166/80-प्रशासन—निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, खड़कवासला, पुणे इसके द्वारा श्री व्ही० जी० फडके की लेखा अधिकारी के पद पर केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे में वेतन रुपए 1040/- प्रति माह वेतनमान रुपए 840-40-1000-द० रो० 40-1200 पूर्वाह्न 1 फरवरी, 1980 से प्रतिनियुक्ति पर 1 साल के लिए नियुक्त करते हैं।

श्री व्ही० जी० फडके, रुपए 160/- प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता, वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग) के का० ज्ञा० संख्या 10(24)/ई० 3/70 दिनांक 4 मई, 1961 के निबंधन के अनुसार मिलने के हकदार है।

श्री व्ही०जी० फडके की लेखा अधिकारी के श्रेणी में बिल्कुल अस्थायी तथा तदर्थ रूप में नियुक्ति की गई है। लेखा अधिकारी की श्रेणी में जो काम वे करेंगे उस पर उन्हें वरिष्ठता/नियमित पदोन्नति के लिए दावा करने का हक नहीं रहेगा।

दिनांक 11 मार्च 1980

सं० 608/150/80-प्रशासन—संघ लोक सेवा आयोग से किए गए चयन के कारण निदेशक, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे 411024, श्री शंकर लक्ष्मण पाटील की सहायक अनुसंधान अधिकारी (इंजीनियरी-यांत्रिक) के पद पर केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे में वेतनमान रुपए 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 पर 25 सितम्बर 1979 के पूर्वाह्न से नियुक्ति करते हैं।

श्री शं० ल० पाटील के लिए 25-9-79 से दो साल की परिवीक्षावधी होगी।

म० रा० गिडवानी,
प्रशासन अधिकारी
कृते निदेशक।

निर्माण महानिदेशालय

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 17 मार्च 1980

सं० 33/11/78-ई० सी०-9—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामित श्री राजेन्द्र वैद्य को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में रुपए 700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300 के वेतनमान में रुपए 700/- प्रतिमास वेतन तथा (सामान्य भत्ते) पर सामान्य शर्तों पर 5-2-80 (पूर्वाह्न) से उपवास्तुविद् के अस्थायी पद पर (केन्द्रीय सिविल सेवा ग्रुप-ए) नियुक्त करते हैं। उनका वेतन शीघ्र ही नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा।

2. श्री राजेन्द्र वैद्य 5-2-80 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रखे जाते हैं।

के० ए० अनन्तनारायणन,
प्रशासन उपनिदेशक

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

नई दिल्ली-110022, दिनांक 14 मार्च 80

सं० 2/2/80-प्रशासन-1(बी०)—अध्यक्ष केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, एतद्द्वारा श्री शांति प्रसाद, सांख्यिकी सहायक, को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में अतिरिक्त सहायक निदेशक (वाणिज्य) के ग्रेड में 3 मार्च, 1980 (पूर्वाह्न) से, अगले आदेश होने तक, नियुक्त करते हैं।

श्री राम खीथा
अवर सचिव।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

मालीगांव, दिनांक 10 मार्च 1980

सं० ई०/55/111/97-ओ०—श्री जी० पी० वर्मा, मुख्य खजांची (श्रेणी-I) वेतनमान 1100-1600 रु० को दिनांक 1-12-78 से स्थायी किया जाता है।

2. निम्नलिखित अधिकारियों को सहायक लेखा अधिकारी श्रेणी-II सेवा में उनके नाम के सामने निर्दिष्ट तारीख से स्थायी किया जाता है।

नाम	किस तारीख से स्थायी किया जाता है
1. श्री ए० आर० भट्टाचार्य	1-12-78
2. श्री टी० आर० पाठक	1-6-79
3. श्री वी० एस० दुआ	1-8-79

बी० वेंकटरमणी,
महाप्रबन्धक

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कम्पनी विधि बोर्ड

कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम 1956 और उत्कल केबल इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कटक, दिनांक 12 मार्च 1980

सं० एस० ओ० 455/80/5437(2)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उत्कल केबल इण्ड-

स्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम 1956 और भगवती एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

कटक, दिनांक 12 मार्च 1980

सं० एस० ओ०-420/5436(2)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भगवती एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम 1956 और सिगमा स्टील प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

कटक, दिनांक 12 मार्च 1980

सं० एस० ओ०-386-80-5435(2)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि सिगमा स्टील प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम 1956 और झरया मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कटक, दिनांक 12 मार्च, 1980

सं० एस० ओ० 294/80/5434(2)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि झरया मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम 1956 और उत्कल कैमिकल्स एण्ड आयल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के विषय में।

कटक, दिनांक 12 मार्च 1980

सं० एस० ओ०-89/80-5433(2)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उत्कल कैमिकल्स एण्ड आयल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम 1956 और श्रीखेद्र कन्सट्रक्सन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

कलकत्ता, दिनांक 12 मार्च 1980

सं० एस० ओ० 390/(80)-54 329(2)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि श्री खेद्र कन्सट्रक्सन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम 1956 और सं० ओडिया फलाईंग क्लब लिमिटेड के विषय में ।

कलकत्ता, दिनांक 12 मार्च 1980

सं० एस० ओ० 75/80-5431(2)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि ओडिया फलाईंग क्लब लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और जी० सी० दास एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

कटक, दिनांक 12 मार्च 1980

सं०एस० ओ० 280-5430(2)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि जी० सी० दास एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम 1956 और नन्दन वुड प्रोडक्टस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कटक, दिनांक 12 मार्च 1980

सं०एस०ओ० 531/80-5429(2)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि नन्दन वुड प्रोडक्टस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम 1956 और ओडिसा ट्रैवलर्स सर्विस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कटक, दिनांक 14 मार्च 1980

सं० एस०ओ० 502/80(2)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर ओडिसा ट्रैवलर्स सर्विस प्राईवेट लिमिटेड का नाम, इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम 1956 और सी माइड फूड इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कटक, दिनांक 14 मार्च 1980

सं०एस० ओ० 660/80-5453(2)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से

तीन मास के अवसान पर सी साईड फूड इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम, इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स एसगी एक्सपोर्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

कटक, दिनांक 14 मार्च 1980

सं० एम०ओ० 720/80-5455(2)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मेसर्स एसगी एक्सपोर्टस प्राईवेट लिमिटेड का नाम, इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और ओरिएण्ट मिनरल्स एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कटक, दिनांक 14 मार्च 1980

सं० एम०ओ० 5455(2)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर ओरिएण्ट मिनरल्स एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिडेट का नाम, इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मीन उल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के विषय में।

कटक, दिनांक 14 मार्च 1980

सं० एम०ओ० 5459(2)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मीन उल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड का नाम, इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और रूरल सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के विषय में।

कटक, दिनांक 14 मार्च 1980

सं० एम०ओ० 755/80-5461(2)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर रूरल सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम, इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मून जीपर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

कटक, दिनांक 14 मार्च 1980

सं० एम० ओ०-631/80-5463(2)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मून जीपर प्राईवेट लिमिटेड का नाम, इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

डी० के० पाल,
कम्पनियों का रजिस्ट्रार
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले में व मै० मालवा धाकर कार्पोरेशन लिमिटेड के मामले में ।

ग्वालियर, दिनांक 15 मार्च 1980

सं० 1047/यादव/989—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अंतर्गत सूचित किया जाता है कि मै० मालवा धाकर कार्पोरेशन लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी समाप्त हो गई है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले में व मै० स्मार्ट इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

ग्वालियर, दिनांक 16 मार्च 1980

सं० 970/यादव/992—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अंतर्गत एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मै० स्मार्ट इण्डिया प्राईवेट लिमिटेट का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उचित कम्पनी समाप्त हो गई है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले में व मै० मोहनलाल एण्ड मोहन लाल (इन्दौर) प्राईवेट लिमिटेड के मामले में ।

ग्वालियर, दिनांक 16 मार्च 1980

सं० 872/यादव/995—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अन्तर्गत एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मै० मोहनलाल एण्ड मोहनलाल (इन्दौर) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी समाप्त हो गई है।

सुरेन्द्र कुमार सक्सेना,
कम्पनी रजिस्ट्रार,
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

आयकर आयुक्त का कार्यालय

कोच्चीन-16, दिनांक 25 फरवरी 1980

आदेश

विषय : संस्थापना, आयकर अधिकारी, श्रेणी 'बी' पदोन्नति का आदेश जारी करना।

सं० 2/एस्ट०/कोण/79-80—निम्नलिखित पदोन्नति और नियुक्ति का आदेश एतद्द्वारा दिए जाते हैं :—

2. श्री जी० जगदीशन, आयकर निरीक्षक, आयकर आयुक्त का कार्यालय, केरल, एरणाकुलम को दिनांक 29-2-1980 के पूर्वाह्न से या उनके कार्यभार लेने की तारीख से, जो बाद में आता है और आगामी आदेशों तक रु० 650-30-740-35-810 -ई० बी०-35-880-40-1000-ई० बी०-40-1200 के वेतनमान में आयकर अधिकारी, श्रेणी 'बी' के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए एतद्द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। वे दो वर्ष कि अवधि तक परिवीक्षा पर होंगे।

3. उपर्युक्त पद की नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी और सामयिक है जो किसी सूचना के बिना ही समाप्त करने लायक है। इनकी नियुक्ति, उच्च न्यायालय केरल में फायल किए हुए मूल याचिका सं० 4023/1978 और सं० 263/1980 एम तथा उच्च न्यायालय, दिल्ली में फायल किए गए सिविल रिट याचिका सं० 25/1979 के फल पर आधारित है।

4. पदोन्नत करके श्री जी० जगदीशन को कर वसूली अधिकारी, कोल्लम के रूप में, 29-2-1980 के अपराह्न से सेवा निवृत्त होने वाले श्री एस० गंगाधरन के स्थान पर नियुक्त किया जाता है। यदि आवश्यक है तो श्री गंगाधरन करवसूली अधिकारी, कोल्लम का कार्यभार, श्री टी० टी० जोसफ, करवसूली अधिकारी, एरणाकुलम को तात्कालिक रूप में सौंप सकते हैं । श्री जी० जगदीशन को कार्यमुक्त करने तक, श्री टी० टी० जोसफ अपने कर्तव्यों के साथ-साथ करवसूली अधिकारी, कोल्लम के अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे।

दिनांक 29 फरवरी 1980

आदेश

विषय : स्थापना-आयकर अधिकारी, श्रेणी 'बी'-पदोन्नति का आदेश जारी करने की बाबत

सं० -2/एस्ट०/कोण/गज/79-80—इस कार्यालय के दिनांक 25-2-1980 के सम संख्यक आदेश के आंशिक संशोधन के अनुसार, श्री जी० जगदीशन, आयकर निरीक्षक, आयकर आयुक्त का कार्यालय, केरल, एरणाकुलम को आयकर अधिकारी श्रेणी 'बी' के रूप में पदोन्नत करके आयकर अधिकारी (विशेष कार्य) आयकर मण्डल, कोल्लम में तैनात किया जाता है।

2. आयकर अधिकारी (विशेष कार्य), आयकर मण्डल, कोल्लम के कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री जी० जगदीशन को स्थानान्तरित करके और श्री टी० टी० जोसफ, कर वसूली अधिकारी, एरणाकुलम को दिये गए अतिरिक्त कार्यभार से विमुक्त करते हुए, कर वसूली अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। श्री जी० जगदीशन 1-3-1980 के पूर्वाह्न से करवसूली अधिकारी, कोल्लम का कार्यभार ग्रहण करेंगे। आयकर अधिकारी के पद पर श्री जी० जगदीशन के पदोन्नति और नियुक्ति के संबंध में इस कार्यालय के दिनांक 25-2-1980 के सम संख्यक आदेश में विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों में परिवर्तन नहीं होगा ।

एम० एस० उण्णिनायर,
आयकर आयुक्त,
केरल-1

नई दिल्ली, दिनांक 21 फरवरी 1980

सं० जुरि०/दिल्ली-1/79-80/43955—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43वां) की धारा 124 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषय पर पहले जारी की गई अधिसूचनाओं में आंशिक परिवर्तन करते हुए आयकर आयुक्त, दिल्ली-1, नई दिल्ली निदेश देते हैं कि आयकर अधिकारी, प्राईवेट वेतन सर्किल-2, का आयकर अधिकारी, प्राईवेट वेतन सर्किल-6 के द्वारा निर्धारित/निर्धारण योग्य व्यक्तियों/मामलों के संबंध में आयकर अधिकारी, प्राईवेट वतन सर्किल-5 के साथ समवर्ती अधिकार क्षेत्र होगा किन्तु उसमें वे मामले शामिल नहीं होंगे जो धारा 127 के अधीन सौंपे गए हों या जो इसके बाद सौंपे जाएं।

कार्यनिष्पादन की सुविधा के प्रयोजन से आयकर आयुक्त, दिल्ली-1, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 124 की उपधारा (2) में अवेक्षित आदेशों को पास करने के लिए निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त रेंज-1-सी को प्राधिकृत भी करते हैं।

यह अधिसूचना 21-2-1980 से प्रभावी होगी।

एम० डब्ल्यू० ए० खान
आयकर आयुक्त, दिल्ली-1, नई दिल्ली

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, 57, रामतीर्थ मार्ग, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 7 मार्च 1980

निदेश सं० पी-78/अर्जन —अतः मुझे, अमरसिंह बिसेन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 1/13/32 है, तथा जो सिविल लाइन, फैजाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फैजाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 21-7-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री राजा जगदम्बिका प्रताप नारायण सिंह

(अन्तरक)

2. श्री प्रहलाद चन्द्र व श्रीमति सुभद्रा
श्रीमती किरन अग्रवाल
श्रीमती सुरेखा अग्रवाल
श्रीमती स्नेहलता अग्रवाल
श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल
श्री गुलाब चन्द्र अग्रवाल
श्री राम निवास अग्रवाल

(अन्तरिती)

3. उपरोक्त विक्रेता व किरायेदार
एडशिनल डिस्ट्रिक्ट जज, फैजाबाद

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. उपरोक्त विक्रेता

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता बहार दिवारी जिसके अन्दर एक मकान मय 60 पेड़ व एक कोठवास जिसका साकनि नं० 4039 हवाई नं० 4167 मकान नगर पालिका नं० 1/3/32 है वाके मोहल्ला सिविल लाइन परगना हवेली, अवध तहसील व शहर फैजाबाद है तथा वह सारी सम्पत्ति जिसका वर्णन सेलडीड और फार्म 37-जी संख्या 1914 में किया गया है जिन दोनों का पंजीकरण सब रजिस्ट्रार फैजाबाद के कार्यालय में दिनांक 21/7/1979 को किया जा चुका है।

अमर सिंह बिसेन,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 7-3-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एम०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 22 फरवरी 1980

निदेश सं० आर-144/अर्जन, —अतः मुझे, अमर सिंह बिसेन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 124 है, तथा जो ग्राम गजरोला, जयसिंह मुरादाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता, अधिकारी के कार्यालय मुरादाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 18-7-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री पदम सिंह
(अन्तरक)
2. श्री रमेश कुमार (बालिग) दिनेश कुमार नरेश कुमार (नाबालिगान) पुत्रगण श्री मुकन्दराम
(अन्तरिती)
3. स्वयं मुकिर
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय म दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि सं० 124 क्षेत्र फल 16 एकड़; 49 डिसमल स्थित मौजा गजरोला, जयसिंह परगना ठाकुरद्वारा, तहसील व जिला मुरादाबाद तथा वह समस्त अचल सम्पत्ति जिसका वर्णन सेलडीड व फार्म 37-जी संख्या 1069 में किया गया है जिनका पंजीकरण सब रजिस्टार मुरादाबाद के कार्यालय में दिनांक 18-7-1979 को हो चुका है।

अमर सिंह बिसेन,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 22-2-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 20 दिसम्बर 1979

निदेश सं० पी० आर० नं० 839 एक्वी० 23/19-7/79-80——अतः मुझे, एस० एन० मण्डल,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० नोंद नं० 4371-बी वार्ड नं० 3 है तथा जो सलाबतपुरा, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 11-7-1979 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:——

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :——

1. (1) मगन भाई, रंगीजदास कांती वाला
(2) नरेन्द्रभाई मगनभाई कांतीवाला
(3) गतानभाई मगनभाई कांतीवाला
(4) प्रकाशभाई, मगन भाई, कांतीवाला
4-2434, सलाबतपुरा, मेन रोड, सूरत।
(अन्तरक)

2. (1) मोहम्मदहुसैन नूरमोहम्मद जरदावाला
(2) वलीमोहम्मद नूरमोहम्मद, जरदावाला
(3) गुलाम मोहम्मद नूरमोहम्मद जरदावाला
(4) अब्दुल मोहम्मद नूरमोहम्मद जरदावाला
3-2677, सलाबतपुरा, मोमनावाड सूरत।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :——

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा :——

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन और मकान जिसका नोंद नं० 4371-बी है, और जो वार्ड नं० 3, सलाबतपुरा सूरत में है, और जो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत द्वारा दिनांक 11-7-79 को रजिस्टर्ड नं० 2622/79, द्वारा रजिस्टर्ड की गई है।

एस० एन० मण्डल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख: 20-12-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ष (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 27 दिसम्बर 1979

निदेश सं० पी० आर० नं० 841, एक्वी० 23/6-1/79-80 अतः मुझे, एस० एन० मण्डल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी आर० एस० नं० 984/1/41 है, तथा जो बड़ौदा कस्बा, प्लाट नं० 46, फ्रेन्डस हाऊसिंग में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बड़ौदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 30-7-1979

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल से पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

1. श्रीमती धर्मबन छोटालाल पटेल
प० ए० होल्डर, श्री सुधीर मगनभाई पटेल,
मालाबार हिल, बम्बई।

(अन्तरक)

2. (1) श्री बिपन चन्द्र राव जी भाई पटेल,
(2) श्रीमती बकुलाबेन, बिपन चन्द्रा पटेल
द्वारा श्री आर० डी० अम्मीन,
मीलन सोसायटी,
न्यू रेसकोर्स रोड, बड़ौदा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जो माप में 13910 स्क्वायर्स फिट है और जिसका आर० एस० नं० 984/1/41 है और जो बड़ौदा कस्बे में है, । इसका प्लाट नं० 46 है जो फ्रेंडस को० आप० हो० सोसायटी लि० अलंकापुरी में है। जमीन दस्तावेज नं० 3768 द्वारा रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी बड़ौदा के कार्यालय में तारीख 30-7-79 को रजिस्टर्ड की गई है।

एस० एन० मण्डल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 27-12-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 23 जनवरी 1980

निदेश सं० पी० आर० नं० 856 एक्वी० 23-II/19-7/79-80—अतः मुझे एस० एन० मन्डल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० नोंद नं० 956, वार्ड नं० 2 है तथा जो नरसिंग शेरी, सग्रामपुरा, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 2-7-1980

पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा का लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री हीरा लाल नाथाभाई धमनवाला जो एच० यू० एफ० के० कर्ता और मैनेजर

(2) जशुबेन हीरालाल धमनवाला।

(3) हरीशभाई, हीरालाल धमनवाला, हीरा मोदीना शेरी, सग्राम पुरा, सूरत।

(अन्तरक)

2. श्री हरीशचन्द्र ठाकोरदास जरीवाला, 2/799, सग्राम पुरा, मेन रोड, सूरत।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन और मकान नोंध नं० 956 वार्ड नं० 2 जो नरसिंग शेरी सग्रामपुरा, सूरत में स्थित है और जो रजिस्ट्री कार्यालय सूरत में नं० 2516 में दिनांक 2-7-79 को रजिस्टर्ड किया गया है।

एस० एन० मान्डल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 23-1-80

मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अमहदाबाद, दिनांक 8 फरवरी 1980

निदेश सं॰ पी॰आर॰ नं॰ 867 ए॰सी॰क्यू॰ 23-II/13-1/79-80—अतः मुझे एस॰ एन॰ मान्डल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 13) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है

और जिसकी प्लाट नं॰ 33, विठ्ठल उद्योगनगर, जी॰ आई॰ डी॰ सी॰ एस्टेट है तथा जो वल्लभ विद्यानगर, (वाया) आनन्द में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, आनन्द में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 20-7-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती से (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. म॰ ओरो मेन्सन इंजीनियर्स कार्पोरेशन थ्रू पार्टनर साविती, के॰ मंजानी और अन्य वल्लभ विद्या नगर, तालुका, आनन्द।

(अन्तरक)

2. मै॰ इन्डट्रीयल इक्वीपमेंटस मैन्युफैक्चर्स। पार्टनर : जसभाई पी॰ पटेल और दूसरे प्लाट नं॰ 33, विठ्ठल उद्योग नगर, जी॰ आई॰ डी॰ सी॰ एस्टेट, वल्लभ विद्या नगर, तालुका आनन्द।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन और इन्डस्ट्रीयल प्लाट नं॰ 33 है जो विठ्ठलउद्योग नगर, जी॰ आई॰ डी॰ सी॰ एस्टेट वल्लभ विद्यानगर, में स्थित है और इनकी रजिस्ट्री रजिस्टर्ड कार्यालय आनन्द में नं॰ 1690, दिनांक 20-7-80 को की गई है।

एस॰ एन॰ मान्डल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

दिनांक 8-2-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 30 जनवरी, 1980

निदेश सं० पी० आर० 863 ए० सी० क्यू० 23-II/1783/79-80—अतः मुझे एस० एन० मांडल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० नोंध नं० 1504, वार्ड नं० 1, है तथा जो गोछो शेरी, नानपुरा, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 6-7-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री केशबेन बामनशा वेरुवाला ,
कांटेक्टर बिल्डिंग, 18 तीसरी मंजिल,
विक्टोरिया, गार्डन रोड, भायखला, बोम्बे-27
(अन्तरक)

2. श्री भगवती लाल दुर्गा शंकर, दवे,
मार्फत, म० बी० डी० दवे, गोधा शेरी,
नानपुरा, सूरत ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन और मकान नोंध नं० 1504 है, जो गोधा शेरी नानपुरा सूरत में स्थित है और रजिस्ट्री रजिस्टर्ड कार्यालय सूरत में नं० 2575/79, दिनांक 6-7-79 को रजिस्टर्ड की गई है ।

एस० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अहमदाबाद

तारीख : 30-1-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 11 फरवरी 1980

सं० पी० आर० 865, ए० सी० क्यू० 23-II/79-80—
अतः मुझे, एस० एन० मांडल,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० 2 भवानी पुर सोसायटी, है तथा जो नाज्ञामपुरा नेशनल हाइवे नं० 8, बड़ौदा, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बड़ौदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 16-7-1979
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल के ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा का लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिकों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मनवाभाई जी पटेल,
पो० ओ० होल्डर, रमेशभाई विट्ठल भाई
52, विट्ठल नगर, सोसायटी कारेली बाग,
बड़ौदा ।
(बड़ौदा)

2. रमेश भाई लालजी भाई पटेल,
नं2 भवानीपुर सोसायटी,
नेशनल हाईवे नं० 8, नीजामपुरा, बड़ौदा ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनसूची

जमीन और मकान भवानीपुर सोसायटी नं० 2 में है और नेशनल हाईवे नं० 8 नाजामपुरा, बड़ौदा में स्थित है जिसकी रजिस्ट्री रजिस्टर्ड कार्यालय बड़ौदा में नं० 3968 दिनांक 16-7-79 को की गई है।

एस० एन० मांडल
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अहमदाबाद

तारीख : 11-2-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ङ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 6 फरवरी, 1980

निदेश सं० पी० आर० 866/ए०सी०मू० 23-II/79-80—अतः मुझे एस० एन० माडल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ङ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० आर० एस० नं० 503 है, तथा जो रेस कोर्स रोड, प्लाट नं० 1, सम्पत राय कालोनी बड़ौदा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी का कार्यालय बड़ौदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 17-7-79 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री हनुभाई अम्बालाल पटेल इस्टर्न सोसायटी फतेहगंज, समारोड, बड़ौदा सीमान्त वालों के पावर आफ अथारिटी है ।
   (1) श्री भूपेन्द्र कुमार नरसिंहभाई पटेल
   (2) श्री दलीप कुमार नरसिंहभाई पटेल
   (3) श्री जगदीश चन्द्र नरसिंहभाई पटेल
   (4) श्री गिरीश कुमार नरसिंहभाई पटेल

   (अन्तरक)
2. भगवान एपार्टमेंट कोआपरेटिव सोसायटी लि० द्वारा हिन्दुस्तान लेन्ड इस्टेट कारपोरेशन महाजन लेन के सामने, रावपुरा, बड़ौदा ।

   (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन आर० एस० नं० 503, प्लाट नं० 1 है जो सम्पतराव कालोनी, रेस कोर्स रोड बड़ौदा में स्थित है । जिनकी रजिस्ट्री रजिस्टर्ड कार्यालय बड़ौदा में नं० 1807, 1808, 2940 और 2941 को दिनांक 17-2-79 को की गई है ।

एस० एन० माडल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, अहमदाबाद

तारीख 6-2-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 15 जनवरी 1980

सं० एसी०क्यू० 23-I 2656(927)/1-1/79-80—अतः मुझे, एस० एन० मांडल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० फायनल प्लाट नं० 517-2-बी, पैकी टी० पी० एस०-3 एलीसब्रीज का० है तथा जो ई-ब्लाक, दूसरा फ्लोर, नं० सी-10, ई-11, ई-12, कैपिटल कोमर्शियल सेन्टर अहमदाबाद का० में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 26-7-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य स उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. मैसर्स साधुराम गोरधनदास,
नेताजी क्लाथ मार्केट, कालुपर कोठली रोग,
अहमदाबाद ।

(अन्तरक)

2. श्री सगीर प्रीवेस जयेन्द्रभाई बारावाला,
महाराष्ट्रा सोसायटी,
मीठाखली ;
एलीसब्रीज, नवरंगपुरा,
अहमदाबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

दफ्तर जो 1635.20 वर्ग मीटर के 1/17 में खड़ी हुई है याने 96.24 वर्ग मीटर अविभक्त, शेयर जिसका फायनल प्लाट नं० 517-2-बी, टी० पी० एस०-3, का० एलीसब्रीज है, जो ई-10, ई-11, ई-12 दूसरी मंजिल पर कैपिटल कर्मशियल सेन्टर आश्रम रोड, अहमदाबाद में स्थित है तथा ता० 26-7-1979 से रजिस्टर्ड बिक्री दस्तावेज में जैसे पूर्ण वर्णन किया गया है ।

एस० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख 15-1-80
मोहर ।

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद
अहमदाबाद, दिनांक 2 फरवरी 1980

सं० ए०सी०क्यू० 2581 (930)/10-1/79-80—अतः मुझे एस० एन० मांडल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० हाउस नं० 548, एम० वार्ड नं० 14, सर्वे नं० 41, है तथा जो दीग्विजय फ्लैट शेरी नं० 7, न्यू इंग्लिश स्कूल के सामने, जामनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जामनगर, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 23-7-1979
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए :

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री रामोदर दास जमनादास
रसीक टीन फैक्टरी,
बेड़ी गली के सामने, जामनगर।
(अन्तरक)

2. मसर्स अनुपम थियेटर्स,
अनुपम थियेटर के मारफत
बेडी की गली के बगर,
जामनगर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ईमारत का ग्राउन्ड फ्लोर का हिस्सा जो 1972 वर्ग फुट जमीन पर खड़ा है जिसका सर्वे नं० 41, मकान नं० 548 है जो दीग्विजय प्लाट शेरी नं० 7, न्यु इंग्लिश स्कूल के सामने जामनगर में स्थित है तथा रजिस्ट्रेशन नं० 1832 ता० 23-7-1979 से रजिस्टर्ड बिक्री दस्तावेज में जैसे पूर्ण वर्णन दिया गया है।

एस० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, अहमदाबाद

तारीख 2-2-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एम०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद
अहमदाबाद, दिनांक 2 फरवरी, 1980

निदेश सं० एसीक्यू०-23-I-2581 (931)/10-1/79-80—अतः मुझे एस० एन० मांडल,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० हाउस नं० 548, एम० वार्ड, नं० 4 सर्वे० 41, है तथा जो दीग्विजय प्लाट, शेरी नं० 7, न्यू इंग्लिश स्कूल के सामने, जामनगर, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जामनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 23-7-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय का किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) का उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री दामोदर दास जमनादास
रसीक टीन फैक्टरी,
बेडी गली, जामनगर ।
(अन्तरक)

2. श्री जमनादास लालजी सोलंकी,
दिग्विजय प्लाट, शेरी नं० 7, न्यू इंग्लिश स्कूल के सामने,
जामनगर ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

ईमारत की पहली मंजिल जो 1792 वर्ग फुफुट जमीन पर खड़ी है, जिसका सर्वे नं. 41,हाउस नं० 548 है जो दिग्विजय प्लाट, शेरी नं० 7, न्यू इंग्लिश स्कूल के सामने, जामनगर में स्थित है तथा रजिस्ट्रेशन नं० 1833 दिनांक 23-7-1979 से रजिस्टर्ड बिक्री दस्तावेज में जैसा पूर्ण वर्णन दिया गया है।

एस० एन० मण्डल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज,-I, अहमदाबाद

तारीख : 2-2-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 2 फरवरी 1980

निदेश सं० ए०सी०क्यू० 23-I-2918(932)/16-3-/79-80—अतः मुझे, एस० एन० मांडल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं० 21 पैकी है तथा कणकिया प्लाट, जैतपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जैतपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक जुलाई, 1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

1. श्री जमनादास हमीरभाई सोनी,
सान्ता नेक्सस, एस० वी० रोड,
त्रिवेणी, बी०-3, ग्राउन्ड फ्लोर,
बम्बई-54

(अन्तरक)

2. श्री बावणजी झकाभाई,
स्टेशन प्लाट, धोराणी,
जिला राजकोट ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

खुली जमीन प्लाट नं० 21, पैकी 300 वर्ग गज, क्षेत्रफल वाली जमीन जो कणकीया प्लाट, जैतपुर में स्थित है तथा रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जैतपुर द्वारा बिक्री दस्तावेज नं० 101/573/222/जुलाई, 1979 से रजिस्टर्ड किया गया है माने प्रापर्टी का जैसे पूर्ण वर्णन किया गया है ।

एस० एम० मांडल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 2-2-1980
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 2 फरवरी, 1980

निदेश सं० ए०सी०क्यू० 23-I-2918(933)/16-3/79-80—अतः मुझे, एस० एन० मांडल,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० प्लाट नं० 21, पैकी है तथा जो काणकीया प्लाट, जैतपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जैतपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908(1908 का 16) के अधीन दिनांक जुलाई, 1979
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बचाने उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री बाबूलाल वल्लभ दास गठिया,
एस० वी० रोड, त्रिवेणी बी-3, ग्राउन्ड फ्लोर,
सान्ताक्रुज, बम्बई-54।
(अन्तरक)

2. श्री बावनजी एकाभाई, गठिया,
स्टेशन प्लाट, धोराजी,
जिला राजकोट।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन प्लाट नं० 21, 300 वर्ग गज, क्षेत्र फल वाली, जो काणकीया प्लाट जैतपुर में स्थित है, तथा रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जैतपुर द्वारा बिक्री वस्तावेज नं० 102/674/223/जुलाई, 1979 से रजिस्टर्ड हुआ है याने उसमें प्रापर्टी का जैसे पूर्ण वर्णन दिया गया है।

एस० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख 2-2-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 6 फरवरी 1980

निदेश सं० एसी क्यू०-23-I-2625(942)/16-6/79-80—अतः, मुझे, एस० एन० मण्डल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० औद्योगिक इमारत "सुपर इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन" नाम से प्रख्यात है तथा जो मवडी प्लाट स्ट्रीट नं० 1 और 7, रेलवे क्रासिंग के पास, राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक जुलाई, 1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री भगवतीप्रसाद नवलशंकर भाई व्यास, सर लाखाजी रोड, राजकोट ।

(अन्तरक)

2. सुपर इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन भागीदार श्री वल्लभदास जेठाभाई के मारफत मवडी प्लाट, शेरी नं० 1 एण्ड 7, रेलवे क्रासिंग के पास, राजकोट ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय-20क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

औद्योगिक इमारत जो "सुपर इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन" नाम से प्रख्यात है और जो 550-3-134 वर्ग गज जमीन पर खड़ा है तथा पटेल बाबा करशन के प्लाट, मवडी प्लाट, स्ट्रीट नं० 1 और 7 (रेलवे क्रासिंग के पास) राजकोट में स्थित है जो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी राजकोट द्वारा बिक्री दस्तावेज नं० 1036/जुलाई, 1979 से रजिस्टर्ड किया गया है याने प्रापर्टी का जैसे उसमें वर्णन दिया गया है ।

एस० एन० मण्डल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज I, अहमदाबाद

तारीख : 6-2-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 11 फरवरी, 1980

निदेश सं० एसी क्यू०23-I 2619(943)/16-6/79-80—अतः, मुझे, एस० एन० मंडल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० लेख नं० 132 तथा 336-प्लाट नं० 75, दो मंजिल की इमारत है तथा जो रामनगर, कॉमर्स कालिज के पास, गोंडल रोड, राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 24-7-1979

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, यह तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री शांतीलाल गोकल दास पंचासरा,
29-डी, इन्डस्ट्रीयल एस्टेट,
राजकोट-2 ।
(अन्तरक)

2. श्री रमणीकलाल हरगोविन्ददास सवाणी,
के० आर० इन्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन के मारफत
भक्तिनगर, स्टेशन रोड, नं० 2,
राजकोट-2 । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

दो मंजिला की ईमारत जो 264.88 वर्ग मीटर जमीन पर खड़ा है जिसका लेख नं० 132 तथा 336 पैकी जो रामनगर राजकोट में स्थित है जो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी राजकोट द्वारा बिक्री दस्तावेज नं० 4310/24-7-1979 से रजिस्टर्ड किया गया है याने प्रापर्टी का जैसे पूर्ण वर्णन उसमें दिया गया है ।

एस० एन० मंडल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 11-2-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 15 फरवरी 1980

निदेश सं० पी० आर० नं० 871, एसीक्यू० 23-II/79-80—अतः, मुझे, एस० एन० मंडल
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं० नोंध नं० 2541-ए-3-25, वार्ड नं० 11 है तथा जो मच्छली पीथ, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 30-7-1979
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. (1) केर्शबेन अरदेशा जामनजी दास्तुर चिकलवाडी, तारदव रोड, बम्बई।
(2) शेमी उर्फ येस्मनजी मिस्त्री चिकलवाडी, तारदव रोड, बम्बई।
(3) नौशीरवान अरदेशा दास्तूर, मछलीपीठ, सूरत। (अन्तरक)

2. (1) श्री कन्हैया लाल सुन्दर लाल कंसारा,
(2) श्री नवीनचन्द्रा सुन्दर लाल कंसारा,
(3) श्री राजेन्द्रा सुन्दरलाल कंसारा,
(4) श्री अशोक चन्द्रा सुन्दरलाल कंसारा, खांड बाजार, लाल गेट, सूरत। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मीलका नोंध नं० 2541-ए-3-2, वार्ड नं० 11 है जो सूरत में स्थित है और रजिस्ट्री रजिस्टर्ड कार्यालय सूरत में नं० 2868/79 से दिनांक 30-7-79 को की गई है।

एस० एन० मण्डल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 15-2-80
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 23 फरवरी 1980

निर्देश सं० पी० आर० नं० 872 एसीक्यू०-23-II/79-80—यतः, मुझे, एस० एन० मण्डल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० नोन्ध नं० 380 वैकी मालयता है, तथा जो सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. (1) श्रीमती लीला गौरी छबीलदास उर्फ अश्रुमती हिमतलाल सीमवाला श्याम भवन, चीरा बाजार बम्बई-2
   (2) श्रीमती बावलीबेन चन्द्रकांत रेणम दलाल मुरली भगवान निवास, खेतवाड़ी, बम्बई-4
   (अन्तरक)
2. (1) श्री मुहम्मद कासिम अलीभाई अहमदाबादी
   (2) श्री मोहम्मद हाफिम अलीभाई अहमदाबादी
   (3) श्री मोहम्मद सिदीक अलीभाई अहमदाबादी
   (4) मोहम्मद सलीम अलीभाई अहमदाबादी
   रानी तालाब, मुख्य रोड, बम्बई
   (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भिलकत नोंध नं० 380 वार्ड नं० 12 है जो रानी तालाब सूरत में स्थित है और रजिस्ट्री रजिस्टर्ड कार्यालय सूरत में दिनांक 19-7-79 को नं० 1583 से रजिस्टर्ड की गई है।

एस० एन० मण्डल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 23-2-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 23 फरवरी 1980

निर्देश सं० पी० आर० नं० 873 ए० सी० क्यू०-23-II/79-80——यतः, मुझे, एम० एन० मण्डल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० मिलकत आर० एस० नं० 22/2 है, तथा जो वेद रोड सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 9-7-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों), के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा; के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री बाबूभाई केशवभाई
   (2) टेकरा फालिया, कटारगाम, सूरत
   (3) श्रीमती वसुमती बाबुभाई
   (3) श्री हेमन्त कुमार बाबुभाई
   टेकरा फालिया, कटारगाम, सूरत

(अन्तरक)

2. त्रिभुवन नगर को-आप० हाऊसिंग सोसायटी लि०, सेक्रेटरी श्री जगदीश चन्द्र चमपक लाल सुढिवाला प्रमुख : श्री जगजीवन भाई पराग भाई पटेल 4/780, धामिया हाउस टावर रोड सूरत (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन और मकान आर० एस० नं० 22/2 गांव टुकी वेद रोड, सूरत में स्थित है और रजिस्ट्री रजिस्टर्ड कार्यालय सूरत में नं० 2608/79 से दिनांक 9-7-1979 को रजिस्टर्ड की गई है।

एम० एन० मण्डल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, अहमदाबाद

तारीख : 23-2-1980
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 26 फरवरी 1980

निर्देश सं॰ पी॰ आर॰ नं॰ 874 ए॰ सी॰ क्यू॰ 23-II/79-80—यत:, मुझे, एस॰ एन॰ मांडल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है

और जिसकी सं॰ नोंध नं॰ 3014 वार्ड नं॰ 2 है, तथा जो सग्रामपुरा सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 4-7-799

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री गुलामनबी सीधु भाई
(2) श्री गुलाम मोहयुद्द गुलामनबी
(3) श्री गुलाम रसूल गुलामनबी
(4) श्रीमती मायरा बीबी गुलामनबी हीरीपुरा कांसकीवाड़, सूरत

(अन्तरक)

2. (1) श्री मोहम्मद सैयद गुफीम मुस्तफा
(2) श्री उस्मानगनी मंजिल मुस्तफा
2/3014, सग्रामपुरा बड़ी मस्जिद के पास सूरत

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मलकियत नोंध नं॰ 3014, वार्ड नं॰ 2 सग्रामपुरा सूरत में स्थित है और रजस्ट्री रजिस्टर्ड कार्यालय, सूरत में नं॰ 1740 दिनांक 4-7-1979 को की गई है।

एस॰ एन॰ मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 26-2-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 26 फरवरी 1980

निर्देश सं० पी० आर० नं० 875 ए० सी० क्यू०-23-II/79-80—यतः, मुझे, एस० एन० मांडज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० एम० नं० 870-A-1-1, 871-2+3+4, 872 है, तथा जो पारडी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पारडी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 16-7-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री हंसमुखलाल नगनदास शाह पारडी
(अन्तरक)

2. श्री गायत्री विकास पुंज भागीदार श्री विनोदराय सोमाभाई नायक पारडी
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन 2 एकर 17–23 गुंठा एम० नं० 870-A-1-1, 871, 869–2+3+4 और 872 है जो पारडी में स्थित है और रजिस्ट्री कार्यालय पारडी में रजिस्टर्ड दिनांक 16-7-79 को की गई है।

एस० एन० मांडज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II अहमदाबाद

तारीख : 26-2-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 22 फरवरी 1980

निर्देश सं० ए० सी० क्यू०-23-3-2689(944)/16-6 79-80—यतः, मुझे, एस० एन० मांडल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० दीवानपुरा रोड पर है, तथा जो दीवानपुरा रोड, राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का, 16) के अधीन, तारीख 23-7-1979

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री जे० जी० मोदी रेस कोर्स सोसायटी राजकोट (अन्तरक)

2. श्री जयन्तीलाल गोरधनदास मोदी 6, दीवानपुरा, राजकोट (टी० नं० 25040 तथा 26984) (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

इमारत जो 312–84 वर्ग गज जमीन पर खड़ी है तथा 6, दीवानपुरा राजकोट में स्थित है तथा रजिस्ट्रेशन सं० 4591 दिनांक 23-7-1979 से रजिस्टर्ड बिक्री दस्तावेज में जैसे पूर्ण वर्णन दिया गया है ।

एस० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 22-2-1980
मोहर यः

प्रारूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 23 फरवरी 1980

निर्देश सं० एसी० क्यू०-I-23-3-2654(945)/1-1/79-80—यतः, मुझे, एस० एन० मण्डल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सब प्लाट नं० 1-ए, सर्वे नं० 389, फायनल प्लाट नं० 61, टी० पी० एस० 12 का है, तथा जो असाखा, अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-7-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उस से बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अहमदभाई रमसान भाई सोदागर नी पोल, कालुपुर, अहमदाबाद ।

(अन्तरक)

2. केतन को० ओपरेटिव इण्डस्ट्रियल एस्टेट, चेयरमैन—सुरेशचन्द्र जयन्तीलाल के मारफत 677/10, बालाभाई गिरधरलाल मारकेट क्रास लाइन, रिलीफ रोड, अहमदाबाद ।

(अन्तरिती)

4. सरस्वती मेन्युफैक्चरिंग वर्क्स असाखा, अहमदाबाद ।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका क्षेत्रफल 924 वर्ग गज है जिसका सर्वे नं० 389, सब प्लाट नं० 1 ए०, फायनल प्लाट नं० 61 टी० पी० एस० 10 का जो असाखा, अहमदाबाद में स्थित है तथा रजिस्ट्रेशन नं० 8401 दिनांक 26-7-1979 से रजिस्टर्ड बिक्री दस्तावेज में जैसे पूर्ण वर्णन दिया गया है ।

एस० एन० मण्डल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 23-2-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 23 फरवरी 1980

निर्देश सं० ए० सी० क्यू०-23-3-2654 (946)/1-1/78-80—यतः, मुझे, एस० एन० मांडल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- से अधिक है

और जिसकी सं० फायनल प्लाट 61, सब प्लाट नं० 2ए, टी० पी० एस० 12 का है, तथा जो असाखा, अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-7-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री इस्माइल भाई रमजानभाई मनवाली पोल, मंडे पोल कालुपुर अहमदाबाद

(अन्तरक)

2. केनन को० आपरेटिव इण्डस्ट्रियल एस्टेट लिमिटेड चेयरमैन—सुरेशचन्द्र जयन्तीलाल के मारफत 677/10, बालाभाई गिरधरभाई मारकेट, क्रोस लाइन, रिलीफ रोड, अहमदाबाद

(अन्तरिती)

4. सी० जे० इन्डस्ट्रीस असाखा अहमदाबाद (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन का प्लाट जिसका क्षेत्रफल 924 वर्ग गज है जिसका फायनल प्लाट नं० 61, सब प्लाट नं 2 ए, टी० पी० एस०ब12 का जो असाखा अहमदाबाद में स्थित र तथा रजिस्ट्रेशन नं० 8402 दिनांक 26-7-1979 से रजिस्टर्ड बिक्री दस्तावेज में जैसे पूर्ण वर्णन दिया गया है।

एम० एम० मांडल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, अहमदाबाद

तारीख : 23-2-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा-269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 23 फरवरी 1980

निर्देश सं० ए० सी० क्य० 23-27-2654 (945)/1/1 79-80—यतः, मुझे, एस० एन० मांडल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे नं० 389, फायनल प्लाट नं० 61, सब प्लाट नं० 3-ए, टी० पी० एस० 12 का है, तथा जो असाखा, अहमदाबाद, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-7-1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण म, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री अब्दुलकरीम रमसानभाई होम स्वीट होम, मिरझापुर पुलिस चौकी के सामने अहमदाबाद (अन्तरक)

2. केतन को०-आप० इंडस्ट्रीयल एस्टेट लिमिटेड, चेयरमैन सुरेशचन्द्र जयन्तीलाल के मारफत 677/10, बालाभाई मारकेट, क्रोस लाइन, स्टेशन रोड, से अहमदाबाद (अन्तरिती)

4. सागा इंडस्ट्रीस असाखा, अहमदाबाद (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का खुला प्लाट जिसका क्षेत्रफल 1115 वर्ग गज है जिसका सर्वे नं० 389 फायनल प्लाट नं० 61, सब प्लाट नं० 3 ए, टी० पी० एस० 12 का जो असाखा, अहमदाबाद में स्थित है तथा रजिस्ट्रेशन नं० 8403 दिनांक 26-7-1979 को रजिस्टर्ड बिक्री दस्तावेज में जैसे पूर्ण वर्णन किया गया है।

एस० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 23-2-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 23 फरवरी, 1980

सं० ए० सी० क्यू०—23-I-2654 (948)/1-1/79-80—अतः, मुझे, एस० एन० मांडल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 389, फायनल प्लाट नं० 61, सब प्लाट नं० 7, टी० पी० एस० 12 का है तथा जो असारवा अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-7-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती साबेरा बेन रमजानभाई, धुलियाली पोल, कालुपुर, अहमदाबाद। (अन्तरक)

2. किरन को-ओ-आपरेटिव इण्डस्ट्रियल एस्टेट लिमिटेड चेयरमैन—सुरेशचन्द्र जयंतीलाल के मारफत 677/10, बालाभाई गिरधरलाल मार्केट, प्रेस लाईन अहमदाबाद। (अन्तरिती)

4. (1) मैसर्स विजया वुड वर्क्स तथा

(2) आर० के पटेल एण्ड कं०। (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन का प्लाट जिसका क्षेत्रफल 1847 वर्ग गज है जिसका सर्वे नं० 389, फायनल प्लाट नं० 61 सब प्लाट नं० 7 टी० पी० एस०-12 का जो असारवा अहमदाबाद में स्थित है तथा रजिस्ट्रेशन नं० 8404 दिनांक 26-7-1979 से रजिस्टर्ड बिक्री दस्तावेज में जैसे पूर्ण वर्णन किया गया है।

एस० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 23-2-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 26 फरवरी 1980

सं० एसीक्यू०–23–I–2661(949)/1–1/ 79-80––अत: मुझे, एस० एन० मांडल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 468 फायनल प्लाट –20–ए टी० पी० एस० 24 का है तथा जो राजपुर-हीरपुर सीटी तालुका अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 20–7–1979

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :––

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :––

1. श्री हरीभाई बालाभाई रबारी, गांव-नलांडा, तालुका-धोलका, जिला-अहमदाबाद। (अन्तरक)

2. (1) श्री रमणलाल चुनीलाल पटेल
(2) श्री देवेन्द्र रमणलाल पटेल
(3) श्री शरद रमणलाल पटेल
(4) श्री राजेश रमणलाल पटेल 154, मकेरीवाड, रायपुर, अहमदाबाद। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :––

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :––इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन का प्लाट जिसका क्षेत्रफल 414 वर्ग गज है जिसका सर्वे नं० 468, फायनल प्लाट नं० 20 ए०, टी० पी० एस० 24 का जो राजपुर-हीरपुर, सीटी तालुका अहमदाबाद में स्थित है तथा रजिस्ट्रेशन नं० 7808 दिनांक 20–7–1979 से रजिस्टर्ड बिक्री दस्तावेज में जैसे पूर्ण वर्णन किया गया है।

एस० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–I, अहमदाबाद

तारीख : 26-2-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 26 फरवरी 1980

सं० ए० सी० क्यू०-23-I-2349(950)/11-2/79-80—अतः, मुझे, एस० एन० मांडल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 572 है तथा जो केशोद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, केशोद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 25-7-1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. राना गोवा वनपरीया, केशोद। (अन्तरक)

2. माया जिना करोड़ा खमीदाना, ता० केशोद। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि विषयक जमीन जिसका क्षेत्रफल 17 एकड़ 25 गुंठ सर्वे नं० 572 है जो केशोद जिला जुनागढ़ की पश्चिम साईड में स्थित है तथा रजिस्ट्रेशन नं० 810-जुलाई, 1979 में रजिस्टर्ड बिक्री दस्तावेज में जैसे पूर्ण वर्णन दिया गया है।

एस० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 26-2-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज—, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 26 फरवरी, 1980

सं० ए० सी० क्यू०—23—2530(951)/11—3/79—80—अतः मुझे, एस० एन० मांडल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे नं० 122, है तथा जो कंकासा, तालुका मांगरोल, जिला—जूनागढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मांगरोल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 16—7—1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या न किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. विप्र रमणीक लाल वृन्दावनदास ठाकर कंकासा, तालुका—मांगरोल, जिला—जूनागढ़ । (अन्तरक)

2. श्री भारेर गोविंद वेजानंद चाचा कंकासा, तालुका—मांगरोल। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि की जमीन जिसका क्षेत्रफल 5 एकड़ 31 गुठा, सर्वे नं० 122 है जो कंकासा तालठका मांगरोल जिला जूनागढ़ में स्थित है तथा रजिस्ट्रेशन नं० 548 दिनांक व16—7—1979 से रजिस्टर्ड बिक्री दस्तावेज में जैसे पूर्ण वर्णन दिया गया है।

एस० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज—I, अहमदाबाद

तारीख : 26—2—1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 1 मार्च 1980

सं० ए० सी० क्यू०-23-I-2550(952)/5-5/79-80—अतः मुझे, एम० एन० मांडल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 230/1 है तथा जो नवागाम, शिहोर तालुका, जिला भावनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, शीहोर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई-1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया, प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. सर्वश्री (1) रामशंग लक्ष्मण,
   (2) हरीभाई रामशंग,
   (3) बपाभाई रामशंग,
   (4) भुवनभाई रामशंग,

नवागाम, तालुका-शिहोर, जिला-भावनगर। (अन्तरक)

2. श्री रावजीभाई चुनीभाई अमीन, 83, उर्मी सोसायटी न्यू इण्डिया मिल्स के पीछे, बड़ोदरा-390 005। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके उक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का खुला प्लाट जिसका क्षेत्रफल 7 एकड़ 02 गुंठा है जो गांव नवागाम तालुका : शिहोर जिला भावनगर में स्थित है तथा नं० 425 जुलाई, 1979 में, रजिस्टर्ड बिक्री दस्तावेज में जैसे पूर्ण वर्णन किया गया है।

एम० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 1-3-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 3 मार्च 1980

सं० ए० सी० क्यू० 23—2549(953)/5-5/79-80—अतः मुझे, एस० एन० मांडल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 37-1, है तथा जो गांव लोलीयाणा, तालुका वल्लभीपुर, जिला भावनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, शिहोर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ती का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरीती (अन्तरीतियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. (1) श्री कुमारपाल प्रेमचन्दभाई शाह, तथा
   (2) मानवंती बेन अमृतलाल शाह, वल्लभीपुर।
   (अन्तरक)
2. श्री सुरेशभाई भाणजीभाई राठोड, वल्लभीपुर।
   (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि सम्बन्धी जमीन जिसका क्षेत्रफल 15 एकड़, 16 गुंठा, सर्वे नं० 37 है जो गांव लोलीयाणा तालुका-वल्लभीपुर जिला-भावनगर तथा रजिस्ट्रेशन नं० 108 जुलाई, 1979 से रजिस्टर्ड बिक्री दस्तावेज में जैसे पूर्ण वर्णन दिया गया है।

एस० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज- , अहमदाबाद

तारीख : 3-3-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 3 मार्च, 1980

सं० ए० सी० क्यू०-23-I-2549(954)/5-5/79-80--अतः मुझे, एस० एन० मांडल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 37, है तथा जो गांव लोलीयाणा तालुक-बल्लभीपुर, जिला-भावनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, शीहोर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 2-7-1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति

के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--

1. श्री कुमारपाल प्रेमचन्दभाई शाह तथा मानवंतीबेन अमृतलाल, बल्लभीपुर। (अन्तरक)

2. श्री भगवानभाई जिवणभाई परमार, लाखनका, तालुका-बल्लभीपुर, जिला-भावनगर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खेती सम्बन्धी जमीन जिसका क्षेत्रफल 6 एकड़ 0 गुंठा सर्वे नं० 37 है जो गांव लोलीयाणा तालुका बल्लभीपुर जिला भावनगर में स्थित है तथा रजिस्ट्रेशन नं० 107 ता० जुलाई 1979 के रजिस्टर्ड बिक्री दस्तावेज में जैसे पूर्ण वर्णन दिया गया है।

एस० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 3-3-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 4 मार्च 1980

सं० ए० सी० क्यू०-23-I-2533(955)/11-1/79-80——अतः मुझे, एस० एन० मांडल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 8 पैकी खेती सम्बन्धी जमीन—4 एकड़ 3 गुंठा है तथा जो गांव दोलतपरा जिला जूनागढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जूनागढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 11-7-1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य के कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री भीखाभाई भगसाली तथा अन्य गांव दोलतपरा जिला-जूनागढ़। (अन्तरक)

2. श्री करमणी लंखाभाई सापरिया मजेवाड़ी गेईट के बाहर, जूनागढ़। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खेती संबंधी जमीन जिसका क्षेत्रफल 4 एकड़ 3 गुंठा है जो गांव दोलतपरा जिला जूनागढ़ में स्थित है तथा रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा बिक्री दस्तावेज नं० 1237/11-7-1979 से रजिस्टर्ड किया गया है याने उसमें जैसे प्रापर्टी का पूर्ण वर्णन किया गया है।

एस० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 4-3-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 4 मार्च 1980

सं० नं० ए० आर० नं० 889–एक्वि०/23–6–1/79–80—अत: मुझे, एस० एन० मांडल,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० सर्वे 143/1, आखरी प्लाट नं० 202 है तथा जो सं० नं० 14/1 नझामपुरा, बड़ौदा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बड़ौदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 30–7–1979
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती गंगाबेन दामोदरभाई कलयानभाई की विधवा औरत निझामपुरा, बड़ौदा। (अन्तरक)

2. प्रेसीडेंट, विठ्ठल कृपा को०-आप० हा० सोसायटी लि० निझामपुरा, बड़ौदा। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जो माप में 6080 वर्ग मीटर्स है और जो सं० नं० 143/1 निझामपुरा एरिया बड़ौदा में है। यह जमीन सेल डीड नं० 4151 और 4152 द्वारा रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी बड़ौदा के कार्यालय में ता० 30–7–1979 को रजिस्टर्ड की गई है।

आर० एस० मांडल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–II, अहमदाबाद

तारीख : 4–3–1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 4 मार्च 1980

निदेश सं० पी० आर० नं० 890 एक्वि०/23-6-1/79-80—अतः मुझे, एस० एन० मांडल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० सी० एस० नं० 59, टी० पी० एस० नं० 12 प्लाट नं० 150 है तथा जो निझामपुरा, बड़ौदा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बड़ौदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 20-7-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति

के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री भगवानभाई रामभाई
(2) श्री कान्तिलाल रामभाई, निझामपुरा, बड़ौदा।
(अन्तरक)

2. प्रेसीडेंट पार्श्वनाथ को-आप० हा० सो० लि०, पत्थर गेट, अमृत निवास, मोती तंबोलीवाड, बड़ौदा।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन 1 एकड़ और 25 गुंठा जो निझामपुरा, बड़ौदा में है और जिसका सी० एस० नं० 59 और टी० पी० एस० नं० 12 है और जिसका प्लाट नं० 150 है। यह जमीन दस्तावेज नं० 4031 द्वारा ता० 20-7-1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, बड़ौदा द्वारा, रजिस्टर्ड की गई है।

एस० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, निरीक्षण
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 4-3-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 27 फरवरी 1980

निदेश सं० पी० आर० नं० 876/एक्वि० 23-II/79-80—अतः मुझे, एस० एन० मांडल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० रेव० एस० नं० 237 पैकी प्लाट नं० 15 और 22 है तथा जो विजलपुर, आशापुरी रोड, नवसारी में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नवसारी में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 17-7-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मगनभाई माधवभाई अमीन प्रेमी भुवन, कृष्णा सोसायटी, नवसारी। (अन्तरक)

2. श्री बावनजीभाई अल्लीभाई कुकडिया, कृष्ण नगर अपार्टमेंट, लुन्सीकुई, नवसारी। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका रेव० एस० नं० 237 पैकी प्लाट नं० 15 और 22 है और जो विजलपुर, आशापुर रोड, नवसारी में है। यह जमीन माप में 10331 चोरस फिट है। और जो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवसारी द्वारा ता० 19-7-79 को रजिस्टर्ड की गई है।

एस० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 27-2-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 27 फरवरी 1980

निदश सं० पी० आर० नं० 877/एक्वि० 23–II/79–80—अतः मुझे, एस० एन० मांडल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० घर नं० 236, वार्ड नं० 2, टीका नं० 6/2 है तथा जो जमशेदबाग के सामने नवसारी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नवसारी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 24–7–79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती वासन्तीबेन रामभाई भक्त, जमशेद बाग के सामने, चारपुल, नवसारी। (अन्तरक)

2. श्री गुलामकादर मोहमदभाई फूटवाला, श्री इकबाल हुसैन मोहमदभाई फूटवाला, टाटा स्कूल रोड, नवसारी।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जो हस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन और मकान जिसका घर नं० 236 और वार्ड नं० 2 है और जो जमशेद बाग, नवसारी में है, यह मलकीयत रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवसारी के कार्यालय में ता० 24–7–1979 के दिन रजिस्टर्ड की गई है।

एस० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–II, अहमदाबाद

तारीख : 27–2–1980

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एम०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 1 मार्च 1980

निदेश सं० पी० आर० नं० 879/एक्वि०–23–4–3/79–80—अतः मुझे, एस० एन० मांडल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 16 की अतिरिक्त जमीन है तथा जो मोजमपुर भरुच में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भरुच में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 18–7–79

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री महमद इसा आदम मीठा कासक, भरुच। (अन्तरक)

2. सेक्रेटरी एवं मंत्री श्री दीपक कांतिलाल शाह, प्रीतम सोसायटी, भरुच। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसकी सर्वे नं० 16 है और जो मोजमपुर, भरुच में है। यह जमीन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भरुच के कार्यालय में ता० 18–7–79 को रजिस्टर्ड नं० 1071 द्वारा रजिस्टर्ड की गई है।

एस० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–II, अहमदाबाद

तारीख : 1–3–1980
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 1 मार्च 1980

सं० एफ० नं० पी० आर० नं० 880 एक्वि० 23/4–3/79–80—अतः मुझे, एस० एन० मांडल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है।

और जिसकी सं० स० नं० 16 कि अतिरिक्त जमीन है तथा जो मोजमपुर भरुच में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता के अधिकारी के कार्यालय भरुच में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 23-7-1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिति (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती कांतिबेन इसा आदम मीहा कासक भरुच। (अन्तरक)

2. सेक्रेटरी एवं मंत्री श्री दीपक कांति लाल शाह प्रितम सोसायटी भरुच। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका स० नं० 16 है और जो मोजमपुर भरुच में है। यह जमीन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भरुच में है । यह जमीन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भरुच के कार्यालय में ता० 23–7–79 को रजिस्टर्ड नं० 1091 द्वारा रजिस्टर्ड की गई है।

एस० एन० मन्डल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–II, अहमदाबाद

तारीख : 1–3–1980

मोहर:

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 3 मार्च 1980

निदेश सं॰ पी॰ आर॰ नं॰ 881 एक्वि॰ 23/19–7/79–80—अतः, मुझे एस॰ एन॰ मांडल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है

और जिसकी सं॰ नोंद नं॰ 1936/ए, अतिरिक्त जमीन है तथा जो कैलास नगर सोसायटी माजुरा सुरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सुरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 9–7–1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती निर्मलाबेन सुमेरचन्द्र शाह गोपपुरा, भन्साली पोल, सुरत। (अन्तरक)

2. (1) प्रेसीडेन्ट जमेस को॰ आप॰ हा॰ सोसायटी की श्रीमती विलासबेन हरीलाल मोदी 24, स्वाती सोसायटी, नानपुरा, सुरत।

(2) मंत्री श्री प्रेमचन्दभाई बी॰ द्रोसी, गोपीपुरा, सुरत। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जो मजुरा, कैलासनगर सोसायटी सुरत में है। जिसकी नोंद नं॰ 1936/ए है। यह जमीन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सुरत के कार्यालय में ता॰ 9–7–1979 को रजिस्टर्ड की गई है।

एस॰ एन॰ मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–II, अहमदाबाद

तारीख : 3–3–1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, अहमदाबाद

अहमदाबाद दिनांक 3 मार्च 1980

निदेश सं० पी० आर० नं० 882एक्वी23-19-7/79-80—अतः मुझे, एस० एन० मांडल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है, और जिसकी सं० नोंध नं० 2/1936/ए को अतिरिक्त जमीन है तथा जो मजूरा, कैलासनगर सोसायटी, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूचि में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 9-7-1979 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री नवीनचंद चिमनलाल शाह, गांजावाला एपार्टमेंट, बोरीवाली (वेस्ट) बम्बई ।

(अन्तरक)

(2) प्रमुख श्रीमती विलासबेन हरीलाल मोदी, 24, स्वाति सोसायटी, नानपुरा, तिमलीआवाड, सूरत ।

मंत्री : श्री प्रेमचंद भाई भोगी लाल दोशी, गोपीपुरा लालाजीवा मंदिर के द्वारा जयेश को० आप० हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, सूरत ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन जिसका नोंध नं० 2/1936/ए है और जो मजूरा कैलासनगर सोसायटी, सूरत में है । यह जमीन ता० 9/7/79 को रजिस्टर्ड की गई है ।

एस० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II, अहमदाबाद

दिनांक : 3 मार्च 1980
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 3 मार्च 1980

निदेश सं० पी० आर० नं० 883 एक्वी 23-19-7/79-80—अतः मुझे, एस० एन० मांडल,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और
जिस की सं० सर्वे नं० 468 की अतिरिक्त जमीन है तथा जो कतारगाम सूरत, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सुरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 31-7-79
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री कुबेरभाई धनजीभाई पटेल, गोटलावाडी, कतारगाम सूरत ।

(अन्तरक)

(2) 1. श्री पुरसोतम जवाहरलाल पटेल,
2. श्री जयंती लाल रामजीभाई पटेल, प्रभुनगर को आप० हा० सोसायटी लि० सैयदपुरा, सूरत ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन जो कतारगाम सूरत में है। जिसका सर्वे नं० 468 है। यह जमीन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत द्वारा ता० 31-7-79 को रजिस्टर्ड की गई है।

एस० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II, अहमदाबाद

तारीख : 3-3-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 3 मार्च 1980

निदेश नं० पी० आर० नं० 884 एक्सी 23/4-1/79-80—

अतः मुझे, एस० एन० मान्डल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिस की सं० नं० 184/2 है तथा जो गडखोल ता० अंकलेश्वर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूचित में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अंकलेश्वर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 31-7-79

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री करसनभाई गमन भाई गडखोल, ता० अंकलेश्वर (अन्तरक)

(2) श्री अंबालाल चीमनलाल गांधी और दूसरे अंकलेश्वर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील के 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जो गडखोल में है और तालुका अंकलेश्वर है। जिसका सं० नं० 184/2 है। यह जमीन रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी द्वारा अंकलेश्वर में ता० 31-7-1979 को रजिस्टर्ड की गई है।

एस० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II, अहमदाबाद

दिनांक : 3 मार्च 1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 3 मार्च 1980

निदेश नं० पी० आर० नं० 885 एक्वी० 23/4-1/79-80—

अतः मुझे एस० एन० मान्डल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिस की सं० नं० 184/1+3, (जमीन) है। तथा जो गडखोल ता० अंकलेश्वर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अंकलेश्वर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 31-7-79 को

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री फकीरभाई देवसीभाई काजी फलीआ, अंकलेश्वर (अन्तरक)

(2) श्री अंबालाल चीमनलाल गांधी और दूसरे अंकलेश्वर (अन्परिती)०

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इस प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जो गडखोल त० अंकलेश्वर में है। जिसका सं० नं० 184/1+3 है। यह जमीन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अंकलेश्वर के कार्यालय में ता० 31-7-79 को रजिस्टर्ड की गई है।

एस० एन० मान्डल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

दिनांक : 3 मार्च 1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 3 मार्च 1980

निदेश नं० पी० आर० नं० 886/एक्वी० 23/4-1/79-80—

अतः मुझे एन० एन० मान्डल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिस की सं० नं० 184/2 की जमीन है। तथा जो गडखोल त० अंकलेश्वर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अंकलेश्वर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 31-7-79 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री करसनभाई नामनभाई गडखोल त० अंकलेश्वर (अन्तरक)

(2) श्री अंबालाल चमनलाल गांधी और दूसरे
2. धनसुखलाल चुनीलाल मिठाईवाला, अंकलेश्वर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरु करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जो गडखोल त० अंकलेश्वर में है जिसकी सं० नं० 184/2 है और जो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अंकलेश्वर द्वारा ता० 31-7-79 को रजिस्टर्ड की गई है।

एस० एन० मान्डल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

दिनांक : 3 मार्च 1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 6 मार्च 1980

निदेश नं० पी० आर० नं० 891/एक्वी 23/19-8/79-80

अतः मुझे एस० एन० मान्डल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० नं० 1482 प्लोट नं० एच/4 एम० नं० 62 है। तथा जो आदर्श नगर को० आ० सोसायटी अडवा सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सुरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 25-7-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् —

(1) श्री शार्दुलसींग उदयसिंह महीडा गांव छडैया पोस्ट कासमडा जि० सूरत

(अन्तरक)

(2) श्री शशिकान्त छोटा लाल शडे बी-11, सेकन्ड फ्लोर, मानपुरा, सुरत,
2. जयमनबेन शशीकान्त शडे,
3. बदन शशीकान्त शडे, सुरत

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मीलकत जोकि आदर्शनगर सोसायटी अडवा सुरत में है। जिसका सं० नं० 1482, प्लोट नं० एच० 4/इन्डेक्स नं० 62 है। के मिलकत रजिस्टर्ड दस्तावेज नं० 2807 द्वारा, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सुरत के कार्यालय में ता० 25-7-79 को रजिस्टर्ड की गई है।

एस० एन० मान्डल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II अहमदाबाद

दिनांक : 6 मार्च 1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I कार्यालय अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 6 मार्च 1980

निदेश नं० ए० सी० क्यु-23-I-2601 (958)/16-6/79-80—अतः मुझे एस० एन० मांडल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिस की सं० सर्वे नं० 123 प्लाट नं० 148 है। तथा जो बेडीपरा—राजकोट वढ़वाण रोड की तरफ राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 31-7-1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ती के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल को पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनों अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री मोहनलाल त्रिकमजी, बम्बई-52 के, श्री दयाकुंवर हीरालाल— के पावर आफ अटार्नी होल्डर-2, शक्ती भवन, घोडबन्दर रोड, बम्बई-52

(अन्तरक)

(2) श्री रामजी परमार, श्री बेडीपरा राजपुरा मंडल के मारफत बेडीपरा राजकोट।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका सर्वे नं० 123 पैकी प्लाट नं० 148 जो बेडीपरा राजकोट वढवाण रोड की तरफ राजकोट (दक्षिण साईड) में स्थित है सर्वे नं० 123 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी राजकोट द्वारा बिक्री दस्तावेज नं० 4770 दिनांक 31-7-1979 से रजिस्टर्ड हुआ है याने उसमें पैसे प्रापर्टी का पूर्ण वर्णन दिया गया है।

एस० एन० मांडल
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज I अहमदाबाद

दिनांक 6 मार्च 1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I, कार्यालय अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 6 मार्च 1980

निदेश नं० ए०सी० क्यू 23-I-2601 (959)/16-6/79-80 —अतः मुझे एस० एन० मांडल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिस की सं० सर्वे नं० 123 पैकी प्लाट है । तथा जो सं० बेडीपरा—राजकोट बढ़वाणरोड की साईड राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 31-7-79 को को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री मोहनलाल त्रिकमजी ठक्कर 72, शक्ती भवन एस० वी० रोड, खार (वेस्ट) बम्बई-52 ।

(अन्तरक)

(2) श्री रामजी परमार श्री बेडीपरा राजपुर मंडल के मारफत बेडीपरा, राजकोट

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन जिसका सर्वे नं० 123 पैकी प्लाट जो बेडीपरा में राजकोट-वढ़वाण रोड की तरफ राजकोट (दक्षिण साईड) में स्थित है तथा रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी राजकोट द्वारा बिक्री दस्तावेज नं० 4771 दिनांक 31-7-1979 से रजिस्टर्ड हुआ है याने उसने प्रापर्टी का जैसे पूर्ण वर्णन दिया गया है ।

एस० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज I अहमदाबाद

दिनांक 6 मार्च 1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज । अहमदाबाद

अहमदाबाद 6 मार्च 1980

निदेश नं० एसीक्यू-23-I-2509(960)/11-6-/79-80—अतः मुझे एस एन० मांडल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिस की सं० सर्वे नं० 305 पैकी सवेरी भवन नाम से प्रख्यात प्राप है। तथा जो राजमहाल रोड वेरापल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वेरावल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 17-7-1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री गुणवंतराय पुरषोत्तम सवेरी
(2) श्री मुकुंदराय परषोत्तम झवेरी
(3) श्री मनहरलाल परषोत्तम झवेरी
सब-'सवेरी भवन', राजमहाल रोड वेरावल ।

(अन्तरक)

(2) आराधना सीनेमा, भागीदार श्री गुणवंतराय परषोत्तम सवेरी तथा अन्य के मारफत वेरावल ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

'सवेरी-भवन' नाम से प्रख्यात प्रापर्टी—सर्वे नं० 308 पैकी 2413-90 वर्ग मीटर जमीन पर खड़ी जो राजमहल रोड वेरावल में स्थित है तथा रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी वेरावल द्वारा बिक्री दस्तावेज सं० 451/18-7-79 से रजिस्टर्ड किया गया है याने उसमें प्रापर्टी का जैसे पूर्ण वर्णन दिया गया है ।

एस० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज । अहमदाबाद

दिनांक 6-3-80
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I, कार्यालय अहमदाबाद

अहमदाबाद दिनांक 6-3-1980

निदेश नं० एसीक्यु-23-I-2505 (961)/16-6/79-80—अतः मुझे एस० एन० मांडल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 390, प्लाट नं० 4 है। तथा जो गोंडलरोड राजकोट में स्थित है (और इसस उपाबद्ध अनुसूचि में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 21-7-1979 को

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री जयन्तीलाल डी० सीनरोजा कांदीवली, इण्डस्ट्रियल इस्टेट बम्बई।

(अन्तरक)

(2) श्री कान्तीबेन जमनादास गजनर 4, जागना प्लाट राजकोट।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन का प्लाट जिसका क्षेत्रफल 1529-40 वर्ग गज है जिसका सर्वे नं० 390 प्लाट नं० 4 गोंडल रोड पर स्थित है तथा बिक्री दस्तावेज जो रजिस्ट्रेशन नं० 3215 दिनांक 21-7-1979 से रजिस्टर्ड हुआ है उसमें पैसे पूर्ण वर्णन दिया गया है।

एस० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज I अहमदाबाद

दिनांक 6 मार्च 1980
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I अहमदाबाद

अहमदाबाद दिनांक 6 मार्च 1980

निदेश नं० एसीक्यु-23-I-2540 (962)/18-5/79-80—

अतः मुझे एस० एन० मांडल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिस की सं० सर्वे नं० 1770-पैकी प्लाट नं० 2 से 5 हैं । तथा जो सुरेन्द्रनगर जिला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूचि में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वढवाण में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 1979

को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री चन्द्रकान्त केशवलाल देयाला, दुधरेण रोड, सुरेन्द्रनगर ।

(अन्तरक)

(2) मालीक श्री दुर्गा बिल्डर्स प्रद्युम्न भुरूभा के मारफत वढवाणसीटी जिला सुरेन्द्रनगर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन जिसका सर्वे नं० 1770 पैकी प्लाट नं० 2 से 5 और क्षेत्रफल 1261-2 वर्ग फुट सीटी सर्वे नं० 5358—जो सुरेन्द्रनगर जिला में स्थित है तथा रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी वढवाण द्वारा बिक्री दस्तावेज नं० 1936 जुलाई 1979 से रजिस्टर्ड किया गया है याने उसमें प्रापर्टी का पैसे पूर्ण वर्णन दिया गया है ।

एस० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज । अहमदाबाद

दिनांक 6 मार्च 1980
मोहर :

फार्म आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज । अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 6 मार्च 1980

निदेश नं० एसीक्यु-23-I-2622 (963) 16-6/79-80:—अतः मुझे एस० एन० मांडल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,

और जिस की सं० सर्वे नं० 451 प्लाट नं० 10ए, क्षेत्रफल 165-1-36 वर्ग गज है । तथा जो राणकोट में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 1979

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री हरीदास प्रधानभाई विठलाणी, 'जयनिवास' पारेख स्ट्रीट के सामने, घोड़बन्दर रोड, कांदीवली, बम्बई-67 (अन्तरक)

(2) श्री अमृतलाल माधवजी भाई गैया रोड राजकोट । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका सर्वे नं० 451 प्लाट नं० 10 ए, क्षेत्रफल 165-1-36 वर्ग गज है जो राजकोट में स्थित है तथा रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी राजकोट द्वारा बिक्री दस्तावेज नं० 4550/79/जुलाई 1979 से रजिस्टर्ड किया गया है याने उसमें जैसे प्रापर्टी का पूर्ण वर्णन दिया गया है ।

एस० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज । अहमदाबाद

दिनांक 6 मार्च 1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज। अहमदाबाद

अहमदाबाद दिनांक 6 मार्च 1980

निदेश नं० एसीक्यू-23-1-2622(964)/16-6-79-80—अतः मुझे एस० एन० मांडल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिस की सं० सर्वे नं० 451, प्लाट नं० 10-बी, 171-1-0 वर्ग गज क्षेत्रफल है। तथा जो राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री हरीदासभाई प्रधानभाई विट्ठलाणी, 'जय-निवास' पारेख स्ट्रीट के सामने घोडबन्दर रोड, कांदीवली बम्बई-67

(अन्तरक)

(2) श्री जनकराय तभुज ठक्कर रैया रोड, राजकोट

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका सर्वे नं० 451 प्लाट नं० 10-बी, जिसका क्षेत्रफल 171-1-0 वर्ग गज है जो राजकोट में स्थित है तथा बिक्री दस्तावेज नं० 4551/79/जुलाई-1979 से रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी राजकोट द्वारा रजिस्टर्ड हुआ है याने इसमें प्रापर्टी जैसे पूर्ण वर्णन दिया गया है।

एस० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण
अर्जन रेंज। अहमदाबाद

दिनांक 6 मार्च 1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज। अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 6 मार्च 1980

निदेश नं० एसीक्यु-23-I-2622 (965)/16-6/79-80— अतः मुझे एस० एन० मांडल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 451-प्लाट नं० 10-सी, 177-4-32 वर्ग गज क्षेत्रफल है। तथा जो राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री हरीदासभाई प्रधानभाई विठलाणी, 'जयनिवास पारेख स्ट्रीट के सामने घोडबन्दर रोड, काम्बीपली बम्बई-67।

(अन्तरक)

(2) श्री अमरशीभाई मावजीभाई टांक वाणीयावाडी स्ट्रीट नं० 1 राजकोट।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिस का सर्वे नं० 451 प्लाट नं० 10-सी वाली जिसका क्षेत्रफल 177-4-32 वर्ग गज है जो राजकोट में स्थित है, तथा रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी राजकोट द्वारा बिक्री दस्तावेज नं० 45521 जुलाई 1979 से रजिस्टर्ड हुआ है यानि जैसे उसमें प्रापर्टी का पूर्ण वर्णन दिया गया है।

एस० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज। अहमदाबाद

दिनांक 6 मार्च 1980

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 6 मार्च 1980

निदेश नं० एसीक्यू 23-I-2622 (966)/16-6/79-80—अतः मुझे, एस० एन० मांडल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 451-प्लाट नं० 10डी, 183-5-112 वर्ग गज है। तथा जो राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री हरीदास भाई प्रधानभाई विठलाणी, 'जय निवास' पारेख स्ट्रीट के सामने घोडबंदर रोड, कांदीवली, बम्बई-67।

(अन्तरक)

(2) श्री छगन लाल लालजी भाई कटारिया 'कटारिया मेन्शन' रैयारोड राजकोट।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका सर्वे नं० 451, प्लाट नं० 10 डी क्षेत्रफल 183-5-112 वर्ग गज है जो राजकोट में स्थित है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी राजकोट द्वारा बिक्री दस्तावेज नं० 4553 जुलाई-79 से रजिस्टर्ड किया गया है याने प्रापर्टी का जैसे उसमें पूर्ण वर्णन दिया गया है।

एस० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक : 6 मार्च 1960
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 6 मार्च 1980

निदेश नं० एसीक्यु 23-I-2597(967)/16-6/79-80—अतः मुझे एस० एन० मांडल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 451-पैकी प्लाट नं० 41, 165-6-108 वर्ग गज है। तथा जो रैया रोड राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 4-7-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती नलीनीबेन चन्दुभाई लाभशंकर त्रिभोवनदास के द्वारा अहमदाबाद।

(अन्तरक)

(2) श्री बल्लभभाई वशरामभाई प्रहलाद प्लाट रोड, राजकोट।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन सर्वे नं० 451 पैकी प्लाट नं० 41-पैकी 165-6-108 वर्ग गज जो रैया रोड राजकोट में स्थित है तथा रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी राजकोट द्वारा बिक्री दस्तावेज नं० 4108/4-7-1979 से रजिस्टर्ड किया गया है याने जैसे उसमें प्रापर्टी का पूर्ण वर्णन दिया गया है।

एस० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I अहमदाबाद।

दिनांक: 6 मार्च 1980
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 6 मार्च 1980

निर्देश सं० एसीक्यू-23-I-2597(968)/16-6/79-80—अतः मुझे, एस० एन० मांडल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं सर्वे नं० 451, पैकी प्लाट नं० 41, पैकी 103-8-0 तथा 103-8-0 वर्ग गज है । तथा जो रैया रोड, राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 4-7-1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय के बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमति नलीनीबेन चन्दुलाल लाभशंकर त्रिभोवनदास के द्वारा अहमदाबाद। (अन्तरक)

2. श्री कनुभाई छगनलाल पंडया, प्रह्लाद प्लाट मैन रोड, राजकोट। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील के 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन सर्वे नं० 451 पैकी प्लाट नं० 41 पैकी 103-8-0 वर्ग गज तथा 103-8-0 वर्ग गज जो रैया रोड राजकोट में स्थित है तथा रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी राजकोट द्वारा बिक्री दस्तावेज नं० 4111/4-7-79 तथा 4112/4-7-79 क्रमानुसार से रजिस्टर्ड किया गया है याने उसमें प्रोपर्टी का पूर्ण वर्णन जैसे दिया गया है।

एस० एन मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख: 6-3-1980
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I अहमदाबाद

अहमदाबाद दिनांक 6 मार्च 1980

निर्देश नं० एसीक्यू-23-I-2597(969)/16-6/79-80—अतः मुझे एस० एन० मांडल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 451—पैकी प्लाट नं० 41, पैकी 103-8-0 तथा 103-8-0 वर्ग गज है। तथा जो रैया रोड, राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूचि में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 4-7-1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमति नलीनीबेन चन्दुलाल लाभशंकर त्रिभोवनदास के मारफत अहमदाबाद (अन्तरक)

2. श्री बल्लभभाई बशरामभाई पटेल प्रहलाद प्लाट, मैन रोड, राजकोट (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सर्वे नं० 451 पैकी प्लाट नं० 41 पैकी 103-8-0 तथा 103-8-0 वर्ग गज की खुली जमीन जो रैया रोड राजकोट में स्थित है जो विक्री दस्तावेज नं० 4109/4-7-79 तथा 4110/4-7-79 क्रमानुसार से रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी राजकोट द्वारा रजिस्टर्ड किया गया है याने उसमें जैसे प्रापर्टी पूर्ण वर्णन दिया गया है।

एस०एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अहमदाबाद

तारीख : 6-3-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अहमदाबाद

अहमदाबाद दिनांक 10 मार्च 1980

सं० पी० आर० नं० 892/ऐ०सी०क्यू० II/79—80—अतः मुझे एस० एन० मांडल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और सकी सं० सीटी सर्वे नं० 3247 पैकी जमीन है। तथा जो देशरा, बीलीमोरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गणदेवी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 10-7-1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री छगनलाल झवेरचन्द शाह, सोनीवाड बीलीमोरा (अन्तरक)

2. प्रेसीडेंट श्री मोहनलाल झवेरचन्द शाह बांका महोल्ला बीलीमोरा झीवांजली को० आप० हाउसिंग सोसायटी के मारफत (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

देशरा में स्थित जमीन जिसका सीटी सर्वे नं० 3247 क्षेत्रफल 1784-48-72 वर्ग मीटर है जो नं० 1184 से 10-7-79 को गणदेवी में रजिस्टर्ड हुआ है ।

एस०एन०मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II अहमदाबाद

तारीख : 10 मार्च, 1980।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 10 मार्च, 1980

नं० ए०सी० क्यू० 23-I-2554(970)/5-1/79-80—अतः मुझे एस० एन० मांडल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे नं० 117, 118, 119 पैकी प्लाट नं० 20 है। तथा जो रूआ गाम याने गांव रूआ जिला भावनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भावनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1808 का 16) के अधीन 9-7-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

1. श्री मुकुंदराय हरगोविंददास त्रिवेदी तथा अन्य (अन्तरक)

2. (1) मोनपरा लालजीभाई मोहनभाई (2) मोनपरा हीराभाई मोनाभाई (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण।—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रापर्टी जिसका सर्वे नं 117, 118, 119 पैकी प्लाट नं० 20 जिसका क्षेत्रफल 517—93 वर्ग मीटर है जो गांव रूआ जिला भावनगर में स्थित है तथा बिक्री दस्तावेज नं० 1315/जुलाई, 1979 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भावनगर द्वारा रजिस्टर्ड हुआ है याने उसमें जैसे प्रापर्टी का पूर्ण वर्णन दिया गया है।

एस०एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अहमदाबाद

तारीख : 10-3-1980।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 10 मार्च 1980

नं ए० सी० क्यू० 23-I-2558(971)/5—1/79-80—अतः मुझे एस० एन० मांडल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० खाली प्लाट 1250 वर्ग गज का है । तथा जो घोघा रोड, मेरु बाग के पास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भावनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 21-7-1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री हरीलाल मुलजीभाई ठक्कर (अन्तरक)

2. श्री मोहनभाई वशराम पोस्ट खोखरा में (अन्तरिती)
(2) श्री जोधाभाई बीजलभाई पोस्ट खोखरा में
(3) श्री नरसींभाई अमराभाई पोस्ट खोखरा में

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति से हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन का 1250 वर्ग गज का खाली प्लाट जो घोघारोड, मेरूबाग के पास स्थित है तथा रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भावनगर द्वारा, बिक्री दस्तावेज नं० 1419/21-7-1979 से रजिस्टर्ड किया गया है थाने उसमें जैसे प्रापर्टी का पूर्ण वर्णन किया गया है ।

एस०एन०मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख 10-3-1980 ।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 10 मार्च 1980

नं० ए०सी क्यू० 23-I-2598(972)/16-6/79-80--अतः मुझे एस० एन० मांडल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 42-पैकी अधाट लेख नं० 120 और 3 है तथा जो रघुबीर इन्डस्ट्रीज कम्पाउन्ड, राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 8-7-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1. श्री दिलीपकुमार नरोत्तमभाई पुराहीन 10, रघुबीर पार्क राजकोट। (अन्तरक)

(2) 1. श्री अमृतलाल रामजीभाई मेहता, (2) श्रीमति तारागौरी अमृतलाल मेहता दोनों जनता सोसायटी राजकोट। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बिल्डिंग--जिसका प्लाट नं 420 पैकी-अधाह लेखा नं० 120--155 वर्गगज जमीन पर जो रघुबीर ईन्डस्ट्रीज कंपाउन्ड, राजकोट में स्थित है तथा रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी राजकोट द्वारा बिक्री दस्तावेज नं० 3539/6-7-79 से रजिस्टर्ड किया गया है याने उसमें वैसे प्रापर्टी का पूर्ण वर्णन दिया गया है।

एस० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख 10-3-1980।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद दिनांक 10 मार्च 1980

नं० ए०सी०क्यू०-23-I-2623(973)/16-6/79-80—अतः मुझे एस० एन० मांडल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 54/0-पैकी-280-0 वर्ग गज जमीन पर ईमारत है। तथा जो भक्तीनगर सोसायटी राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री नन्दलाल ऐ० मेहता डा० राधाकृष्ण सोसायटी रैया रोड राजकोट (अन्तरक)

2. (1) श्री विठ्ठलदास नाथालाल मकवाणा (2) श्री वसंत लाल नाथालाल मकवाणा दोनों—टागोर रोड राजकोट। (अंतरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ईमारत जिसका प्लाट नं० 54/0—;पैकी-280—0 वर्ग गज क्षेत्रफल वाली जमीन पर खड़ा जो भक्तीनगर सोसायटी राजकोट में स्थित है तथा बिक्री दस्तावेज नं० 4457/जुलाई 1979 से रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा रजिस्टर्ड हुआ है यानि इसमें जैसे प्रापर्टी का पूर्ण वर्णन दिया गया है।

एस० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अहमदाबाद

तारीख : 10-3-1980।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43)
की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 11 मार्च 1980

निर्देश पी० आर० नं० 893 एसीक्यू 23-II/1684/198/79-80—अतः मुझे, एस० एन० मांडल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० नार्थ नं० 1636 ऐ-2 है तथा जो टपुरा स्ट्रीट सुधार महोल्ला नानपुरा, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सूरत मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 5-7-1979।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मेसर्स आर० गणीभाई ब्रेंड कां० के भागीदार :—
   1. श्री रावजी भाई भाईजीभाई पटेल
   2. श्री छनाभाई भाईजीभाई पटेल,
   3. श्री मणीभाई भाईजीभाई पटेल

4. श्री परषोतमराम भाई मणीभाई पटेल गांव-ओड ता० आणंद (अन्तरक)

1. प्रेसीडेंट, श्री अम्बालाल लल्लुभाई पटेल, दिनेश ऐपार्टमेंटस को० ओप० हाउसिंग को० लिमि० काकाणी स्ट्रीट, नानपुरा सूरत घरका सरपंच महोल्ला, अडाणण पार्टियां सूरत।

2. सेक्रेटेरी श्री जनक दासभाई देसाई संगाडीयावाई, सूरत (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

नानपुरा में स्थित प्रोपर्टी वार्ड नं० 1, सर्वे नं० 1636-ऐ-2 जिसका क्षेत्रफल 481 वर्ग गज है तथा नं० 2565 है 5-7-1979 से रजिस्टर्ड हुआ है।

एस० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 11-3-1980।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा, 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 12 मार्च 1980

निदेश सं० एक्वि० 23-I-2563(974)/12-1/79-80—अतः मुझे, एस० एन० मांडल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 36 सेक्टर नं० 4 है तथा जो जिला अंजार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अंजार में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से अंकित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री हरीश खुशालदास (अन्तरक)

2 श्री तेजा मेमा पटेल (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन, प्लाट नं 36, सेक्टर नं० 4 जो अंजार जिला में स्थित तथा है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अंजार द्वारा बिक्री दस्तावेज नं० 641–642/जुलाई, 1979 से रजिस्टर्ट हुआ है यानि उसमें; प्रापर्टी का जैसे पूर्ण वर्णन दिया गया है ।

एस० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 12-3-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 12 मार्च 1980

निर्देश सं० एक्वि०-23-I-2564(975)/12-2/79-80—अतः मुझे, एस एन० मांडल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सिटी सर्वे शीट नं० 200, जांच नं० 31, पार्ट प्लाट नं० 8 है तथा जो भुज में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भुज में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था किया या जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. महाराजश्री मदनसिंहजी राजपूत छात्रालय ट्रस्ट, ऑनरेरी सेक्रेटरी श्री जादेजा वी० ज० भुज के मारफत घनश्यामनगर, ब्लाक नं० 4, भुज। (अन्तरक)

2. श्री मनहरलाल लालजी गेरीया, गणपति भवन, बाबुनआपीर के सामने, भुज। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में लिए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका क्षेत्रफल 264-43 वर्ग मीटर है जिसका सिटी सर्वे शीट नं० 200,—जांच नं० 31, पार्ट प्लाट नं० 8 जो भुज में स्थित है तथा रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भुज द्वारा बिक्री दस्तावेज नं० 1170/जुलाई, 1979 से, रजिस्टर्ड हुआ है यानि उसमें जैसे प्रापर्टी का पूर्ण वर्णन दिया गया है।

एस० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 12-3-1980
मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 12 मार्च 1980

निदेश सं० एक्वि० 23-I-2522(976)/11-4/79-80—अतः मुझे, एस० एन० मांडल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० जमीन का खाली प्लाट है तथा जो पोरबंदर में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पोरबंदर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 9-7-1979
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरित द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री नरोत्तमदास मोहनलाल टकवाणी तथा अन्य सुदा मारोड पोरबंदर ।

(अन्तरक)

2. श्री दिनेशकुमार कान्तीलाल बामटा, वाडी प्लाट, स्ट्रीट नं० 2, पोरबंदर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

खुली जमीन का खाली प्लाट 400 वर्ग गज जिस का रजिस्ट्रेशन बिक्री दस्तावेज नं० 2540/9-7-1979 से रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पोरबंदर द्वारा हुआ है यानि उसमें जमे प्रापर्टी का पूर्ण वर्णन दिया गया है ।

एम० एन मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेज-I अहमदाबाद

तारीख : 12-3-1980
मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 12 मार्च 1980

नं० ए० सी० क्यू०-23-I-2572(977)/10-5/79-80—अतः मुझे एस० एन० मांडल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे नं० 10, 0 एकड़ 17 गुंठा पैकी प्लाट नं० 2 जमीन है । तथा जो कालावड तलपद, कालावड, जिला जामनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कालावड में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई, 1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री तुहार हरजीवन वासराम भोलेशंकर सोसायटी विक्रम मील के पीछे सरसपुर अहमदाबाद (अन्तरक)

2. श्री दोशी धीरजलाल पोपट लाल दरबारगढ़ शेरी कालावड (शीतला) जिला : जामनगर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन जिसका क्षेत्रफल 5670 वर्ग फुट है जो कालावड तलपद में, बिन कृषि विषयक सर्वे नं० 10, पैकी प्लाट नं० 2 जो कालावड में स्थित है जो बिक्री दस्तावेज नं० 707/17-7-79 से रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कालावड द्वारा रजिस्टर्ड हुआ है याने उसमें जैसे प्रापर्टी का पूर्ण वर्णन दिया गया है ।

एम० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 12-3-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 12 मार्च 1980

नं० एसीक्यू०-23-I-2525 (978)/11-4/79-80—अतः मुझे एस० एन० मांडल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० सीटी सर्वे नं० 3, शीट नं० ईमारत—143 है। तथा जो वाडी प्लाट, पोरबंदर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पोरबंदर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री करमतभाई नेरमाभाई गांव गराज के, जिला पोरबंदर (अन्तरक)

2. श्री हरसुखलाल नाथुभाई नटवरलाल आयल मिल के सामने, वाडी प्लाट, पोरबंदर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ईमारत जो 255-2-9 वर्ग गज जमीन पर खड़ी है 1942-43 के लेख रजिस्ट्रेशन नं० 368 वाली, सीटी सर्वे नं० 3 शीट नं० 143 जो वाडी प्लाट विस्तार, पोरबंदर में स्थित है तथा बिक्री दस्तावेज नं० 2655/20-7-79 से रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पोरबंदर द्वारा रजिस्टर्ड हुआ है याने इसमें प्रापर्टी का जैसे पूर्ण वर्णन दिया गया है।

एस० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 12-3-1980।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 12 मार्च, 1980

नं० ए सी क्यू०-23-I-2523(979)11-4/79-80—अतः मुझे, एस० एन० मांडल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सीटी सर्वे० वार्ड नं० 3, सर्वे नं० 2904, पैकी है । तथा जो कमला नेहरू पार्क, पोरबंदर, में स्थित है 'और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पोरबंदर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री लालजीभाई जीवनभाई लाखानी तथा अन्य गांव—"गोसा" जिला पोरबंदर (अन्तरक)

2. श्री पाताभाई, रामभाई गांव गराज, जिला पोरबंदर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

400 वर्ग गज क्षेत्रफल वाली जमीन जिसका सीटी सर्वे वार्ड नं 3 सर्वे० नं० 2904 जो कमला नहरू पार्क पोरबंदर में स्थित है तथा बिक्री दस्तावेज नं० 2523/9-7-79 से रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पोरबंदर द्वारा रजिस्टर्ड हुआ है याने उसमें जैसे प्रापर्टी का पूर्ण वर्णन दिया गया है ।

एस० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I अहमदाबाद

दिनांक : 12-3-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 12 मार्च 1980

नं० ए०सी०क्यू०-23-I-2523 (980)/11-4/79-80—अतः मुझे, एस० एन० मांडल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० सीटी सर्वे वार्ड नं० 3, सर्वे नं० 2904 पैकी है तथा जो कमला नेहरु पार्क पोरबंदर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पोरबंदर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्तअधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री लालजीभाई जीवनभाई लखानी गांव—'गोसा' जिला—पोरबंदर (अन्तरक)

2. श्री सेकाभाई रामभाई अंत्रोलीया गांव—गरेज जिला-पोरबंदर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर-सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क म परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

445 वर्ग गज क्षेत्रफल वाली जमीन पैकी सीटी सर्वे नं० 3, सर्वे नं० 2904 को कमला नेहरु पार्क पोरबन्दर में स्थित है तथा बिक्री दस्तावेज नं० 2534/9-7-79 से रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पोरबंदर द्वारा रजिस्टर्ड हुआ है याने उसमें जैसे प्रापर्टी का पूर्ण वर्णन दिया गया है।

एस० एन० मांडल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I अहमदाबाद।

तारीख : 12-3-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज अहमदाबाद

अहमदाबाद दिनांक 12 मार्च 1980

निदेश सं० ए० क्यू०-23-I-2523(981)/11; 4/79—80-

अतः मुझे एस० एन० मांडल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सिटी सर्वे वार्ड नं० 3, सर्वे नं० 2904 पैकी है तथा जो कमला नेहरु पार्क, पोरबंदर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पोरबंदर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई, 1979

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री लालजीभाई जीवणभाई लाखाणी तथा अन्य, गांव गोसा जिला पोरबंदर ।

(अन्तरक)

2. श्री कानाभाई रामभाई गरेजा, गांव गरेज, जिला पोरबंदर । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

464 वर्ग गज क्षेत्रफल वाली जमीन पैकी, सेटी सर्वे वार्ड 3 सर्वे नं० 2904 जो कमला नेहरू पार्क, पोरबन्दर में स्थित है तथा बिक्री दस्तावेज नं० 2533/9-7-79 से रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पोरबंदर द्वारा रजिस्टर्ड हुआ है यानि उसमें प्रापर्टी का जैसे पूर्ण वर्णन दिया गया है ।

एस० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अहमदाबाद

तारीख : 12-3-1980

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 12 मार्च 1980

सं० ए० सी० क्यू०/23-I-2555(982)5/—1/79-80—अतः मुझे, एस० एन० मांडल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 21-ए है तथा जो सत्यनारायण रोड, भावनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भावनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 7-7-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप-धारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री चन्द्रकान्ता कान्तीलाल रावल श्री कान्तीलाल भाईशंकर रावल श्री उमाकान्त भाईशंकर रावल सत्यानारायण रोड, प्लाट नं० 24, भावनगर । (अन्तरक)

2. 1. अरुणाबेन घनश्यामभाई पारीख, (2) उर्मीलाबेन कनैयालाल पारीख, (3) ज्योतिबेन वीपिनचन्द्र पारीख त्रंबकलाल सवाईलाल परीख के मारफत हवेलीवाली शेरी, भागातलाव, भावनगर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन खुला प्लाट जिसका क्षेत्रफल 975 वर्ग मीटर है जिसका प्लाट नं० 21 है जो सत्यनारायण रोड भावनगर में स्थित है तथा रजिस्ट्रेशन नं० 1308 दिनांक 9-7-79 से रजिस्टर्ड बिक्री दस्तावेज में जैसे पूर्ण वर्णन दिया गया है।

एस० एन० मांडल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 12-3-1980।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, नई दिल्ली

नई दिल्ली-110002, दिनांक 10 मार्च 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/II/एस० आर०-II/7-79/2689—अतः मुझे, आर० बी० एल० अग्रवाल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 32 रोड नं० 42 है तथा जो पंजाबी बाग नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 1979 को

पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करना या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री इकबाल सिंह मोंगा (2) श्री त्रिलोक सिंह मोंगा और श्री अतर सिंह मोंगा पुत्र श्री करतार सिंह मोंगा निवासी 32/42 पंजाबी बाग नई दिल्ली (अन्तरक)

2. श्री हरी ओम प्रकाश भल्ला (2) सुभाष भल्ला (3) अशोक भल्ला (4) अजयवीर भल्ला पुत्र श्री दीवान चंद भल्ला 3489 आर्यपुरा सब्जी मंडी दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 32 और रोड नं० 42, जिसका क्षेत्रफल 1140.49 वर्ग गज पंजाबी बाग इलाके का ग्राम मादी पुर दिल्ली राज्य दिल्ली में है।

आर० बी० एल० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-, दिल्ली,

दिनांक : 10-3-1980

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, नई दिल्ली

नई दिल्ली-110002, दिनांक 10 मार्च 1980

निर्देश सं० आई ए० सी०/एक्यू०/II/एस० आर०-II/7-79/2696—अतः मुझे आर० बी० एल० अग्रवाल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी संख्या 23 रोड नं० 41 है तथा जो पंजाबी बाग दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जुलाई, 1979

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देन के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सूरज सिंह पुत्र श्री एस० आई० गुरमुख सिंह निवासी 23/41 पंजाबी बाग, नई दिल्ली (अन्तरक)

2. श्री सरदार तरलोचन सिंह पुत्र सेठ केशो राम प्राप्त 1/2 हिस्सा हरबिन्द्र सिंह प्राप्त 1/4 हिस्सा और भूपिंद्र पाल सिंह प्राप्त 1/4 हिस्सा पुत्र श्री तरलोचन सिंह 4/67 पंजाबी बाग, नई दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान का प्लाट नं० 23 और रोड नं० 41 कलाश-ए, जिस का क्षेत्रफल 2209.26 वर्ग गज जो पंजाबी बाग इलाके का ग्राम मादीपुर दिल्ली राज्य दिल्ली में है।

आर० बी० एल० अग्रवाल
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, दिल्ली

तारीख 10-3-1980।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, नई दल्ली

नई दिल्ली 110002, दिनांक 10 मार्च 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/— /7—79/6513—

अतः मुझे आर० बी० एल० अग्रवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी संख्या 8/5 है तथा जो अलीपुर रोड सिविल लाईंस दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई, 1979 ।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से अंकित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 मैसर एस० एन० गडोडिया एण्ड सन्ज डरैक्टर श्री तेज पाल गडोडिया पुत्र श्री राम गोपाल गडोडिया निवासी 8/9 अलीपुर रोड दिल्ली (अन्तरक)

2. श्रीमति सत्यानारायण पुत्र श्री काशी राम और श्रीमति तोफा देवी पत्नि श्री सत्यनारायण निवासी 3636 मोरी गेट दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक दो मंजिला मकान नं० 8/5 अली पुर रोड सिविल लाईन्स दिल्ली में स्थित है । जिसकी भूमि 131.96 वर्ग मीटर है ।

आर० बी० एल० अग्रवाल
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II नई दिल्ली

तारीख 10-3-1980 ।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II नई दिल्ली

नई दिल्ली-110002 दिनांक 10 मार्च 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/II/7–79/5565—अतः मुझे आर० बी० एल० अग्रवाल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी संख्या ए-43 है तथा जो राजोरी गार्डन नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई, 1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. कृष्णलाल (2) श्री सुभाष चन्द्र (3) श्री अविनाश चन्द्र (4) श्री देश दीपक (5) श्री मुकेश और (6) श्री गुलशन राय पुत्र स्वर्गीय श्री मदन लाल रैहन ए-53 राजोरी गार्डन, नई दिल्ली। (अन्तरक)

2. श्री गेलशन औबराय और श्री मनमोहन औबराय पुत्र श्री मानक चंद बी-3/14 राजौरी गार्डन नई दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक ढाई मंजिला मकान जो प्लाट नं० ए-43 राजौरी गार्डन में स्थित है। जिसका क्षेत्रफल 378 वर्ग गज है।

आर० बी० एल० अग्रवाल
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II दिल्ली;

तारीख 10-3-1980।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II नई दिल्ली

नई दिल्ली-110002, दिनांक 10 मार्च 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/ /एस० आर०-II/ 7-79/2706—अतः मुझे आर बी० एल० अग्रवाल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० I है तथा जो नार्थ वेस्ट एवेन्यु रोड पंजाबी बाग दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 1979 ।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमति रोहिनी औबराय धर्मपत्नि लैफ्टीनेंट कर्नल धन राज औबराय लड़की स्वर्गीय लैफ्टिनेंट कर्नल निवल दास पुरी निवासी 1 वैस्ट नार्थ ऐवेन्यू रोड पंजाबी बाग दिल्ली हरसैलक और अटोरनी उस के भाई श्री हुरी चन्द्रा पुरी और अविनाश चन्द्र पुरी, (अन्तरक)

2. श्री राम सरुप, (2) श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री हीरा नन्द (3) वेद वयास और महिंद्र पाल पुत्र श्री राम सरुप डी-3/65 जनक पुरी, नई दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मकान नं० 1, नार्थ वेस्ट ऐवेन्यू रोड, पंजाबी बाग गांव के इलाके मादीपुर दिल्ली स्टेट में स्थित है । जिसका क्षेत्रफल 2545 वर्ग गज है ।

आर० बी० एल० अग्रवाल
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II, दिल्ली

तारीख : 10-3-1980 ।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II नई दिल्ली

नई दिल्ली-110002, दिनांक 10 मार्च 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/II/एस० आर० II/7—79/2740—अतः मुझे आर० बी० एल० अग्रवाल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 18, रोड नं० 26 है तथा जो पंजाबी बाग दिल्ली, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री रामभज बत्रा, पुत्र श्री तारा चन्द बत्रा निवासी 6/14, ईस्ट पंजाबी बाग दिल्ली (अन्तरक)

2. श्री सुरेश कुकरेजा (2) श्री अनिल कुकरेजा पुत्र श्री डा० के० कुकरेजा निवासी 18/26 ईस्ट पंजाबी बाग दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर-सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मकान का प्लाट नं० 18 और रोड नं० 27 जिसका क्षेत्रफल 555.33 वर्ग गज जो पंजाबी बाग (ईस्ट) इलाके का ग्राम शकुरपुर दिल्ली राज्य दिल्ली में है ।

आर० बी० एल० अग्रवाल
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II दिल्ली,

तारीख : 10-3-1980 ।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II नई दिल्ली

नई दिल्ली-110002 दिनांक 10 मार्च 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/II/एस० आर० II/7—79/2742—अतः मुझे आर० बी० एल० अग्रवाल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 2, रोड नं० 80 है तथा जो पंजाबी बाग दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई, 1979।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री रामसिंह, पुत्र श्री दिवान चन्द निवासी 2/880 पंजाबी बाग दिल्ली (अन्तरक)

2. श्रीमति बिमला चावला, धर्मपत्नि एस० एल० चावला निवासी-5/19 पंजाबी बाग दिल्ली और श्री प्रेम चावला पुत्र श्री एस० एल० चावला, निवास 2/80 पंजाबी बाग दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जायदाद का प्लाट नं० 2 और रोड नं० 80 जिसका क्षेत्रफल 1190 वर्ग गज जो पंजाबी बाग इलाके का ग्राम बसई धारापुर दिल्ली राज्य दिल्ली में है।

आर० बी० एल० अग्रवाल
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II नई दिल्ली

तारीख 10-3-1980।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II नई दिल्ली

नई दिल्ली-110002 दिनांक 10 मार्च 1980

निर्देश सं० आई ए० सी०/एक्यू०/II/एस० आर० II/7—79/2692—अतः मुझे आर० बी० एल० अग्रवाल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 4 रोड नं० 57 है तथा जो पंजाबी बाग नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई, 1979।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री त्रिलोचन सिंह, पुत्र श्री किशोराम निवासी 4/57, पंजाबी बाग, नई दिल्ली (अन्तरक)

2. श्रीमति मनजीत कौर धर्म पत्नि श्री दर्शन सिंह ढाल श्री सुरिन्द्र वीर सिंह ढाल, 10/57 पंजाबी बाग दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1-1/2 स्टोरी मकान जिसका प्लाट नं० 4 और रोड नं० 57 जिसका क्षेत्रफल 563.89 वर्ग गज पंजाबी बाग इलाके का ग्रोम मादीपुर दिल्ली राज्य दिल्ली में है।

आर० बी० एल० अग्रवाल
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II नई दिल्ली

तारीख 10-3-1980।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, नई दिल्ली

नई दिल्ली-110002, दिनांक 15 मार्च 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/II/एस० आर०-I/7—79/5558—अतः मुझे, आर० बी० एल० अग्रवाल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी संख्या XI/2848 है तथा जो गली वशिष्ठान दरयागंज दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई, 1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमति राज रानी चोपड़ा पत्नि स्वर्गीय राम देव चोपड़ा निवासी बी-74 विवेक विहार दिल्ली (अन्तरक)

2. श्रीमति सरला सहगल पत्नि श्री नरोतम लाल सहगल निवासी 2130 कूचा दखनी राय दरयागंज दिल्ली और श्रीमति आशा कपूर पत्नि श्री यश पाल कपूर 930 कुचा काबूल-अत्तर चांदनी चौक दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किस व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्री होल्ड परोपरटी नं० XI-2848 गली वशिष्ठान दरयागंज दिल्ली में स्थित है।

आर० बी० एल० अग्रवाल
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, नई दिल्ली

तारीख : 15-3-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, नई दिल्ली

नई दिल्ली-110002, दिनांक 15 मार्च 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/II/एस० आर०-I/7-79/5616—अतः मुझे आर० बी० एल० अग्रवाल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी संख्या डी-6/18 है तथा जो राणा प्रताप बाग दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई, 1979 ।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय किया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री हर प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री शिव सहाय, राम अवतार, रामकिशन, राज बहादुर और रमेश चन्द्र पुत्र श्री हर प्रसाद गुप्ता निवासी डी-6/18 राणा प्रताप बाग सब्जी मन्डी दिल्ली । (अन्तरक)

2. श्री सुनील कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल मनचन्दा निवासी मकान नं० 8935, नया मौहल्ला दिल्ली । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दो मंजिला मकान नं० डी-6/18 जो राणा प्रताप बाग के पास सब्जी मन्डी दिल्ली में है ।

आर० बी० एल० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II नई दिल्ली ।

तारीख : 15-3-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज , नई दिल्ली

नई दिल्ली-110002 दिनांक 15 मार्च 1980

निर्देश सं आई० ए० सी०/एक्यू०/ /एस० आर०-/7-79/5562—अतः मुझे आर० बी० एल० अग्रवाल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी संख्या 2865 वार्ड नं० IX बुलबुली खाना सीता राम बाजार दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री तीजूराम, पुत्र श्री के० वीर गरीबम् निवासी-2865 बुलबुली खान बाजार सीताराम दिल्ली (अन्तरक)

2. श्री नाशिर अहम्मद पुत्र श्री अकबर निवासी-1451, गली मसजिद सईद रकब बाजार चितली कुंवार दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मकान नं० 2865 वार्ड नं० IX बुलबुली खाना बाजार सीता राम दिल्ली में है।

आर० बी० एल० अग्रवाल
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II नई दिल्ली

तारीख 15-3-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43)
की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, नई दिल्ली

नई दिल्ली-110002 दिनांक 15 मार्च, 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/II/एस० आर०-II/7-79/2700—अतः मुझे आर बी० एल० अग्रवाल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रुपए से अधिक है

और जिसकी संख्या 91 ब्लाक जे-8 तथा जो राजौरी गार्डन नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई, 1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन; निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. उरमीला चढा पत्नि श्री इंद्रजीत चढा निवासी 527 भटिन एवेन्यू वैस्ट ग्रीन फोरड मिडल सैक्स यूनाईटिड किंगडम थरू हर अटौरनी श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री सीता राम फरोफैसर और हैड आफ इलैक्ट्रिक डिपार्टमेंट एगरीकलचर यूनिवर्सिटी पन्त नगर यू पी० (अन्तरक)

2. श्री एन० सी० सोनी पुत्र श्री टी० एल० सोनी जे-46 कीर्ति नगर नई दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

फ्री होल्ड प्लाट आफ लैंड प्लाट नं० 91 ब्लाक जे-8 राजौरी गार्डन में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 160 वर्ग गज है ।

आर०बी०एल०अग्रवाल
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II नई दिल्ली

तारीख : 15-3-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन०एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, नई दिल्ली

नई दिल्ली-110002, दिनांक 15 मार्च 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/II /एस० आर०-II 7-79/2709—अतः मुझे, आर० बी० एल० अग्रवाल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० संख्या जे-5/85 है तथा जो रजोरी गार्डन नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 1979

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री हरदयाल सिंह वाली पुत्र श्री धर्मसिंह निवासी-जे-5/85 रजोरी गार्डन नई दिल्ली (अन्तरक)

2. श्री गुरुदीप सिंह पुत्र श्री कर्मसिंह निवासी ए-1/13 कृष्ण नगर दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मंजिला मकान नं० जे०-5/85, जिसका क्षेत्रफल 160 वर्ग गज रजोरी गार्डन इलाके के ग्राम ततारपुर दिल्ली राज्य दिल्ली में है।

आर० बी० एल० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II दिल्ली नई जिल्ली-110002

तारीख : 15-3-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज- दिल्ली

नई दिल्ली-110002, दिनांक 20 मार्च 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/II/एस० आर०-I/7-79/5581—अतः मुझे आर० बी० एल० अग्रवाल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या के-5/5 है तथा जो माडल टाऊन दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन के निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री लक्ष्मण स्वरूप पुत्र श्री नाथू सिंह के-5/5 माडल टाऊन, दिल्ली (अन्तरक)

2. श्री रघुनाथ प्रसाद जैन और श्री अभिनन्दन कुमार जैन पुत्र श्री गोविन्द राम जैन निवासी A-61 इंडस्ट्रियल एरिया जी० टी० करनाल रोड, दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप --

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक मंजिला मकान जिसका नं० के-5/5 माडल टाऊन में स्थित है ।

आर० बी० एल० अग्रवाल
सक्षम अधिकारी
सहायक आयक आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

तारीख 20-3-1980
मोहर :

फार्म आई०टी०एन०एस०----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, नई दिल्ली

नई दिल्ली-110002, दिनांक 20 मार्च 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/II एस० आर०-I 7-79/5599—अतः मुझे, आर० बी० एल० अग्रवाल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और

जिसकी सं० 777 वार्ड नं० I है तथा जो निकलसन रोड, कश्मीरी गेट दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जुलाई 1979

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

14—6GI/80

1. श्रीमति राजेश्वरी पत्नि श्री अनवर खान और श्री अनवर खान पुत्र श्री मेहबूब खान निवासी नं० 6 सीरी राम रोड दिल्ली (अन्तरक)

2. श्रीमति हरदीत कौर पत्नि श्री नारायण सिंह और श्री धर्मवीर सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह निवासी सी-125, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 777 वार्ड नं० 1 निकलसन रोड कश्मीरी गेट में स्थित है।

आर० बी० एल० अग्रवाल
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

तारीख : 20-3-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, दिल्ली,

नई दिल्ली-110002, दिनांक 20 मार्च 1980

निर्देश सं० आई०ए०सी०/एक्यू०/II/एस० आर०-I/7-79/5510—अतः मुझे आर०बी०एल०अग्रवाल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या जी-13 है तथा जो बाली नगर दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई, 1979 में

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) के अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : —

1. श्री ओम प्रकाश तनेजा पुत्र श्री भोला राम तनेजा निवासी 4/37 डब्ल्यू० ई० ए० करोल बाग नई दिल्ली (अन्तरक)

2. श्री हरवंश लाल धुपर पुत्र श्री ज्ञान चन्द धुपर निवासी टी-474 हस्ता किदारा नजदीक वाटर टैंक दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० जी-13, बाली नगर गांव के बलाके बसई दारा पुर, दिल्ली, राज्य दिल्ली में स्थित है।

आर०बी०एल०अग्रवाल
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II दिल्ली,

तारीख : 20-3-198
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II

4/14 क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली-110002

नई दिल्ली-110002, दिनांक 20 मार्च 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/II/एस० आर०-I/7-79/5585—अतः मुझे, आर० बी० एल० अग्रवाल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या ऐ-3, 45 है तथा जो माल रोड दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई, 1979।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. मैसर्स रैनटाईरज ऐंड फाईनेंशर्ज प्राईवेट लिमिटेड 10-हेली रोड, नई दिल्ली (अन्तरक)

2. श्रीमती पुष्पा सिंगल पत्नि श्री जी० एन० सिंगल निवासी ए-191 डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील के 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम (1 के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ऐ-3,45 माल रोड दिल्ली।

आर० बी० एल० अग्रवाल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, दिल्ली,
नई दिल्ली-110002

तारीख : 20-3-1980

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II 4/14 क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली-110002

नई दिल्ली-110002, दिनांक 20 मार्च 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-II/एस० आर०-I/7-79/5561—अतः, मुझे, आर० बी० एल० अग्रवाल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या प्लाट नं० 6 म्यूनिसिपल नं० 67/4 है तथा जो मद्रास हाउस, दरयागंज, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 1979 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री भगवान दास टंडन, 18/273, न्यू मोती नगर, करमपुरा, नई दिल्ली। (अन्तरक)

2. श्री कृष्ण गोपाल कपूर, बिल्डिंग कपूर गली नं० 4, राजगढ़, दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं 6, बिल्डिंग मद्रास हाऊस के नाम से जानी जाती है जिस का म्यूनिसिपल नं० 67/4, दरयागंज में स्थित है।

आर० बी० एल० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II दिल्ली,
नई दिल्ली-110002

तारीख : 20-3-1980
मोहर :

प्रारूप आई० टी०एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 15 जनवरी 1980

निदेश सं० 133-ए/हापुड़/79-80—अतः, मुझे, बी० सी० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 213 दुकान है तथा जो मो० खिड़की बाजार, हापुड़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हापुड़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 21-11-1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सत्य प्रकाश पुत्र स्व० श्री प्यारेलाल, निवासी राधा भवन चन्डीरोड, हापुड़, जिला गाजियाबाद स्वयं व मुख्त्यार आममिन जानिब श्री रतन प्रकाश व श्री आनन्द प्रकाश व श्री वेद प्रकाश पुत्रगण श्री स्व० प्यारेलाल, नि० राधाभवन, चन्डी रोड, हापुड़, जि० गाजियाबाद। (अन्तरक)

2. श्री राजेंद्र कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद नि० मौ० बुर्ज, कस्बा हापुड़, जिला गाजियाबाद। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक दुकान पक्की पश्चिम मुहानी नाम में करीब 19 वर्ग गज नं० 213 म जीना नं० 214 स्थित मौ० खिड़की बाजार, हापुड़, जिला गाजियाबाद में स्थित है।

बी० सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 15-1-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज कानपुर

कानपुर, दिनांक 16 जनवरी 1980

निदेश सं० 330-ए/पी० एन०/हापुड़/79-80—अतः मुझे बी० सी० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 212 दुकान है तथा जो मौ० खिड़की बाजार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हापुड़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 21-11-1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सत्य प्रकाश पुत्र स्व० श्री प्यारे लाल निवासी राधा भवन चन्डीरोड हापुड़ जिला गाजियाबाद स्वयं व मुख्त्यार आम मिन जानिब श्री रतन प्रकाश व श्री आनन्द प्रकाश व श्री वेद प्रकाश पुत्रगण श्री स्व० प्यारे लाल निवासी राधा भवन चन्डी रोड हापुड़ जिला गाजियाबाद (अन्तरक)

2. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद निवासी मौ० बुर्ज कस्बा हापुड़ जिला गाजियाबाद (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक दुकान पक्की दुखनी पश्चिम मुहानी नाप में करीब 16 वर्ग गज सं० 212 स्थित मौ० खिड़की बाजार कस्बा हापुड़ जिला गाजियाबाद में स्थित है ।

बी० सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज कानपुर ।

तारीख : 15-1-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज कानपुर

कानपुर दिनांक 28 जनवरी 1980

निदेश सं० 1246-ए/कानपुर/79-80—अतः मुझे बी० सी० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 7/109 ए है तथा जो स्वरूप नगर कानपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 15-10-1979 को

पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जेम्स राबर्ट नील पुत्र स्व० श्री एम० जी० नील निवासी 7/109 ए स्वरूप नगर कानपुर (अन्तरक)

2. श्रीमति राणी ओबराय पत्नि श्री जगमोहन ओबराय निवासी 7/202 ए स्वरूप नगर कानपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता मकान नम्बर 7/109ए स्वरूप नगर कानपुर जिसका क्षेत्रफल 425 वर्ग गज है।

बी० सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
(सहायक आयकर आयुक्त, निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 28-1-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 4 जनवरी 1980

निदेश सं० 10001—ए/पी एन०/बागपत/79—80—अतः मुझे बी० सी० चतुर्वेदी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० 552 व 620 है तथा जो ग्राम खिन्दौड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बागपत में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 27-9-1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री हरीराम निवासी, खिन्दौड़ा पर० तह० बागपत जिला मेरठ (अन्तरक)

2. श्री कृष्णलाल सिंह पुत्र श्री ओंकार सिंह व श्रीमति मुख्बीरी पत्नि कृष्णापाल सिंह निवासी खिन्दौड़ा पर० तह० बागपत, जिला मेरठ (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि ग्राम खिन्दौड़ा पर० व तह० बागपत जिला मेरठ में स्थित है जिसका नम्बर 552/532+110 व 620/1 713+9 है।

बी० सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख 4-1-1980
मोहर :

प्ररूप आई॰टी॰एन॰एस॰———

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर दिनांक दिनांक 4 जनवरी, 1980

निदेश सं॰ 1002-ए/पी॰ एन॰/बागपत/79—80— अतः मुझे बी॰ सी॰ चतुर्वेदी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000-/ रु॰ से अधिक है

और जिसकी सं॰ 532 तथा जय ग्राम खिवौड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बागपत में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (190 8 16) के अधीन तारीख 27-9-1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 57) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री चरण सिंह पुत्र श्री हरीराम निवासी खिन्दौड़ा पर॰ व॰ तह॰ बागपत जिला मेरठ (अन्तरक)

2. श्री नवीन कुमार, नीरज कुमार पुत्र कृष्णपाल व विलायत ओंकार सिंह बाबा खुद निवासी खिन्दौड़ा व श्रीमति सरिता पत्नि हरीश निवासी नांगला कबीर तह॰ जिला मुजफ्फरनगर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया हुआ है।

अनुसूची

कृषि भूमि नम्बर 532/1011) 1+1 स्थित ग्राम खिन्दौड़ा परगना व तह॰ बागपत जिला मेरठ में स्थित है।

बी॰ सी॰ चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 4-1-1980।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अजमत रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 15 फरवरी, 1980

निदेश सं० 1395-ए/मेरठ/79-80—अतः मुझे, बी० सी० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी स० 223 है तथा जो वेस्ट एण्ड रोड मेरठ कैन्ट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मेरठ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 26-11-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन 'निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री के० के० पुरी पुत्र स्व० मुलखराज व श्रीमति उमापुरी पत्नि स्व० सी० के० पुरी श्रीमति प्रेमलता पत्नि स्व० एच० के० पुरी श्रीमति अंचला सेठी पत्नि श्री एच० आर० सेठी नि०गण 223 वेस्टएंड रोड, मेरठ केन्ट (अन्तरक)

2. श्रीमति कुसुमलता पत्नि तारा चन्द शास्त्री व श्री फतेहचन्द्र पुत्र श्री घनश्याम दास व श्री तारा चन्द्र पुत्र गोवर्धन सिंह व श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र नकली राम मदन लाल व श्री प्रवीन पुत्र श्री फतेहचन्द निवासी वेस्ट ऐंड रोड, मेरठ कैन्ट (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय के 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सम्पूर्ण बंगला नम्बर 223 वेस्ट ऐंड रोड मेरठ कैन्ट में है तथा जिसका क्षेत्रफल 4003.13 वर्ग मीटर है ।

बी० सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 15-2-1980 ।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 14 फरवरी 1980

निदेश सं० 892-ए/रूड़की-79—80—अतः मुझे बी० सी० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट है तथा जो अम्बरतालाब पूर्वी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रूड़की में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 20-8-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री राजाराम पुत्र श्री भगतराम निवासी 28 हरी-भवन मो० सौत कस्बा रुड़की परगना व तह० रुड़की जिला सहारनपुर (अन्तरक)

2. श्री राजेन्द्रपाल पुत्र श्री मदन मोहन गुप्ता निवासी कस्बा पुरकाजी डा० खास जिला मुजफ्फरनगर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता प्लाट जिसकी नाप पूरब व पश्चिम की ओर 60, 60 फुट उत्तर व दक्षिण की ओर 75.75 फुट जिसका क्षेत्रफल 4500 वर्ग फुट है स्थित अम्बरतलाब पूर्वी लोधिल लैण्ड रूड़की जिला सहारनपुर जिसका नगर पालिका का नम्बर एक है।

बी सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 14-2-1980
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 14 फरवरी 1980

निदेश सं० 532-ए/देहरादून/79-80---अतः मुझे, बी॰ सी॰ चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 363, 364, 369, 371 372 है जो धर्मपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय देहरादून में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 2-7-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अमोलक राय ओबरायग्र रविन्द कुमार ओबराय' अटारनी अमरिश कुमार ओबराय, और अमरिश कुमार ओबराय 10, म्युनिसिपल रोड देहरादून (अन्तरक)

2. श्री जयानन्द जोशी पुत्र रूद्रदत्त जोशी 37/3 मेंहरा-रोड देहरादून (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि खसरा नं० 363, 364, 369, 371, 372 कुल क्षेत्रफल दो बीघा दस विस्वा 7/1/2 विस्वन्सी ग्राम धर्मपुर तह व० जिला देहरादून में स्थित है।

बी॰ सी॰ चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख 14-2-1980।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर दिनांक 19 दिसम्बर, 1979

निदेश सं० 937-ए/बुलन्दशहर/79-80—अतः मुझे, बी० सी० चतुर्वेदी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या है तथा जो सिविल लाइन्स एरिया चांदपुर रोड बुलन्दशहर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बुलन्दशहर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (108 का 16) के अधीन तारीख 3-9-79 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमति शान्ती देवी भटनागर निवासी ईटा रोड बुलन्दशहर (अन्तरक)

2. श्री अशोक कुमार प्रदीप कुमार दिलीप कुमार पुत्र श्री ओमेश्वर दयाल सिंघल एडवोकेट बुलन्दशहर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता मकान पुराना पुख्ता स्थित मोहल्ला सिविल लाइन एरिया कचहरी चांद पुर रोड बुलन्दशहर।

बी० सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 19-12-1979
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज कानपुर

कानपुर दिनांक 2 फरवरी, 1980

निदेश सं॰ 730ए/मेरठ/79-80—अतः मुझे बी॰ सी॰ चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है

और जिसकी सं॰ प्लाट 'ए' है तथा जो बाउन्डरी रोड सिविल लाइन्स में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मेरठ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 6-8-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री अनिल दुबे पुत्र स्व॰ होरी लाल दुबे निवासी 166 सिविल लाइन्स मेरठ) (अन्तरक)

2. श्री धर्मेंद्र कुमार गुप्ता पुत्र फकीर चन्द्र तथा श्रीमति निर्मिला गुप्ता पत्नी श्री धर्मेंद्र कुमार गुप्ता नि॰ 181 बेगम बाग (मेरठ) (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट क्षेत्रफल 403 वर्ग गज बाउन्डरी रोड सिविल लाइन्स मेरठ में स्थित है।

बी॰ सी॰ चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
(सहायक आयकर आयुक्त, निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख 2-2-1980।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 14 जनवरी, 1980

निदेश सं० 694/अर्जन/कानपुर/79-80—अतः मुझे बी० सी० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 95/59 है तथा जो कानपुर, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 14-11-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमें बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सी० महमूद उमर जैदी सै० मुहम्मद उवैस जैदी व सी० जावेद उमर जैदी 95/47 बेकनगंज कानपुर (अन्तरक)

2. श्रीमति अख्तर जहां पत्नि मुहम्मद अमगर 92/62 पुरवा हीरामन कानपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक जायदाद नम्बर 95/59 बेकनगंज कानपुर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 364.44 वर्ग गज है।

बी० सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 14-1-1980।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० ए०१० एस०------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज कानपुर

कानपुर, दिनांक 29 फरवरी 1980

निदेश सं० 801/अर्जन/मथुरा/79--80--अतः मुझे बी० सी० चतुर्वेदी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 50 कोठी 47 है तथा जो गोविन्द नगर मथुरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मथुरा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 31-7-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री बी० एन० गुप्ता पुत्र श्री चरन दास निवासी दी माल मिला (अन्तरक)

2. श्री चित रंजन कुमार शर्मा पुत्र श्री चन्द्रशेखर शर्मा गोविन्द नगर मथुरा (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक कोठी नम्बर 60 प्लाट नम्बरी 47 ए वाके गोविन्द नगर मथुरा में स्थित है।

बी० सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख 29-2-1980
मोहर :

प्रकप आई० टी० एन० एम०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 21 फरवरी 1980

निदेश सं० 913/अर्जन/शिकोहाबाद/79-80---अतः मुझे बी० सी० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० मकान 276 है तथा जो बाके गढ़ैया कस्बा शिकोहाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय शिकोहाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 18-10-1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल को पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री रमेश चन्द्र जैन व श्री अशोक चन्द्र खुद व श्री अशोक चन्द मुख्तार आम श्री सुभाष चन्द्र जैन पुत्रगण श्री लाल मुरारी लाल जैन निवासी मन्डी श्रीगंज कस्बा शिकोहाबाद (अन्तरक)

2. श्रीमति भगवती देवी पालीवाल धर्म पत्नि श्री रामगोपाल पालीवाल निवासी मुहल्ला गढैया कस्बा शिकोहाबाद (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता मकान नं० 276 बाके गढ़ैया कस्बा शिकोहाबाद में स्थित है।

बी० सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 21-2-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 29 फरवरी, 1980

निदेश सं० 296/अर्जन भरथना/79-80—अतः मुझे बी० सी० चतुर्वेदी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो मौजा प्रजा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भरथान में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 16-7-1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री हृदयनाथ पुत्र चिरोजी लाल पालीवाल निवासी ग्राम प्रजहाल ग्राम पिरोडा खास तह० कोच जिला जालौन (अन्तरक)

2. श्री नाथूराम पुत्र राम प्रसाद व छविनाथ पुत्र राम भरोसे लाल शाक्य सा० न० गढिया परहार मौजा प्रजा व प० भरथाना जिला इटावा (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित, हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि मौजा प्रजा नम्बर 251 रकबा 4.99 साक 91.09 पैसे में स्थित है।

बी० सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख 29-2-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 7 मार्च 1980

निदेश सं० 426/अर्जन/आगरा/79-80—अतः मुझे, बी० सी० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है,

और जिसकी सं० 262 है तथा जो मौजा लजमरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आगरा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 25-7-1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री महाराज सिंह पुत्र कंचन सिंह निवासी लड़ामदा तह० व० जिला आगरा (अन्तरक)

2. श्री पूरन सिंह पुत्र श्री गोपी चन्द्र निवासी बिचपुरी आगरा व शंकरलाल पुत्र मखखूमल निवासी गली महादेव मोती कटार आगरा (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

262 आराजी बाके मौजा लड़ामदा तह व जिला आगरा में स्थित है।

बी० सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 7 फरवरी, 1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 7 मार्च 1980

निर्देश सं० 216/अर्जन/फिरोजबाद/79-80—यत

मुझे, बी० सी० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० तथा जो आलीनगर केंजरा में स्थित है है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फिरोजाबाद में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 20-7-1979 का

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या आय आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री लायक सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह निवासी आलीनगर केंजरा पर० फिरोजाबाद जिला आगरा (अन्तरक)

2. श्री कंचन सिंह, फोरन सिंह व जगदीश सिंह गजराज सिंह 1/3 भाग वजय दयाल सिंह छोटे लाल, रक्षपाल सिंह पुत्र सोनपाल 113 भाग व राधेश्याम पुत्र जिमीपाल 1/3 भाग सा० आलीनगर केंजरा पर० फिरोजाबाद (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

बाके मौजा आली नगर केंजरा पर० फिरोजाबाद जिला आगरा में स्थित है ।

बी० सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
(सहायक आयकर आयुक्त, (नरीक्षण)
अर्जन रेंज कानपुर,

तारीख : 7-3-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 6 मार्च 1980

निदेश सं० 457/अर्जन/फिरोजाबाद/79-80—अतः मुझे बी सी० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० भूमि है तथा जो ग्राम सुखमलपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फिरोजाबाद में, रजिस्ट्रीकरण, अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन

तारीख 17-7-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मुन्ना लाल पुत्र श्री हीरालाल जाटव निवासी टापावला मजरा मौजा सुखमलपुर निजामाबाद तह० फिरोजाबाद (अन्तरक)

2. श्री डालचन्द पुत्र श्री तेजसिंह निवासी टापावला तह० फिरोजाबाद व श्रीमति छाया महर्षि धर्म पत्नि श्री महेश चन्द्र जी शर्मा निवासी बाई पास रोड कस्बा फिरोजाबाद (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि ग्राम सुखमलपुर निजामाबाद तह० फिरोजाबाद खसरा नं० 395 रकबा 21112-5 लगानी 20-55 है ।

बी० सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, निरीक्षण
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख 6-3-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम; 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 6 मार्च 1980

निदेश सं० 357/अर्जन/मथुरा/79–80—यतः, मुझे, बी० सी० चतुर्वेदी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है); की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है,

और जिसकी सं० प्लाट 5 और 7 है तथा जो बाके रेती रमन बृन्दावन में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मथुरा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 20–7–79

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री बिहारी लाल, मुनझुनवाला पुत्र बिसेसर दास निवासी दौमा पट बृन्दावन मंत्री श्री भगवान भजनाश्रम पथरपुरा बृन्दावन तह० व जिला मथुरा (अन्तरक)

2. कुमारी श्यामा व कुमारी विशाला व कु० कृष्णा पुत्री श्री रामकृपाल शास्त्री निवासी मनगढ़ जिला प्रतापगढ़ (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दो प्लाट जमीन नम्बर 5 और 6 बाके रमन रेती बृन्दावन मथुरा में स्थित है।

बी० सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 6-3-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 1 मार्च, 1980

निदेश सं० 249/अर्जन; मथुरा/79-80—यतः, मुझे, बी० सी० चतुर्वेदी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० 12069 है तथा जो सेठवाडा मथुरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मथुरा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 5-7-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री राम नाथ व सुभाष चन्द्र पुत्र लाल चन्द्र श्रीमती सुशीला देवी पत्नि बालकिशन, निवासी समतहाम मथुरा (अन्तरक)

2. श्रीमति चन्द्र प्रभा पत्नि कंचन लाल निवासी मथुरा सदर बाजार बृन्दबन (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मकान नम्बर 1206 व 1307 बाके सेठवाडा मथुरा में स्थित है।

बी सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 1-3-1980
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 1 मार्च 1980

निदेश सं॰ 200/अर्जन कोल/79-80—यतः मुझे, बी॰ सी॰ चतुर्वेदी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं॰ कृषि भूमि है तथा जो औरंगाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अलीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 18-7-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री देशबीर सिंह आत्मज देशराज सिंह निवासी इन्द्रगंज नगर लश्कर ग्वालियर मध्य प्रदेश मुख्तार मामभिनजानिब श्री देशराज सिंह आत्मज श्री दिलीप सिंह नि॰ ग्राम औरंगाबाद पर॰ मोरथल तह॰ कोल जिला अलीगढ़ (अन्तरक)

2. श्री नत्थी मल व श्याम लाल पुत्रगण श्री होतीलाल निवासी गण ग्राम हरदुआगंज पर॰ व॰ तह॰ कोल जिला अलीगढ़ व भरतपाल सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह नि॰ ग्राम उपरोक्त औरंगाबाद पर॰ व॰ तह॰ कोल जिला अलीगढ़ (अन्तरिती

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि नं॰ 167 और 176 दस बीघा तेरह बिस्वा सात बीघा 6 बिस्वा कुल सतरह बीघा 6 बिस्वा है, औरंगाबाद में स्थित है।

बी॰ सी॰ चतुर्वेदी,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
(अर्जन रेंज), कानपुर

तारीख: 1-3-1980
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 15 मार्च, 1980

निदेश सं० 957-ए/पी० एन० मंसूरी/79-80—यतः, मुझे, बी० सी० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० बिरेंड बुड स्टेट है तथा जो कुलरी मंसूरी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मंसूरी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 19-7-79 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

17—6GI/80

1. श्रीमति बिलकुईज फायज अहमद, पत्नि फायजुद्दीन, अहमद, सुलेमन अहमद तथा मुइनउदीन अहमद पुत्र स्व० फैयाज तथा श्रीमति मेहनाज अमीर कुलमाला एलयास श्रीमति रूकमाना अहमद नि० 93 म्यूर रोड, इलाहाबाद (अन्तरक)

2. श्री बलराज साहनी पुत्र स्व० लाजपत राय साहनी नि० न्यू मारकेट मंसूरी व श्री अनिल कापूर पुत्र श्री देवराज कापूर निवासी कैम्पटन कोट स्कूल मनसूरी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति जिसका क्षेत्रफल लगभग एक एकड़ है और जो बिरेन्डबुड के नाम से जानी जाती है कुलरी मंसूरी में स्थित है।

बी० सी० चतुर्वेदी,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 15-3-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० ए स०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 6 मार्च 1980

निदेश सं० 680-ए/कानपुर/79-80—यतः, मुझे, बी० सी० चतुर्वेदी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/— रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान 119/501 है तथा जो बी० (3) दर्शन पुरवा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 24-7-79

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269—ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269—घ की उपधारा (1) के निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सुजान सिंह पुत्र श्री नानक सिंह निवासी 119/501 बी (3) दर्शनपुरवा कानपुर (अन्तरक)

2. श्री रामचन्द्र सिंह व श्रीमति रामप्यारी देवी 119/501 बी (3) दर्शन पुरवा कानपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20—क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किला मकान नं० 119/501 बी (3) दर्शन पुरवा कानपुर जिसका क्षेत्रफल 535 वर्ग गज है।

बी० सी० चतुर्वेदी,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 6-3-1980
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 4 मार्च, 1980

निदेश सं० 687-ए/कानपुर/79—80—अतः मुझे बी० सी० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० 118/264 है तथा जो कौशलपुरी कानपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 19-7-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री राजेंद्र बहादुर सिंह, श्रीपाल सिंह, राना सिंह, कृष्ण पाल सिंह, चन्द्र भूषण सिंह, अनिल कुमार सिंह, अरूण कुमार सिंह, सूर्यभूषण सिंह, शशिभूषण सिंह सा० मौजा काशीपुर तह० अकबरपुर जिला कानपुर (अन्तरक)

2. श्रीमति शान्ति बाजपेयी पत्नि श्री श्रीनारायन बाजपेयी निवासी 27/1ए बिरहाना रोड कानपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता मकान नं० 118/284 कौशलपुरी कानपुर में स्थित है ।

बी० सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 4-3-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर दिनांक, 4 मार्च 198

निदेश नं० 954-ए/मु० नगर/79-80—अतः मुझे बी० सी० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० 47बी है तथा जो पटेल नगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मुजफ्फरनगर ;, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 25-7-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्

1. श्रीमति सरोज गर्ग पत्नि सत्य प्रकाश गर्ग व प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर (अन्तरक)

2. श्री वेद प्रकाश जैन व सज्जन कुमार जैन पुत्र रामचन्द्र जैन निवासी बी नई मन्डी मुजफ्फरनगर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील के 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गृह सम्पत्ति पटेल नगर जिला मुजफ्फरनगर में स्थित है :

बी० सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख 4-3-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 6 मार्च 1980

निदेश सं० 530-ए/देहरादून/79-80---अतः मुझे बी० सी० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 3/80 है तथा जो जैन मारकेट विकास नगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय देहरादून में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 13-7-1979

को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिति (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री पुरुषोत्तम कुमार जैन, श्री सतीश कुमार जैन विकास नगर जिला देहरादून (अन्तरक)

2. मनदीप पाइप धनसीविटर्स प्रा० लि० देहरादून (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील के 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक सिनेमा बिल्डिंग जिसका नाम शशि थेटर्स नं० 3/60 बी०/के० एच० ए० पार्ट न्यू जैन मारकेट विकास नगर में स्थित है।

बी० सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 6-3-1980।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 12 मार्च 1980

निदेश सं० 956-ए/मु० नगर/79-80—अतः मुझे बी० सी० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० मकान 500/2 है तथा जो सिविल लाइन में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मुजफ्फरनगर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 30-7-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री दीपचन्द्र पुत्र लाला संगमलाल नि० मोहल्ला पटेल नगर काकड़ा भवन घर० व० जिला मुजफ्फरनगर (अन्तरक)

2. श्री विनोद कुमार पुत्र लाला त्रिलोकी नाथ व श्रीमति कुसुमलता व विनोद कुमार वर्तमान निवासी 500/2 साउथ सिविल लाइन्स मुजफ्फरनगर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता मकान जिसका नम्बर 500/2 क्षेत्रफल 250 वर्गगज मोहल्ला सिविल लाइन मुजफ्फरनगर में स्थित है।

बी० सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 12-3-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 14 मार्च 1980

निदेश सं० 774-ए/गाजियाबाद/79-80—अतः मुझे बी० सी० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० फैक्ट्री बिल्डिंग है तथा जो डी/3 मेरठ रोड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 3-8-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सोमदत तकियार सुपुत्र श्री मलावाराम तकियार केयर आफ मैसर्स ट्यूब बैंड वायर नोटिंग कम्पनी देहली गेट गाजियाबाद निवासी मोहल्ला गान्धी नगर गाजियाबाद (अन्तरक)

2. मेसर्स निशा स्टेशनरी मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी प्रा० लि० 104 नवयुग मार्किट गाजियाबाद द्वारा श्री दीपक कुमार गुप्ता आयरेक्टर सुपुत्र लाला दामोदर दास निवासी 51 मोहल्ला छता देहलीगेट गाजियाबाद (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक फैक्टरी बिल्डिंग डी/3 मेरठ रोड इन्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद में स्थित है ।

बी० सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख 14-3-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 14 मार्च 1980

निदेश सं० 598-ए/मेरठ/79–80 —अतः मुझे बी० सी० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी मकान सं० 31 तथा जो मोहल्ला इस्लामाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मेरठ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 20-7-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मोहम्मद अनीक पिसर मोहम्मद फारूख साकिन आजाद कालोनी इस्लामाबाद शहर मेरठ (अन्तरक)

2. श्री मोहम्मद यूनुस अब्दुल गफ्फार व अब्दुलसतार व अब्दुल जब्बार पिसरान मोहम्मद यासीन साकिनान मौजा लावड़ जानअली तह० सरधना जिला मेरठ (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मकान दुमंजिला उर्फ मुत्तहाना जिसका रकबा 250 वर्गगज है नम्बरी 31 मोहल्ला इस्लामाबाद शहर मेरठ में स्थित है।

बी० सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (नरीक्षण)
अर्जन रेंज कानपुर

तारीख : 14-3-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 1 मार्च 1980

निदेश सं० 365/अर्जन/झांसी—अत: मुझे बी० सी० चतुर्वेदी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० बंगला नं० 41 है तथा जो सदर बाजार झांसी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय झांसी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 19-7-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री राजेश प्रकाश व ओम प्रकाश व वीरेंद्र प्रकाश व अनिल प्रकाश पुत्र श्री हरीश चन्द अग्रवाल निवासी ओकनाग शहर व जिला झांसी (अन्तरक)

2. श्रीमति जगजीत कौर धर्म पत्नि श्री मन मोहन सिंह निवासी बांगला नम्बर 41 सदर बाजार ओरछा रोड शहर-झांसी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक रिक्त बंगला नम्बर 41 एकतालिस स्थित सदर बाजार (ओरछा गेट) शहर व जिला झांसी किराया 93/महीना आता है हाउस टैक्स 30 रू० सालाना है इसिसमेंट 967 उक्त मकान में एक पुराना पक्का कुआं भी है बंगला पक्का इक मंजिला है चौहद्दी पूर्व सड़क है।

बी० सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 1-3-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 6 मार्च 1980

निदेश सं० 2992 अर्जन/फतिहाबाद/79-80—अतः मुझे बी० सी० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फतेहाबाद में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 12-7-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री हबीब उल्ला पुत्र श्री छीतरिया निवासी ग्राम सिरोखा तह० फतेहाबाद, जिला आगरा (अन्तरक)

2. श्री रनधीर सिंह व नारायन सिंह बालिगान पुत्रगण श्री ज्वालाप्रसाद व कमल सिंह व उमर 12 साल व ऐलहल सिंह व उम्र आठ साल व महताब सिंह व उम्र 6 साल नाबालिगान पिता ज्वाला प्रसाद उक्त व विलायत अमृत पुत्र श्री डालचन्द्र निवासी गांव मरऊ जिला मथुरा मंसा हकीकी नाबालिगान व शिव सिंह बालिग पुत्र श्री महेंद्र सिंह व लाखन सिंह व उम्र 14 साल व ओमवीर सिंह व उम्र 11 साल पिसरौन श्री महेंद्र सिंह उरू नाबालिग व विलायत छिबान सिंह पुत्र श्री पूरनवेंद्र चाचा हकीकी नाबालिगान मौसूफ समर्मतिना फतेहबादा व जिला आगरा। (अन्तरिती)

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आराजी खाता नं० 57 खसरा नं० 244 रकबा 14 बिस्वा 8 बिसवान्सी लगान 5/45 पै० व खाता नं 149 खसरा नम्बर 227 रकबा 1111; 2-19 व खसरा नं० 244 रकाव 11/3—8 लगान 94/60 पै० कुल रकवा 13-15 कुल लगानी 100/05 पैसे। के ग्राम सिरोचा तह० फतेहाबाद जिला आगरा में स्थित है

बी० सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख 6-3-1980।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 18 जनवरी 1980

निदेश सं० पी-77/अर्जन—अतः मुझे, अमरसिंह बिसेन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 68 लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, है, तथा जो लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, इलाहाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इलाहाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 21-7-1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. डा० राम दास कपूर कर्ता हि०अ० परि०
2. डा० डी०के० कपूर

(अन्तरक)

2. श्री प्रकाश नारायण महरोत्रा व कामीनरेश महरोत्रा

(अन्तरिती)

3. श्री जी० वी० लायल व अन्य

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बंगलो नं० 6/8 लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, (एलगिन रोड) इलाहाबाद लीजहोल्ड व वह सारी सम्पत्ति, जो सेलडीड तथा फार्म 37 जी संख्या 3290 में वर्णित है और जिसका पंजीकरण सब-रजिस्ट्रार इलाहाबाद के कार्यालय में दिनांक 21-7-1979 को हो चुका है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (नरीक्षण)
अर्जन रेंज

तारीख : 18-1-80
मोहर :

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 10th March, 1980

No. A.32014/1/80-Admn.II.—The Chairman, Union Public Service Commission, hereby appoints Shri M. L. Dhawan, a permanent Superintendent (Holl.) to officiate on an *ad-hoc* basis as Deputy Controller (DP) in the office of Union Public Service Commission for the period from 1-3-1980 to 31-5-1980, or until further orders, whichever is earlier.

The 11th March 1980

No. A.32014/2/80-Admn.II.—The Chairman, Union Public Service Commission, hereby appoints the following Superintendents (Holl.) in the office of the Union Public Service Commission to officiate on an *ad-hoc* basis as Assistant Controller (D.P.) in the Commission's office for the period from 1-3-80 to 31-5-80, or until further orders, whichever is earlier :—

1. Shri J. L. Kapur.
2. Miss Santosh Handa

No. A.35014/1/80-Admn.II.—The Chairman, Union Public Service Commission, hereby appoints Shri M. S. Chhabra, a permanent Section Officer of the CSS Cadre of the Union Public Service Commission to officiate on an *ad-hoc* basis as Senior Analyst for the period from 1-3-1980 to 31-5-1980, or until further orders, whichever, is earlier.

2. Shri M. S. Chhabra will be on deputation to an *ex-cadre* post of Senior Analyst, Union Public Service Commission and his pay will be regulated in accordance with the provisions contained in the Ministry of Finance O.M. No. F.10(24)-E.III/60 dated 4-5-1961, as amended from time to time.

S. BALACHANDRAN
Under Secy.
for Chairman.,
Union Public Service Commission

New Delhi-110011, the 6th March 1980

No. A.12019/1/80-Admn.II.—The Secretary, Union Public Service Commission, hereby appoints the following permanent Research Assistants (Hindi) of this office to officiate on an *ad-hoc* basis as Junior Research Officer (Hindi) for the period from 1-3-1980 to 31-5-1980, or until further orders, whichever is earlier.

1. Smt. Sudha Bhargava.
2. Shri Chand Kiran.
3. Shri J. N. S. Tyagi.

S. BALACHANDRAN
Under Secy.
for Secy.
Union Public Service Commission

New Delhi-110011, the 25th February 1980

No. A.12025(ii)/1/78-Admn.III.—In pursuance of the Department of Personnel & Administrative Reforms O.M. No. 5/77/79-CS(I) dated 21-12-79, the President is pleased to appoint Shri P. S. Rana, a permanent Assistant of the C.S.S. cadre of U.P.S.C. and officiating as Section Officer on *ad-hoc* basis *vide* this office Notification No. A.32014/1/79-Admn.III dated 18th December, 1979 to officiate as Section Officer in the same service of the cadre with effect from 21-12-1979, until further orders.

No. A.12025(ii)/1/78-Admn.III.—In pursuance of the Department of Personnel & A.R. O.M. No. 5/77/79-CS(1), dated 21-12-79, the President is pleased to appoint Shri Jit Ram, a permanent Assistant of the C.S.S. cadre of U.P.S.C. to officiate as Section Officer in the same service of the cadre with effect from 21-12-79, until further orders.

S. BALACHANDRAN
Under Secy.
Incharge of Administration
Union Public Service Commission

New Delhi-110011, the 29th February 1980

No. 32013/4/79-Admn.I.—In partial modification of Union Public Service Commission Notification S. No. A 32013/1/79-Admn. (i) dated 14-1-80 and No. A 32013/4/79-Admn. I dated 1-2-1980, the President is pleased to appoint the following officers in the office of the Union Public Service Commission included in the Select List for 1978 for appointment to Grade I of Central Secretariat Service, to officiate as Under Secretaries in the office of Union Public Service Commission with effect from 14-12-1979 (Forenoon) until further orders.

S. No. No.	Name	Designation
1	2	3
1.	Shri B. B. Mehra	Permanent Officer of Grade A of CSSS.
2.	Shri B. S. Kapur	Permanent Officer of Section Officers' Grade of CSS.
3.	Shri R. N. Khurana	Permanent Officer of Section Officer's Grade of CSS.
4.	Shri J. P. Goel	Permanent Officer of Section Officer's Grade of CSS.
5.	Smt. Bhavani Thyagarajan	Permanent Officer of Section Officer's Grade of CSS.
6.	Shri M.A. Ganapathy Ram	Permanent Officer of Grade A of CSSS.

The March 1980

No. A.32013/4/79-Admn.I(b).—The President hereby appoints Shri Dau Dayal, an officer of the Section Officer's Grade of the CSS Cadre of Union Public Service Commission and included in the Select List for the year 1978 for appointment to Grade I of Central Secretariat Service, to officiate as Under Secretary in the office of Union Public Service Commission with effect from the forenoon of 8th January, 1980 until further orders.

The appointment is subject to the final decision of the Supreme Court on Writ Petition No. 626-630 of 1979 by S. S. Sharma and others versus Union of India.

The 1st March 1980

No. A.32013/1/80-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri S. Srinivasan, a permanent Officer of Section Officer's Grade of CSS Cadre of Union Public Service Commission to officiate as Under Secretary on *ad-hoc* basis in Grade I of the Central Secretariat Service in the office of Union Public Service Commission for the period from 1-2-80 to 20-2-80 or until further orders, whichever is earlier.

The 3rd March 1980

No. P/1691-Admn.I.—Consequent upon the expiry of his term of re-employment in the post of Deputy Secretary in the office of Union Public Service Commission, Shri A. Gupta relinquished charge of the office of Deputy Secretary, Union Public Service Commission, with effect from the afternoon of 29th February, 1980.

The 5th March 1980

No. A.32013/3/79-Admn.I.(a).—The President hereby appoints the following permanent officers of the Section Officers' Grade of the CSS Cadre in the office of Union Public Service Commission and included in the Select List for the year 1977 for appointment to Grade I of Central Secretariat Service to officiate as Under Secretaries in the office of Union Public Service Commission with effect from 8-1-1980 (Forenoon) until further orders :

1. Shri Kishan Singh
2. Shri Jit Singh
3. Shri Bhupati B. Murmu

The appointments are subject to the final decision of the Supreme Court in Writ Petition No. 626-630 of 1979 by S. S. Sharma and others Versus Union of India.

The 6th March 1980

No. A.38013/2/79-Admn.I.—The President is pleased to permit Shri M. C. Mago, a permanent Private Secretary (Grade A of the CSSS Cadre) of the Union Public Service Commission, to retire from Government service voluntarily in accordance with Rule 48A of C.C.S. (Pension) Rules, 1972 w.e.f. the forenoon of 3rd March 1980.

S. BALACHANDRAN
Under Secretary
Union Public Service Commission

TO BE SUBSTITUTED FOR NOTIFICATION PUBLISHED ON 16TH FEBRUARY 1980 IN GAZETTE OF INDIA PART III, SECTION 1.

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 18th March 1980

No. 10 RCT 3.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri J. K. Wadehra, Executive Engineer of the Central Public Works Department, as Technical Examiner in the Central Vigilance Commission, in an officiating capacity, with effect from 14-1-1980 (AN), until further orders.

K. L. MALHOTRA
Under Secretary
for Central Vigilance Commissioner

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & A.R.)

(CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION)

New Delhi, the 18th March 1980

No. A-35018/15/79-Ad-I.—Deputy Inspector General of Police, Special Police Establishment, hereby appoints Shri Phani Bhusan Sarkar, Sub-Inspector of Police, West Bengal, on deputation as Inspector of Police in the Delhi Special Police Establishment Division of the Central Bureau of Investigation GOW Calcutta, in a temporary capacity, with effect from the forenoon of 13th February, 1980 until further orders.

Q. L. GROVER
Administrative Officer (E)
C.B.I.

DIRECTORATE GENERAL

CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi-110001, the 14th March 1980

No. O.II-182/69-Estt.—On his services having been replaced at the disposal of the CRPF by the ITB Police, Shri E. S. Bakhtawar took over charge of the post of Commandant 58th Bn. CRPF on the forenoon of 11th February, 1980.

No. O.II-1038/75-Estt.—The Director General is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Usha Jain as Junior Medical Officer in the CRPF on *ad-hoc* basis with effect from 20-2-80 (FN) for a period of 3 months only or till recruitment to the post is made on regular basis, whichever is earlier.

No. O.II-1099/78-Estt.—The President is pleased to relieve Dr. Yogendra Prakash, GDO; Gd-II of Base Hospital-I CRPF, New Delhi with effect from the afternoon of 29-2-80 on expiry of one month's notice under Rule 5(1) of the CCS (Temporary Service) Rules, 1965.

B. K. KARKRA
Assistant Director (Adm.)

OFFICE OF THE INSPECTOR-GENERAL

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110019, the 10th March 1980

No. E-38013(3)/25/79-PERS.—On transfer from Rourkela Shri H. S. Pannu assumed the charge of the post of Asstt. Comdt. CISF, 1st Reserve Bn., Saugar (M.P.) w.e.f. the forenoon of 11th February 1980.

(Sd.) ILLEGIBLE
Inspector General

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi, the 14th March 1980

No. 11/10/78-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri L. Pashot Singh, an officer belonging to the Manipur Civil Service, as Deputy Director of Census Operations in the office of the Director of Census Operations, Manipur, Imphal, by transfer on deputation basis, with effect from the forenoon of 18th February, 1980, until further orders.

The headquarters of Shri Singh will be at Imphal.

The 18th March 1980

No. 11/121/79-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Yadgir Reddy, an Officer belonging to the Andhra Pradesh Civil Service, as Deputy Director of Census Operations, in the Office of the Director of Census Operations, Andhra Pradesh, Hyderabad, by transfer on deputation, with effect from the forenoon of 1st March, 1980, until further orders.

The headquarter of Shri Reddy will be at Hyderabad.

No. 11/121/79-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri M. S. Narasinha Chary, an Officer belonging to the Andhra Pradesh Civil Service, as Deputy Director of Census Operations in the office of the Director of Census Operations, Andhra Pradesh, Hyderabad, by transfer on deputation, with effect from the forenoon of 3rd March, 1980, until further orders.

The headquarters of Shri Chary will be at Hyderabad.

P. PADMANABHA
Registrar General, India

DIRECTORATE OF PRINTING

New Delhi, the 15th March 1980

No. T(6)/AII.—Shri R. S. Taneja, Assistant Manager (Admn.) Government of India Press, Ring Road, New Delhi, Directorate of Printing, retired from Government service on attaining the age of superannuation, on the afternoon of 31st January, 1980.

B. N. MUKHERJEE
Joint Director (Admn.)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

New Delhi-110002, the 14th March 1980

No. 606/CA.I/277-70.—On his attaining the age of superannuation Shri P. Adhikari, Audit Officer (Commercial) serving in the Office of the Accountant General-II, West Bengal Calcutta, retired from service w.e.f. 31-12-1979 (A.N.).

M. S. GROVER
Deputy Director (Commercial)

OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT

CENTRAL REVENUES

New Delhi-2, the 15th March 1980

No. Admn.I/O.O-647/PF/R.C.Bansal.—Shri R. C. Bansal, a permanent Audit Officer of this office, has been absorbed permanently in the National Hydroelectric Power Corporation, Ltd., New Delhi, with effect from 21-9-79 (F.N.) on the terms and conditions contained in the enclosed statement.

This has approval of the Ministry of Finance conveyed *vide* Comptroller and Auditor General's letter No. 287-GE.II/114-79 dated 21-2-80.

(Sd.) ILLEGIBLE
Joint Director of Audit (Admn.)

MINISTRY OF DEFENCE

ORDNANCE FACTORY BOARD

Calcutta, the 11th March 1980

No. 2/80/A/M.—The President is pleased to accept the resignation of the undermentioned Assistant Medical Officers,

Gun & Shell Factory, Cossipore w.e.f. 7-4-79 (AN) and accordingly their names are struck off the strength of Gun & Shell Factory, Cossipore with effect from the same date.

1. Dr. Keshav Singh Sagar, AMO
2. Dr. Arup Roy, AMO

O. P. BAHL
Additional Director General,
Ordnance Factories

INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE

Calcutta, the 12th March 1980

No. 10/80/G.—On expiry of the notice of 3 months, Shri A. C. PILLAI, Subst. & Permt. Deputy Manager voluntarily retired from service w.e.f. 1-5-1976 (A.N.).

V. K. MEHTA
Assistant Director General, Ordnance Factories

MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

New Delhi, the 11th March 1980

IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL

(ESTABLISHMENT)

No. 6/957/72-Admn(G)/1331.—On attaining the age of superannuation Shri T. S. Balakrishnan, a permanent Grade IV officer of CSS, relinquished charge of the post of Controller of Imports and Exports in this office on the afternoon of the 29th February, 1980.

No. 6/632/61-Admn(G)/1341.—On attaining the age of superannuation Shri C. S. Arya a permanent Section Officer of the CSS and officiating in Grade-I of that service relinquished charge of the post of Deputy Chief Controller of Imports and Exports in this office on the afternoon of the 29th February, 1980.

The 13th March 1980

No. 6/1313/79-Admn(G)/1370.—The Chief Controller of Imports and Exports hereby appoints Shri Mahesh Chander, Income-tax Officer in the Income-tax office, Dehradun, as Controller of Imports and Exports (category 'B') in the Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Ahmedabad in an officiating capacity with effect from the forenoon of the 5th February, 1980, until further orders.

2. Shri Mahesh Chander as Controller of Imports and Exports will drawn pay in the pay scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—40—1000—EB—40—1200.

A. N. CHATTERJEE
Dy. Chief Controller of Imports and Exports
For Chief Controller of Imports & Exports

MINISTRY OF INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER SMALL SCALE INDUSTRIES

New Delhi-110011, the 12th March 1980

No. 12(610)/69-Admn.(G).—The President is pleased to appoint Shri P. P. Verma, Assistant Director (Gr. II) (Electrical) in the Small Industries Service Institute, New Delhi as Assistant Director (Gr. I) (Electrical) in the same Institute, with effect from the afternoon of 30th January, 1980, until further orders.

No. 12(625)/69-Admn.(G).—The President is pleased to appoint Smt. R. Chibber, Assistant Editor (Hindi) in the Office of the Development Commissioner (Small Scale Industries), New Delhi as Assistant Director (Gr. I) (Publicity) in the same Office on *ad-hoc* basis with effect from the 15th February, 1980 (F.N.), until further orders.

No. A-19018/431/79-A(G).—The President is pleased to appoint Dr. Sushil Kumar Kapoor as Deputy Director (Chemical) in Regional Testing Centre, New Delhi with effect from the forenoon of 29th February, 1980, until further orders.

The 17th March 1980

No. A-19018/431/79-A(G).—The President is pleased to appoint Shri S. R. Mundargi, Assistant Director (Gr. I) (G/C) in Small Industries Service Institute, Nagpur as Deputy Director (Glass Ceramics) in Small Industries Service Institute, Bombay on *ad-hoc* basis for the period from 29-11-1979, to 30-6-1980.

M. P. GUPTA
Deputy Director (Admn.)

DEPARTMENT OF SUPPLY

DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS

(ADMN. SECTION A-6)

New Delhi, the 28th February 1980

No. A6/247(475)/II.—On his reversion to the post of Asstt. Inspecting Officer (Tex) Shri V. B. Hajela relinquished charge of the office of the Inspecting Officer (Tex) (Grade III of Indian Inspection Service, Group 'A' Textile Branch) and assumed charge of the post of AIO (Tex) in the office of Dy. Director of Inspection, Kanpur under the N.I. Circle, New Delhi from the forenoon of 10th January, 1980.

The 15th March 1980

No. A-247(264).—Shri S. K. Nag, Asstt. Inspecting Officer (Met) in the office of Director of Inspection, Jamshedpur retired from Govt. service w.e.f. the afternoon of 31st Jan., 1980 on attaining the age of superannuation.

No. A6/247(374).—Shri B. N. Roy Chowdhuri, Asstt. Inspecting Officer (Met-Chem) in the office of Director of Inspection, Burnpur retired from Govt. service w.e.f. the afternoon of 31st January, 1980 on attaining the age of superannuation.

No. A-17011/174/80-A6.—The Director General of Supplies and Disposals has appointed Shri S. C. Garg, Examiner of Stores (Engg.) in the office of Director of Inspection, Calcutta to officiate as Assistant Inspecting Officer (Engg.) on *ad-hoc* basis in the same office w.e.f. the forenoon of 2nd Feb., 1980 and until further orders.

No. A-17011/175/80-A6.—The Director General of Supplies and Disposals has appointed Shri N. S. Natarajan, Junior Field Officer in the office of Director of Supplies and Disposals, Madras to officiate as Assistant Inspecting Officer (Engg.) on *ad-hoc* basis in the office of Director of Inspection, Calcutta w.e.f. the afternoon of 28th Jan., 1980 and until further orders.

(ADMINISTRATION SECTION A-1)

The 17th March 1980

No. A-1/1(1153)/80.—The Director General of Supplies & Disposals hereby appoints Shri E. L. Srinivasan, Junior Progress Officer in the office of the DS (Tex.), Bombay to officiate on *ad-hoc* basis as Assistant Director (Grade II) in the same office at Bombay with effect from the forenoon of 1-3-80.

The promotion of Shri Srinivasan as Assistant Director (Grade II) is purely temporary and on *ad-hoc* basis without prejudice to the rights of officers, otherwise senior to him and will not confer on him any right whatsoever to claim promotion in future on the ground of present officiating arrangements.

No. A-1/1(1154)/80.—The Director General of Supplies & Disposals hereby appoints Shri Manoharlal J. Tahiliani, Superintendent in the office of Director of Inspection, Bombay to officiate on *ad-hoc* basis as Assistant Director of Supplies (Grade II) in the office of Director of Supplies (Tex.), Bombay with effect from the forenoon of 1st March, 1980.

2. The appointment of Shri Manoharlal J. Tahiliani as Asstt. Director of Supplies (Grade II) is purely temporary and on *ad-hoc* basis without prejudice to the rights of officers, otherwise senior to him and will not confer on him any right whatsoever to claim promotion in future on the ground of present officiating arrangements.

No. A-1/1(1156)/80.—The Director General of Supplies & Disposals hereby appoints Shri T. V. Pote, Superintendent in the office of the Director of Inspection, Bombay to officiate on *ad-hoc* basis as Assistant Director (Grade II) in the office of the Director of Supplies and Disposals, Bombay with effect from the afternoon of 1st March 1980.

The promotion of Shri Pote as Assistant Director (Grade II) is purely temporary and on *ad hoc* basis without prejudice to the rights of officers, otherwise senior to him and will not confer on him any right whatsoever to claim promotion in future on the ground of present officiating arrangements.

P. D. SETH
Dy. Director (Admn.)
for Director General of Supplies & Disposals

MINISTRY OF STEEL, MINES AND COAL

DEPARTMENT OF MINES

INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 10th March 1980

No. A.19011(163)/75-Estt.A.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint Dr. S. C. Pande, Senior Chemist, on *ad hoc* basis to the post of Senior Chemist in an officiating capacity with effect from 28th February 1980 (A/N) until further orders.

S. V. ALI
Head of Office
Indian Bureau of Mines

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-16, the 13th March 1980

No. 2034B/A-19011(1-AKB)/79-19A.—The President is pleased to appoint Shri Anup Kumar Bandyopadhyay to the post of Geologist (Jr.) in the G.S.I. in the scale of pay of Rs. 700—40—900—EB—40—1100—50—1300/- in an officiating capacity with effect from the forenoon of the 29th December 1979, until further orders.

V. S. KRISHNASWAMY
Director General

SURVEYOR GENERAL'S OFFICE

Dehra Dun, the 12th March 1980

No. C-5607/718-A.—Shri A. B. Sarkar, Map Curator, is appointed to officiate as Establishment and Accounts Officer (GCS Group 'B' post), on *ad hoc* basis in Eastern Circle Office, Survey of India, Calcutta in the scale of pay of Rs. 840—40—1000—EB—40—1200 with effect from 8th February 1980 (A.N.) *vice* Shri Ram Lal, Establishment and Accounts Officer, proceeded on leave.

K. L. KHOSLA
Major General,
Surveyor General of India

DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADIO

New Delhi, the 11th December 1979

No. 2/66/60-SII.—On attaining the age of superannuation Shri S. A. Antonisami, Administrative Officer, All India Radio, Vijayawada has retired from Government Service with effect from 30th September 1979 (AN).

The 15th March 1980

No. 29/7/78-SII.—Shri G. B Patel, Farm Radio Officer working on an *ad-hoc* basis has relinquished charge of the post of Farm Radio Officer, All India Radio, Baroda with effect from 28th January 1980 in pursuance of this Directorate order of even number dated 14-1-80.

S. V. SESHADRI
Dy. Director of Admn
For Director General

New Delhi, the 15th March 1980

No. 6(66)/62-SI.—On attaining the age of superannuation, Shri D. Venkatesan, relinquished charge of the post of Programme Executive, CBS, AIR, Madras with effect from the afternoon of the 31st January 1980.

N. K. BHARDWAJ
Dy. Director of Admn.
for Director General

DIRECTORATE, GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 10th March 1980

No. 6-19/77-DC.—The President is pleased to appoint Dr. Pankaj Kumar Chatterjee, to the post of Bacteriologist, Central Drugs Laboratory, Calcutta, with effect from the forenoon of 25th January 1980 until further orders.

Shri P. G. Ray, relinquished the charge of the post of Bacteriologist, Central Drugs Laboratory, Calcutta, on the same day and proceeded on earned leave.

Shri P. G. Ray assumed the charge of the post of Technical Officer (Bacteriology) in the Central Drugs Laboratory, Calcutta, with effect from the forenoon of 11th February 1980 after availing 15 days earned leave from 25th January 1980 (9th February and 10th February 1980 being holidays on account of Second Saturday and Sunday respectively).

SANGAT SINGH
Dy. Director, Admn.

New Delhi, the 10th March 1980

No. A.19019/26/76(JIP)Admn.I.—The President is pleased to accept the resignation of Dr. P. Ramakrishna Rao, Biochemist Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Pondicherry, from Government service with effect from the afternoon of 1st February 1980.

No. A.12026/5/78(CITTRI)/Admn.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri T. K. M. Pillai, Section Officer, Directorate General of Health Services, to the post of Administrative Officer at the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chingleput, from the forenoon of the 14th January 1980, on an *ad hoc* basis and until further orders.

No. A.12025/7/79(AIIHPH)Admn.I.—The President is pleased to appoint Dr. G. Rajagopal to the post of Assistant Professor of Biochemistry and Nutrition at the All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta with effect from the forenoon of the 8th February 1980 in a temporary capacity, and until further orders.

The 11th March 1980

No A.12024/1/76-Admn.I(Part II)(B).—Consequent on her transfer to Central Government Health Scheme Dr. (Smt.) G. K. Sachar assumed charge of the post of Dental Surgeon under Central Government Health Scheme, New Delhi on *ad hoc* basis with effect from the forenoon of 28th September 1979.

On her appointment to the post of Dental Surgeon under the Central Government Health Scheme Dr. (Smt.) G. K. Sachar relinquished charge of the post of Dental Surgeon at Safdarjang Hospital, New Delhi on the forenoon of 28th September 1979.

No. A.12025/35/76(AIIHPH)Admn.I.—The President is pleased to appoint Dr. (Smt.) Indira Chakravarty to the post of Associate Professor of Biochemistry and Nutrition at the All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta, with effect from the forenoon of the 1st February 1980 in a temporary capacity, and until further orders.

S. L. KUTHIALA
Dy. Director Admn. (O&M)

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

(PPERSONNEL DIVISION)

Bombay-85, the 15th January 1980

No. PA/81(12)/79-R-IV—The Additional Director, Bhabha Atomic Research Centre, appoints the undermentioned officers of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officers/Engineers grade SB with effect from the dates indicated under Col. 5 against each, in the same Research Centre in an officiating capacity until further orders :—

Sl. No.	Name	Permanent post held, if any	Officiating	Date
1	2	3	4	5
1.	Shri Jokhu Ram Gupta	—	SA(C)	1-8-79 (FN)
2.	Shri Parmanand Ladharam Vaswani	Asstt. Foreman	Foreman	Do.
3.	Shri Suresh Champaklal Jhaveri	Do.	Do.	Do.
4.	Shri Vijayendra Krishnarao Harohalli	Do.	Do.	Do.
5.	Shri Nana Damodar Gavande	D'man (C)	—	Do.
6.	Shri Krishnaswamy Venkatesan	—	SA(C)	Do.
7.	Shri Ajay Singh	—	Do.	Do.
8.	Shri Madappad Velayudhan Surendranath	SA(B)	Do.	10-8-79 (FN)
9.	Shri Qasim Mustafa Ali	Do.	Do.	1-8-79 (FN)
10.	Shri Shankar Ramachandra Chinchanikar	T'man 'G'	—	Do.
11.	Shri Pravinchandra Mangal Jibhai Shah	SA(B)	SA(C)	Do.
12.	Shri Jagdish Baburao Mhatre	—	Do.	Do.
13.	Dr. Mannam Subbarao	—	Do.	Do.
14.	Shri Vappala Sethumadhavan	SA(B)	SA(C)	Do.
15.	Shri Unniparambath Kanichukulathu Viswanathan	Do.	Do.	Do.
16.	Shri Vasudevakurup Raveendran Nair	Do.	Do.	Do.
17.	Shri Rameshchandra Haribhai Rakhasia	Do.	Do.	Do.
18.	Shri Chandrasekharan Krishnan Pillai	Do.	Do.	Do.
19.	Shri Narasimhan Gopalan	SA(A)	Do.	Do.
20.	Shri Arunachalam Raju	SA(B)	Do.	Do.
21.	Shri Sayyad Akhtar Hussain	SA(A)	SA(B)	1-8-79 (FN)
22.	Shri Vaithinathan Kannan	SA(B)	SA(C)	Do.
33.	Shri Sadanand Janardan Raut	Do.	Do.	Do.
24.	Shri Madvath Rathnakaran	Do.	Do.	Do.
25.	Shri Asharafkhan Kesarkhan Pathan	—	SA(C)	Do.
26.	Shri Kallarackal Kunjunni Balakrishnan Nair	T'man 'F'	Do.	Do.
27.	Shri Sadanand Chintaman Karandikar	SA(B)	Do.	Do.
28.	Shri Sardar Singh Marhas	Do.	Do.	Do.
29.	Shri Kodi Venkappa Kini	—	Do.	Do.
30.	Shri Nurani Krishnan Seshadri	SA(B)	Do.	Do.
31.	Shri Ashok Ramchandrarao Kulurkar	SA(A)	Do.	Do.
32.	Shri Lalendra Nath Singh	Do.	Do.	Do.
33.	Shri Bimal Ranjan Sarkar	SA(B)	Do.	Do.
34.	Shri Sharad Vishwanath Mayekar	Do.	Do.	Do.
35.	Shri Ramchandra Raghubardatt Sharma	SA(A)	Do.	Do.
36.	Shri Moolcheri Sukumaran Nair	SA(B)	Do.	Do.
37.	Shri Gada Dhar Mondal	Foreanm	—	Do.
38.	Shri Mangesh Ravalnath Kantak	Do.	—	Do.
39.	Shri Payattiniyil Velaudhannair Balakrishnan Nair	Do.	—	Do.
40.	Shri Ramakant Dwarkanath Tungare	SA(B)	SA(C)	Do.
41.	Shri Kamal Kishore Ramrai	D'man 'C'	—	Do.
42.	Shri Subhash Govind Belgaonkar	Do.	—	Do.
43.	Shri Raj Kumar Surma	Do.	—	Do.
44.	Shri Abdul Aziz Umer Dhabi	SA(B)	SA(C)	Do.
45.	Shri Narayan Vasantrao Mangalvedkar	Do.	Do.	Do.
46.	Shri Narayanapillai Shan nukhan Pillai	SA(C)	—	Do.
47.	Shri Vattappilly Gopalakrishnan	SA(B)	SA(C)	1-8-79 (FN)
48.	Shri Sankarasubbier Venkateswaran	Do.	Do.	Do.
49.	Shri Angari Srinivasa Ganesan	—	Do.	Do.

No. PA/81(12)/79-R-IV—The Additional Director, Bhabha Atomic Research Centre appoints the undermentioned officers of VEC of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade SB with effect from the datas indicated under Col. 5 against each, in the same Research Centre in an officiating capacity until further orders.

Sl. No.	Name	Permanent post held, if any.	Officiating as	Date
1	2	3	4	5
	S/Shri			
1.	Tapan Kumar Chattopadhyay	SA(B)	SA(C)	1-8-79
2.	Nadadur Vijayaraghavacharya Muralidharan	SA(B)	SA(C)	16-8-79

A. S. DIKSHIT
Dy. Establishment Officer (R)

Bombay-400085, the 15th February 15, 1980

No. 5/1/79-Estt. II/583—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints the undermentioned official to officiate on an ad-hoc basis as Security Officer for the period shown against his name :—

Sl. No.	Name & Designation	Appointed to officiate as	Period	
			From	To
1	2	3	4	5
	S/Shri			
1.	P. E. Job Asstt. Security Officer	Security Officer	27-8-79 (FN)	29-9-79 (AN)
2.	P. E. Job Asstt. Security Officer	Security Officer	28-12-79 (FN)	2-2-80 (AN)

No. 5/1/79-Estt.II/585—The Controller, Bhabha Atomic Research appoints the undermentioned officials to officiate on an ad-hoc basis as Administrative Officer-II/Asstt. Personnel Officer for the period shown against their names :—

Sl. No.	Name & Designation	Appointed to officiate as	Period	
			From (FN)	To (AN)
1	2	3	4	5
	S/Shri			
1.	S. K. Kapur Asstt. Personnel Officer	Administrative Officer-II	29-10-79	30-11-79
2.	J. R. Karnik Asstt. Personnel Officer	Administrative Officer-II	3-11-79	30-1-80
3.	V. P. Kulkarni Assistant	Asstt. Personnel Officer	29-10-79	30-11-79
4.	A. K. Katre Assistant	Asstt. Personnel Officer.	3-11-79	30-1-80
5.	J. V. Naik Assistant	Asstt. Personnel Officer	3-10-79	9-11-79
6.	S. R. Pinge S.G.C.	Asstt. Personnel Officer	17-12-79	2-2-80

The February 18, 1980

No. 5/1/79-Estt. II/625—Controller, Bhabha Atomic Reserch Centre appoints the undermentioned officials to officiate on an ad-hoc basis as Accounts Officer II/Assistant Accounts Officer for the period shown against their names :

Sl. No.	Name & Designation	Appointed to officiate as	Period		
			From	To	
1	2	3	4	5	6
	S/Shri				
1.	K. J. George Asstt. Accounts Officer	Accounts Officer-II	5-11-79 (FN)	31-12-79 (AN)	
2.	P. B. Kalanke Asstt. Accountant	Asstt Accts. Officer	5-11-79 (FN)	31-12-79 (AN)	
3.	P. B. Kalanke Asstt. Accountant	Asstt. Accts. Officer	1-1-80 (FN)	Until further orders (Till a regular officer is posted vice Shri N. Gokarnesan repatriated to his parent office.	
4.	G. V. Mandke Asstt. Accountant	Asstt. Accts. Officer	24-12-79 (FN)	30-1-80 (AN)	

The 29th February 1980

No. Ref. 5/1/79-Estt.II/752.—The Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri B. M. Naik, S.G.C., to officiate on an *ad hoc* basis as Assistant Personnel Officer for the period from 22nd October 1979 FN to 25th January 1980 AN.

The 3rd March 1980

No. Ref. 5/1/79-Estt.II/797.—The Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri P. B. Karandikar, Assistant to officiate on an *ad hoc* basis as Assistant Personnel Officer for the period from 29th December 1979 FN to 29th January 1980 AN.

KUM. H. B. VIJAYAKAR
Dy. Establishment Officer
Bhabha Atomic Research Centre

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

ATOMIC MINERALS DIVISION

Hyderabad-500 016, the 5th March 1980

No. AMD-2/2900/79-Adm.—The resignation tendered by Shri M. Jameel Hussain Sheriff, from the temporary post of Scientific Officer/SB in the Atomic Minerals Division of the Department of Atomic Energy has been accepted by the Director, Atomic Minerals Division, with effect from February 10, 1980, (afternoon).

M. S. RAO
Sr. Administrative & Accounts Officer

DEPARTMENT OF SPACE

INDIAN SPACE RESEARCH ORGANISATION

SPACE APPLICATIONS CENTRE

Ahmedabad-380 053, the 3rd March 1980

No. EST/CA/7047.—The Director, Space Applications Centre is pleased to appoint Shri Bhargav Nalinkant Pandya as Engineer SB in a temporary capacity in the Space Applications Centre/Indian Space Research Organisation/Department of Space, with effect from 22nd November for a period upto 30th June 1980.

M. P. R. PANICKER
Administrative Officer

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 10th March 1980

No. A.12025/1/78-EW.—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint Shri H. S. Rawat, to the post of Assistant Fire Officer, in the Civil Aviation Department in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 with effect from 25th February 1980 (FN) and until further orders.

Shri Rawat is posted at Fire Service Training Centre Calcutta under the Regional Director Civil Aviation Department, Calcutta Region, Calcutta.

V. V. JOHRI
Dy. Director of Admn.
for Director General of Civil Aviation

New Delhi, the 7th March 1980

No. A.32013/17/78EA.—The President has been pleased to the continuance of *ad-hoc* appointments of the following officers in the grade of Aerodrome Officer upto the 31st March 1980 or till the regular appointments are made to the grade, whichever is earlier :—

S. No., Name and Station

1. Shri G. B. Bansal—Rajkot.
2. Shri A. K. Jha—North Lakhimpur.
3. Shri D. S. Chattrath—Delhi Airport, Palam.
4. Shri D. D. Vuthoo—Srinagar.

V. V. JOHRI
Dy. Director of Admn.

New Delhi, the 7th March 1980

No. A-32013/13/79-E.I.—The President is pleased to appoint Shri R. P. Singh, Deputy Director, Air Safety, Civil Aviation Department to the post of Director, Air Safety, in the same Department on *ad hoc* basis w.e.f. 19th November 1978 (forenoon) upto 31st March 1980.

The 10th March 1980

No A-32013/10/79-EI.—In continuation to this office Notification No. A-32013/10/79-EI, dated 28th January 1980, the Director General of Civil Aviation is pleased to sanction the continued ad hoc appointment of Shri S. R. Bhatia, a permanent Accountant in the Civil Aviation Department to the post of Accounts Officer (Cost) in Civil Aviation Department, New Delhi for a further period of 46 days with effect from 18th December 1979 *vice* Shri T. P. Nellayappan, Accounts Officer (Cost) on leave and from 2nd February 1980 *vice* Shri S. C. Bhatia, Accounts Officer (reverted to his parent Department) for a period of three months or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier.

C. K. VATSA
Asstt. Director of Admn.

New Delhi, the 13th March 1980

No. A.32013/3/79-EC.—In continuation of this Department Notification No. A.32013/5/78-EC, dated the 6th March 1980, the President is pleased to appoint Shri R. P. Sharma at present working as Dy. Director of Communication in D.G.C.A. (HQ) on *ad hoc* basis to the grade of Dy. Director of Communication on regular basis with effect from 8th February 1980 and to post him in the same office.

No. A.32013/9/79-EC.—The President is pleased to appoint Shri P. K. Dutta-I, Assistant Communication Officer, A.C.S., Calcutta to the grade of Communication Officer on *ad hoc* basis with effect from 21st January 1980 (FN) and upto 29th February 1980 and to post him at the same station.

No. A. 32014/4/79-EC—In modification of S. No. 3 & 4 of this Deptt. Notification No. A. 32014/4/79-EC, dated 8-1-80, the Director General of Civil Aviation is pleased to appoint the following two Communiation Assistants to the grade of Assistant Communication Officer on regular basis with effect from the date and station indicated against each :—

S. No.	Name	Present station of posting	Station to which posted	Date of taking over charge.
1	2	3	4	5
	S/Shri			
1.	K.G. Nair	A.C.S., Madras.	A.C.S., Madras.	7-12-79 (FN)
2.	R.P. Burton	A.C.S. Bangalore	A.C.S., Madras.	18-12-79 FN)

N.A.P. SWAMY
Assistant Director of Administration

COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE AND CUSTOMS

Indore, the 13th March 1980

No. 4/80.—Shri R. L. Bavria, Superintendent, Central Excise, Group 'B' M.O.R.I., Sagar in Madhya Pradesh Collectorate Indore, having attained the age of superannuation has retired from Government service in the afternoon of 31st January 1980.

S. K. DHAR
Collector

Madras-600034, the 13th March 1980

No. IV/16/384/78CX. Adj. II—In exercise of the powers conferred on me by sub-rule (1) of Rule 232-A of the Central Excise (seventh amendment) Rules, 1976 which came into force from 21-2-1976 it is declared that the names and addresses and other particulars specified in sub-rule (2) of the persons who have been convicted by a court under Section 9 of the Central Excise and Salt Act, 1944 and persons on whom penalty of Rs. 10,000/- or more has been imposed by an officer referred to in Section 33 of the Act are as follows for quarter ending 31-2-1979.

Sl. No.	Name of the persons	Address	The provisions of the Act contravened.	The amount of penalty imposed
1	2		3	4 5
1. Sree Balajee Enterprises, Madras-12. 2. S. Hariharan, Managing partner of A1 firm 3. R. Manoharan, Manager of A-1, firm. 4. Smt. M. Sivarani, Partner of A.1 firm. 5. Smt. Alamelu Ammal, Partner of A. 1 firm. 6. Sri R. Ramachandran, Partner of A. 1 firm 7. Sri K.R. Sekar Authorised Managers of A.1.firm. 8. Shri M.K. Vijayaraj Authorised Managers of A.1. firm		No. 144, Strahans Road, Pattalam, Madras-12.	Section 9(1)(b), 9(1)(bb) & 9(1)(bbb) of the Central Excises and Salt Act, 1944.	(1) For the offence under Section 9(1) (b) A. 1 to A.8 were sentenced to imprisonment till rising of the court & also they were directed to pay a fine of Rs. 250/- each and in default A.2 to A.8 to undergo Rigorous imprisonment for one month each. (2) For the offence under Section 9(1)(b)(b) A.1 to A.3 & A.6 to A.8 were directed to pay a fine of Rs. 250/- each and in default A.2, A.3 & A.6 to A.8 to undergo Rigorous imprisonment for one month for each. (3) For the offence under Section 9(1)(bbb) A. 1 to A.3 & A.6 to A. 8 were directed to pay a fine of Rs. 250/- each and in default A.2 A.3 & A.6 to A.8 undergo Rigorous imprisonment for one month each.
(2) Shri R.S. Gulabjan		L.5 No. 35/75 Kaveripatinam Dharmapuri.	Section 9(1)(b) 9(1)(b)(b) of Central Excises & Salt Act, 1944 read with Rules 151(c) & 223.A of Central Excise Rules, 1944.	Convicted & sentenced to pay a fine of Rs. 250/- in default to undergo Rigorous imprisonment for 2 months.
3. Shri A.K. Govindasamy . . .		L.5 No. 76/64 Attur.	Section 9(1)(b), 9(1)(b)(b) of Central Excises and Salt Act, 1944 read-with Rules, 144(c), and 151(c) of Central Excise Rules, 1944.	Convicted and sentenced to undergo Rigorous imprisonment for 3 months under each count to run concurrently.
4. Shri K. Manickam Chettiar . . .		L.5 No 106/74 Nadupalayam Village.	Section 9(1)(b) &9(1)(bb) of Central Excises and Salt Act, 1944 readwith Rule 151(c)(d) and 144 of Central Excise Rules, 1944	Convicted and sentenced to suffer Rigorous imprisonment for 6 months. On a rovision petition preferred by the party, the High Court, Madras reduced the sentence of imprisonment to the period already undergone and in addition sentenced him to pay a fine of Rs. 1000/- in default to undergo Rigorous imprisonment for one month.
5. Shri H. Abbas S/o Shri Hussain Meeran Sahib		Tobacco Merchant L. 5 No. 5/72, Dasanaickenpatty, Salem.	Section 9(1)(b), 9(1)(b)(b) & 9(1)(b)(b)(b) of Central Excises and Salt Act, 1944 read with Rules, 29, 31, 151 and 223-A & 226 of Central Excise Rules, 1944.	Convicted and sentenced to suffer Rigorous imprisonment for 1 year.

II—DEPARTMENTAL ADJUDICATION

—NIL—

B. R. REDDY
Collector of Central Excise
Madras

CENTRAL WATER AND POWER RESEARCH STATION

Pune-411 024, the 23rd February 1980

No. 608/166/80-Adm.—The Director, Central Water and Power Research Station, Khadakwasla, Pune, hereby appoints on deputation for one year Shri V. G. Phadke to the post of Accounts Officer in the Central Water and Power Research Station, Pune, on a pay of Rs. 1040/- per month in the scale of pay of Rs. 840—40—1000—EB—40—1200 with effect from the forenoon of 1st February 1980.

Shri V. G. Phadke is also entitled to deputation (duty) allowance of Rs. 160/- per month in terms of Ministry of Finance, Department of Expenditure's Office Memorandum No. 10(24)/E.III/70, dated 4th May 1961.

The appointment of Shri V. G. Phadke to the grade of Accounts Officer is made purely on temporary and *ad hoc* basis. He will have no right to claim seniority/regular promotion to the grade on account of the services rendered by him in the grade of Accounts Officer on *ad hoc* basis.

The 11th March 1980

No. 608/150/80-Adm.—Consequent upon his selection by the Union Public Service Commission, the Director, Central Water & Power Research Station, Pune-411024, hereby appoints Shri Shankar Laxman Patil to the post of Assistant Research Officer (Engineering-Mechanical) at the Central Water & Power Research Station, Pune, in the scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 with effect from the forenoon of 25th September, 1979.

Shri S. L. Patil will be on probation for a period of two years with effect from the same date viz. 25-9-1979.

M. R. GIDWANI
Administrative Officer
for Director

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF WORKS

CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

New Delhi, the 17th March 1980

No. 33/11/78-ECIX -The President is pleased to appoint Shri Rajindra Vaidya a nominee of the UPSC against the temporary post of Deputy Architect (G.C.S. Group A) in the CPWD on a pay of Rs. 700/- P.M. in the scale of Rs. 700—40—900—EB—40—1100—50—1300 (plus usual allowances) with effect from 5-2-80 (FN) on the usual term and conditions. His pay will be refixed shortly under the rules.

2. Shri Rajindra Vaidya is placed on probation for period of two years with effect from 5-2-80 (FN).

K. A. ANANTHANARAYANAN
Dy. Director of Administration

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

New Delhi-110022, the 14th March 1980

No. 2/2/80-Adm I(B).—The Chairman, Central Electricity Authority hereby appoints Shri Shanti Prasad, Statistical Assistant to the grade of Extra Assistant Director (Commercial) in the Central Electricity Authority with effect from the forenoon of 3rd March, 1980, until further orders.

S. R. KHITHA
Under Secy.

N.F. RAILWAY

Maligaon, the 14th March 1980

No. E/55/III/97(O).—Sri G. P. Verma is Confirmed as Chief Cashier (Class I) in scale Rs. 1100—1600/- with effect from 1-12-78.

2. The following Officers are Confirmed in Class II service as Assistant Accounts Officer with effect from the date shown against each :—

Name and Date from which Confirmed :

1. Shri A. R. Bhattacharjee—1-12-78.
2. Shri T. R. Pathak—1-6-79.
3. Shri B. S. Dua—1-8-79.

B. VENKATARAMANI
General Manager

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)
COMPANY LAW BOARD

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. Utkal Cable Industries Private Limited

Cuttack, the 12th March 1980

No. SO-455/80-5437(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Utkal Cable Industries Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. Bhagabati and Company Private Limited

Cuttack, the 12th March 1980

No. SO-420/80-5436(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bhagabati and Company Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. Sigma Steel Private Limited

Cuttack, the 12th March 1980

No. SO-386/80-5435(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sigma Steel Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. Jharan Mills Private Limited

Cuttack, the 12th March 1980

No. SO-294/80-5434(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jharan Mills Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. Utkal Chemical and Oil Industries Limited

Cuttack, the 12th March 1980

No. SO-89/80-5433(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Utkal Chemical and Oil Industries Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. Shrikshetra Construction Company Private Limited

Cuttack, the 12th March 1980

No. SO-390/80-5432(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shrikshetra Construction Company Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. Orissa Flying Club Limited

Cuttack, the 12th March 1980

No. SO-75/80-5431(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Orissa Flying Club Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. G. C. Das and Sons Private Limited

Cuttack, the 12th March 1980

No. SO-280/80-5430(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (53 of Section 560 of the Companies Act. 1956 that the name of M/s. G. C. Das and Sons Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. Nandan Food Products Private Limited

Cuttack, the 12th March 1980

No. SO-531/80-5429(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act. 1956 that the name of M/s. Nandan Food Products Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. Orissa Travel Service Private Limited

Cuttack, the 14th March 1980

No. SO-502/80-5450(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Orissa Travel Service Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. Seaside Food Industries Private Limited

Cuttack, the 14th March 1980

No. SO-660/80-5453(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Seaside Food Industries Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. Esgi Exports Private Limited

Cuttack, the 14th March 1980

No. SO-720/80-5455(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Esgi Exports Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. Orient Minerals & Traders Private Limited

Cuttack, the 14th March 1980

No. SO-560/80-5457(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act. 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Orient Minerals & Traders Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. Minwool Industries Limited

Cuttack, the 14th March 1980

No. SO-614/80-5459(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Minwool Industries Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Rural Savings and Investment Private Limited

Cuttack, the 14th March 1980

No. SO-755/80-5461(2) - Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Rural Savings and Investments Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Moon Zippers Private Limited

Cuttack, the 14th March 1980

No. SO-631/80-5463(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Moon Zippers Private Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

D. K. PAUL
Registrar of Companies, Orissa

In the matter of Companies Act, 1956 and of M/s. Malwa Dhakar Corporation Limited.

Gwalior, the 15th March 1980

No. 1047/Yadav/989.—Notice is, hereby, given pursuant to sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s Malwa Dhakar Corporation Limited, has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s Smart India Private Limited

Gwalior, the 15th March 1980

No. 970/Yadav/992.—Notice is, hereby, given pursuant to sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s Smart India Private Limited, has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Mohanlal and Mohanlal (Indore) Private Limited.

Gwalior, the 15th March 1980

No 872/Yadav/995.—Notice is, hereby, given pursuant to sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s Mohanlal and Mohanlal (Indore) Private Limited, has this day been struck off the Register and the said company is dissolved

S. K. SAXENA
Registrar of Companies,
Madhya Pradesh, Gwalior

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX

Cochin-16, the 25th February 1980

ORDER

Sub :—Establishment—Income-tax Officers, Group 'B'—Issue of Promotion Orders—

C. No. 2/Estt/CON/79-80.—The following promotion and posting are hereby ordered.

2. Sri G. Jagadeesan, Income-tax Inspector, Office of the Commissioner of Income-tax, Kerala, Ernakulam, is hereby appointed to officiate as Income-tax Officer, Group 'B' in the scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 with effect from the afternoon of 29-2-1980 or from the date he takes over charge, whichever is later, and until further orders. He will be on probation for a period of 2 years.

3. The above appointment is made on a purely temporary and provisional basis and is liable to termination at any time without notice. The appointment is also subject to the result of Original Petitions No. 4023 of 1978 and No. 263 of 1980-M before the High Court of Kerala and Civil Writ Petition No. 25/1979 filed before the Delhi High Court.

4. On promotion, Sri G. Jagadeesan is posted as Tax Recovery Officer, Quilon, vice Sri S. Gangadharan, who is retiring from service on the afternoon of 29-2-1980. If necessary Sri Gangadharan may temporarily handover the charge of Tax Recovery Officer, Quilon, to Sri T. T. Joseph, Tax Recovery Officer, Ernakulam, who will hold the Charge of Tax Recovery Officer, Quilon, in addition to his duties, until relieved by Sri G. Jagadeesan.

The 29th February 1980

ORDER

Sub :—Establishment—Income-tax Officers, Group 'B'—Issue of promotion orders—regarding—

C. No. 2/Estt/Con/Gas/79-80.—In partial modification of this Office order of even No. dated 25-2-1980, Sri G. Jagadeesan, Income-tax Inspector, Office of the Commissioner of Income-tax, Kerala, Ernakulam, on promotion as Income-tax Officer, Group 'B', is posted as Income-tax Officer on Special Duty, Income-tax Circle, Quilon

2. After taking charge as Income-tax Officer on Special Duty, Income-tax Circle, Quilon, Sri G. Jagadeesan is transferred and posted as Tax Recovery Officer, relieving Sri T. T. Joseph, Tax Recovery Officer, Ernakulam, of the additional charge. Sri G. Jagadeesan should take charge as Tax Recovery Officer, Quilon, on the forenoon of 1st March, 1980. All other conditions in regard to the promotion and appointments of Sri G. Jagadeesan as Income-tax, Officer, stated in this Office order of even No. dated 25-2-1980, will remain unaltered.

M. S. UNNINAYAR
Commissioner of Income-tax, Kerala-I

New Delhi, the 21st February 1980

INCOME TAX

F. No. JUR/DLI-I/79-80/43955.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) & (2) of section 124 of I. T. Act, 1961 (43 of 1961) and in Partial modification of the notifications issued earlier on the subject C. I.T. Delhi-I, New Delhi hereby directs that the I.T.O. P.S.C. II shall have concurrent jurisdiction with the I.T.O., P.S.C.V., New Delhi in respect of persons/cases assessed/assessable by I.T.Os Private Salary Circle-V, excepting the cases assigned u/s. 127 of which may hereafter be assigned.

For the purpose of facilitating the performance of the functions C.I.T. Delhi-I also authorises the I.A.C. Range-I-C to pass such orders as contemplated in sub-section (2) of the section 124 of the I.T. Act, 1961.

This notification shall take effect from 21-2-1980.

M. W. A. KHAN
Commissioner of Income-tax,
Delhi-I, New Delhi

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, 57, RAMTIRTH MARG LUCKNOW

Lucknow, the 18th January 1980

Ref. No. P-77/Acq.—Whereas I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Bunglow No. 6/8, Lal Bahadur Shastri Marg situated at (Elgin Road), Allahabad,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Allahabad on 21-7-79

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Dr. Ram Das Kapoor as Karta of H.U.F.,
2. Dr. D. K. Kapoor.
(Transferor)

(2) 1. Shri Prakash Narain Mehrotra;
2. Kashi Naresh Mehrotra.
(Transferee)

(3) Shri G. V. Lyal & others (Tenants)
(Person in occupation of the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Bunglow No. 6/8, Lal Bahadur Shastri Marg (Elgin Road), Allahabad—Lease-hold, and all that description of the property which is mentioned in the sale deed and Form 37G No. 3290 which have duly been registered at the office of the Sub Registrar, Allahabad on 21-7-1979.

A. S. BISEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Lucknow.

Date : 18-1-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, 57, RAMTIRTH MARG LUCKNOW

Lucknow, the 22nd February 1980

Ref. No. R-144/Acq.—Whereas I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 124, 16 acres and 49 decimals situated at Mauza-Gajraula Jaisingh, Pargana-Thakurdwara, Distt. Moradabad
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Moradabad on 18-7-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Padam Singh,
(Transferor)

(2) Shri Ramesh Kumar (Major), Shri Naresh Kumar and Dinesh Kumar, minors through their guardian Mukund Ram, (Father) Seller
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of agricultural land measuring 16 acres and 49 decimals, situate at village Gajraula Jaisingh Pargana—Thakur Dwara, Tehsil and Distt. Moradabad and all that description of the property which is mentioned in the sale-deed and from 37-G No. 1068 which have duly been registered in the office of the Sub-Registrar, Moradabad, on 18-7-1979.

A. S. BISEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Lucknow.

Date : 22-2-1980
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, 57, RAMTIRTH MARG LUCKNOW

Lucknow, the 7th March 1980

Ref. No. P-78/Acq.—Whereas I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 1/13/32 situated at Civil Lines, Faizabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Faizabad on 21-7-1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1)of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

20—6GI/80

(1) Shri Raja Jagdambika Pratap Narain Singh, (Transferor)

(2) 1. Shri Prahlad Chandra;
2. Smt. Subhadra;
3. Smt. Kiran Agarwal;
4. Ramesh Chandra;
5. Gulab Chand Agarwal;
6. Smt. Surekha Agarwal;
7. Sh. Ram Niwas Agarwal; &
8. Smt. Snehlata Agarwal.

(Transferee)

Above seller & Tenant—
Addl. Dist. Judge, Faizabad.
(Person in occupation of the property).

(2) Above seller
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One boundary wall within which situate one house including 60 trees and one Kotha and land etc. having Sabik No. 4039, Hawai No. 4584, New No. 4146 and house bearing Nagar Palika No. 1/13/32 situate at Mohalla Civil Lines, Pargana Haveli Avadh, Tehsil & District Faizabad and all that description of the property which is mentioned in the sale deed and Form 37G No. 1914 which both have already been registered at the office of the Sub Registrar, Faizabad on 21-7-1979.

A. S. BISEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Lucknow.

Date : 7-3-1980
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 20th Decembre 1979

Ref. No. P.R. No. 839 Acq.23/19-7/79-80.—Whereas I, S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Nondh No. 4371-B Ward No. 3 situated at Salabatpura, Surat. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 11-7-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) 1. Maganbhai Rangildas Kantivala;
2. Narendrabha Maganbhai Kantivala;
3. Gananbhai Maganbhai Kantivala;
4. Prakashbhai Maganbhai Kantivala;
4-2434, Salabatpura, Main Road, Surat.
(Transferor)

(2) 1. Mohmadhussein Noormohmed Jardavala;
2. Valimohmed Noormohmad Jardavala;
3. Gulam Mohmad Noormohmad Jardavala;
4. Abdul Hamid Noormohmad Jardavala;
3-2677, Salabatpura, Momnavad, Surat.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building situated at Ward No. 3, Nondh No. 4371-B Salabatpura, Surat duly registered at Surat on 11-7-79 vide No. 2622/79.

S. N. MANDAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Ahmedabad.

Date : 20th December 1979.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380-009, the 27th December 1979

Ref. No. P. R. No. 841 Acq. 23/6-1/79-80.—Whereas I, S. N. MANDAL;
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
R.S. No. 984/1/41 Baroda Kasba, Plot No. 46 of Friends Coop. Housing Society Ltd.
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer
at Baroda on 30-7-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Dharmben Chhotabhai Patel;
Power of Attorney Holder Sudhir Maganbhai Patel; Malabar Hill, Bombay.
(Transferor)

(1) Shri Bipin Chandra Ravjibhai Patel;
C/o. Shri R. D. Amin, Milan Society,
New Race Course Road, Baroda.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within the period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land admeasuring 13,910 sq. ft. situated at R. S. No. 984/1/41 of Baroda Kasba, Plot No. 46, of Friends Coop. Housing Society Ltd., Alakapuri, Baroda and fully described as per sale-deed No. 3768 registered in the office of Sub-Registrar, Baroda on 30-7-1979.

S. N. MANDAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 27th December 1979
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 23rd January 1980

Ref. No. P.R. 856 Acq.23-II/19-7/79-80—Whereas I, S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Nondh No. 956 Ward No. 2, situated at Narsing Sheri, Sagrampura, Surat
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 2-7-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the tra nsfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Harilal Nathabhai Dhamanwala being Karta & Manager of HUF.
2. Jasuben Harilal Dhamanwala;
3. Harishbhai Harilal Dhamanwala being the Karta & Manager & guardian of Minor son Sumit;
Hira Modini Sheri, Sagrampura,
Surat.
(Transferor)

(2) Shri Harishchandra Thakordas Jarivala; 2/799, Sagrampura Main Road, Surat.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building situated at Nondh No. 956, Ward No. 2, Narsing Sheri, Sagrampura, Surat duly registered at Surat on 2-7-1979 vide No. 2516.

S. N. MANDAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Ahmedabad.

Date : 23-1-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 8th February 1980

Ref. No. P.R. No. 867 Acq.23-II/13-1/79-80.—Whereas I, S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing .
Plot No. 33 of Vithal Udyognagar, G.I.D.C. Industrial Estate situated at Vallabh Vidyanagar, (Via) Anand
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Anand on 20-7-1979
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of thes aid Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s Auto Mansen Engineers' Corporation; through : Partner Savtri K. Mazani and others; Vallabh Vidyanagar, Anand Taluka.
(Transferor)

(2) M/s. Industrial Equipment Manufacturers; through : Partner Jasbhai P. Patel and others; Plot No. 33, Vithal Udyognagar, GIDC Estate, Vallabh Vidyanagar, Anand Taluka.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the (b) date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and industrial shed situated at Plot No. 33, Vithal Udyognagar, G.I.D.C. Estate, Vallabh Vidyanagar, and fully described as per sale-deed No. 1690 registered in the office of Sub-Registrar, Anand on 20-7-1979.

S. N. MANDAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II,
Ahmedabad.

Date : 8-2-1980

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 30th January 1980

Ref. No. P.P. No. 863 Acq.23-II/1763/79-80.—Whereas I, S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing
Nondh No. 1504 Ward No. 1, situated at Godha Sheri, Nanpura, Surat
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Surat on 6-7-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Keraben Bamansha Daruwala;
Contractor Building-18,
3rd Floor, Victoria Garden Road,
Bhaykhalla, Bombay-27.
(Transferor)

(2) 1. Shri Bhagvatilal Durgashanker Dave;
C/o. M/s. B. D. Dave,
Goddha Sheri, Nanpura, Surat.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building situated at Godha Sheri, Nanpura, Nondh No. 1504, Ward No. 1, Surat duly registered at Surat on 6-7-1979 vide No. 2575/79.

S. N. MANDAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Ahmedabad.

Date : 30-1-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 11th February 1980

Ref .No. P.R. No. 865 Acq.23-II/6-1/79-80.—Whereas I, S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 2, Bhavanipur Society situated at Nizampura, National Highway 8, Baroda
and more fully described in the
schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Baroda on 16-7-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Shivabhai G. Patel;
P. A. Holder of Rameshbhai Vithalbhai;
52, Vithalnagar Society, Kerelibaug,
Baroda.
(Transferor)

(2) Shri Rameshbhai Lalaji Patel;
No. 2, Bhavanipur Society;
National Highway-8,
Nizampura, Baroda.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are as defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at Bhavanipur Society (No. 2) situated on the National Highway-8, Nizampura area, Baroda and fully described as per sale-deed No. 3968 in the office of Sub-Registrar, Baroda on 16-7-1979.

S. N. MANDAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Ahmedabad.

Date : 11-2-1980.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 11th February 1980

Ref. No. PR. No. 866 Acq.23-II/6-1/79-80.—Whereas I, S. N. MANDAL;
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. R.S. No. 503 Race Course Road, Plot No. 1 of Sampatrao Colony, Baroda.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Baroda on 17-7-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following perseons, namely :—

(1) Shri Indubhai Ambalal Patel;
Eastern Society, Fatehganj, Sama Road, Baroda.
Power of Attorney Holder of :—
1. Bhupendrakumar Narsinghbhai Patel;
2. Dilipkumar Narshinghbhai Patel;
3. Jagdishkumar Narsinghbhai Patel and
4. Kiritkumar Narsinghbhai Patel.

(Transferor)

(2) Bhagwan Apartment Coop. Housing Society Ltd.,
C/o. Hindustan Land Estate Corpn.,
Opp. Mahajan Lane, Raopura,
Baroda.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the days of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at R.S. No. 503, Plot No. 1 of Sampatrao Colony, Race Course Road, Baroda and fully described as per four sale deeds (Nos. 1807, 1808, 2940, 2941) registered in the office of Sub-Registrar, Baroda on 17-7-1979.

S. N. MANDAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Ahmedabad.

Date : 6-2-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-389 009, the 15th January 1980

Ref. No. Acq.23-I-2656(927)/1-1/79-80.—Whereas I, S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. F.P. No. 517-2-B Paiki T.P.S. 3 of Ellisbridge, situated at E-Block, 2nd Floor, Nos. E-10, E-11, F-12 of Capital Commercial Centre, Ahmedabad.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 26-7-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax, Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) M/s. Sadhuram Gordhandas,
Netaji Cloth Market,
Kalupur, Kotnirang,
Ahmedabad.

(Transferor)

(2) Minor Griven Jayendrabhai Kharawala,
Maharashtra Society,
Mithakali,
Ellisbridge, Navrangpura,
Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An office standing on land admeasuring 1/17 of 1635.20 sq. mt. i.e. 96.24 sq. mtr. undivided share) bearing F.P. No. 517-2-B of T.P.S. 3, Ellisbridge, situated at E-10, F-11, E-12, 2nd floor, Capital Commercial Centre, Ashram Road, Ahmedabad and as fully described in the sale-deed registered date 26-7-1979.

S. N. MANDAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Ahmedabad.

Date : 15-1-1980
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 2nd February 1980

Ref. No. Acq.23-I-2581(930)/10-1/79-80.—Whereas I, S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. House No. 548, M. Ward No. 14, S. No. 41, Digvijaya Plot, Sheri No. 7, Opp : New English School, Jamnagar.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Jamnagar on 23-7-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons namely :—

(1) Shri Damodardas Jamnadas,
Rasik Tin Factory,
Nr. Bedi Gali,
Jamnagar.
(Transferor)

(2) M/s Anupam Theatre,
C/o. Anupam Theatre,
Outside Bedi's Gali,
Jamnagar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Ground floor portion of the building standing on land admeasuring 1792 sq. ft. bearing S. No. 41, House No. 548, situated at Digvijay Plot, Sheri No. 7, Opp : New English School, Jamnagar and as full described in the sale-deed registered vide R. No. 1832 date 23-7-1979.

S. N. MANDAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Ahmedabad.

Date : 2-2-1980

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 2nd February 1980

Ref. No. Acq.23-1-2581(931)/10-1/79-80.—Whereas I, S. N. MANDAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. House No. 548, M. Ward No. 4, S. No. 41, situated at Digvijay Plot Sheri No. 7, Opp : New English School, Jamnagar.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Jamnagar on 23-7-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Damodardas Jamnadas,
Rasik Tin Factory,
Bedigali,
Jamnagar.
(Transferor)

(2) Shri Jamnadas Lalaji Solanki,
Digvijaya Plot,
Sheri No. 7, Opp : Nr. English School,
Jamnagar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1st Floor of the building standing on land, admeasuring 1792 sq. ft., bearing S. No. 41, House No. 548, situated at Digvijaya Plot, Sheri No. 7, Opp : New English School, Jamnagar and as fully described in the sale-deed registered vide R. No. 1833 date 23-7-1979.

S. N. MANDAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 2-2-1980

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 2nd February 1980

Ref. No. P.R. No. Acq.23-I-2918(932)/16-3/79-80.—
Whereas I, S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Plot No. 21, Paiki Kanakia Plot, Jetpur.
(and more fully described in the Schedule
annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jetpur in July, 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Jamnadas Hamirbhai Soni,
Santacruz., S. V. Road,
"Triveni", B-3, Ground Floor,
Bombay-54.
(Transferor)

(2) Shri Bavanji Ukabhai,
Station Plot, Dhoraji,
Dist. Rajkot.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land, Plot No. 21, Paiki, adm. 300 sq. yds. situated at Kanakiya Plot, Jetpur, duly registered by Registering Officer, Jetpur, vide sale-deed No. 101/573/222/July, 1979 i.e. property as fully described therein.

S. N. MANDAL
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 2-2-1980
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 2nd February 1980

Ref. No. Acq.23-/-2918(933)/16-3/79-80.—Whereas I, S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable **property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-** and bearing
Plot No. 21, Paiki situated at Kanakiya Plot, Jetpur.
on July, 1979
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Jetpur on July, 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid **exceeds the apparent consideration therefor by more than** fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; **and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for **the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);**

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Babulal Vallabhdas Gadhia,
S. V. Road, Triveni, B-3, Ground Floor,
Santacruz., Bombay-54.
(Transferor)

(2) Shri Bavauji Ukabhai Gandhiya,
Station Plot,
Dhoraji,
Dist. Rajkot.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land, plot No. 21, Paiki, adm. 300 sq. yds. situated at Kanakiya Plot, Jetpur, duly registered by Registering Officer, Jetpur vide Sale-deed No. 102/574/223/July, 1979, i.e. property as fully described therein.

S. N. MANDAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 2-2-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 6th February 1980

Ref. No. Acq.23-I-2625(942)/16-6/79-80.—Whereas I, S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Industrial bldg., known as "Super Industrial Corporation" situated Mavdi Plot, Street No. 1 & 7, near Railway Crossing, Rajkot.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Rajkot on July, 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Bhagwatiprasad Navalshankerbhai Vyas,
Sir Lakhaji Road,
Rajkot.
(Transferor)

(2) Super Industrial Corporation—through partner Shri Vallabhdas Jethabhai,
Mavdi Plot, Sheri No. 1 & 7,
Nr. Railway Crossing,
Rajkot.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Industrial bldg. known as "Super Industrial Corporation", standing on land 550-3-134 sq. yd. situated at Patel Bawa Karsan's Plot, Mavdi Plot, Street No. 1 & 7, (Nr. Railway Crossing), Rajkot duly registered by Registering Officer, Rajkot, vide sale-deed No. 1036/July, 1979 i.e. property as fully described therein.

S. N. MANDAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 6-2-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 11th February 1980

No. Acq.23/I-2619(943)/16-6/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Lekh No. 132 & 336—Plot No. 75, double storeyed building situated at Ramnagar, Nr. Commerce College, Gondal Road, Rajkot

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Rajkot on 24-7-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and / or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (37 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Shantilal Gokaldas Panchasara, 29-D, Industrial Estate, Rajkot-2.

(Transferor)

(2) Shri Ramniklal Hargovinddas Savani, C/o K. R. Industrial Corporation, Bhaktinagar Station Road No. 2, Rajkot-2.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Double storeyed building standing on land 264.88 sq. mtr. Lekh No. 132 & 336 Paiki—situated at Ramnagar, Rajkot, duly registered by Registering Officer, Rajkot, vide sale-deed No. 4310/24-7-1979 i.e. property as fully described therein.

S. N. MANDAL,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 11-2-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 15th February 1980

Ref. No. P.R. No. 871Acq.23-II/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Nondh No. 2541-A-3-2-, Ward No. 11 situated at Machhali Pith, Surat (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 30-7-1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(a) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Ketiben Arachsha Bamanji Dastur; Chikalvadi, Tardeo Road, Bombay.
2. Homi Urge Pestanji Mistry Chikalvadi, Tardeo Road, Bombay.
3. Shri Naushirvan Arachasha Dastur; Machhali Pith, Surat.

(Transferor)

(2) 1. Shri Kanaiyalal Sunderlal Kansara,
2. Shri Navinchandra Sunderlal Kansara,
3. Shri Rajendra Sunderlal Kansara,
4. Shri Ashokchandra Sunderlal Kansara, Khand Bazar, Lal Gate, Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property situated at Nondh No. 2541-A-3-2-, Ward No. 11, Surat admeasuring 244 sq. yds. land, duly registered on 30-7-79 at Surat vide No. 2868/79.

S. N. MANDAL,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Ahmedabad.

Date : 15-2-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 23rd February 1980

Ref. No. P. R. No. 872Acq.23-II/19-7/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Nondh No. 380 paiki property situated at Surat
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Surat on 19-7-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of
the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely :—

(1) 1. Smt. Lilagauri Chhabildas Urfe Ashrumati Himatlal Sisvawala,
Shyam Bhuvan, Chira Bazar, Bombay-2.
2. Smt. Bavliben Chandrakant Reshamdalal,
Murli Bhagvan Nivas;
Khetvadi, Bombay-4.

(Transferor)

(2) 1. Shri Mohmad Kasim Alibhai Ahmedabadi,
2. Shri Mohmad Hafiz Alibhai Ahmedabadi,
3. Shri Mohmad Sidiq Alibhai Ahmedabadi,
4. Shri Mohmad Salim Alibhai Ahmedabadi,
Rani Talav, Main Road, Bombay.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property situated at Rani Talav, Main Road, Nondh No. 380 paiki, property Wd. No. 12, Surat duly registered with the authority at Surat on 19-7-79 vide No. 1583.

S. N. MANDAL,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Ahmedabad.

Date : 23-2-1980

Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 23rd February 1980

Ref. No. P.R. No. 873 Acq. 23-II/19-7/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 22,000/- and bearing No.
Property at R.S. No. 22/2, situated at Ved Road, Surat
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Surat on 9-7-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Babubhai Keshavbhai,
Tekra Falia, Katargam, Surat.
2. Smt. Vasumati Babubhai,
Tekra Falia, Katargam, Surat.
3. Shri Hemantkumar Babubhai
Tekra Falia, Katargam, Surat.

(Transferor)

(2) Tribhovannagar Coop. Housing Society Ltd.,
Secretary,
Shri Jagdishchandra Champaklal Suddivala,
Chairman :
Shri Jagjivanbhai Paragbhai Patel,
4/780, Ghasia Bldg., Tower Road, Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to be undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property situated at village Tunki, bearing R.S. No. 22/2 Ved Road, Surat admeasuring 3 Acre 38 Guntha of land duly registered on 9-7-79 vide No. 2608/79.

S. N. MANDAL,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Ahmedabad.

Date : 23-2-1980
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 26th February 1980

Ref. No. P.R. No. 874Acq.23-II/79-80.—Whereas, I,
S. N. MANDAL
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Nondh No. 3014 Wd. No. 2, situated at Sagrampura, Surat
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Surat on 4-7-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Gulamnabi Sidhubhai,
2. Shri Gulam Mohyudin Gulamnabi,
3. Sairabibi & Gulamnabi,
Haripura, Kanskivad, Surat.

(Transferor)

(2) Shri Mohmad Said Gukim Mustafa,
Shri Usmangani Manzil Mustafa,
2/3014, Sagrampura, Near Moti Masjit,
Surat,

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property bearing Nondh No. 3014, Wd. No. 2 Sagrampura, Surat, duly registered with Sub-Registrar on 4-7-1979 at Surat vide No. 1740.

S. N. MANDAL,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Ahmedabad.

Date : 26-2-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 26th February 1980

Ref. No. P.R. No. 875Acq.23-II/79-80.—Whereas, I, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 870-A-1-1, 871-2-+3+4, 872 situated at Pardi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Pardi on 16-7-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Hasmukhlal Nagindas Shah,
Pardi.
(Transferor)

(2) Shri Gayatri Vikas Co.,
Partner : Shri Vinodrai Somabhai Naik,
Pardi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 2 Acre 17-23 Guntha situated at Pardi bearing S. No. 870-A-1-1, 871, 869-2+3+4, and 872 duly registered on 16-7-79 at Pardi.

S. N. MANDAL,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Ahmedabad.

Date : 26-2-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 22nd February 1980

Ref. No. Acq.23-I-2689(944)/16-6/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. (at Diwanpara Road)—situated at 6, Diwanpara Road, (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajkot, on 23-7-79
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri J. G. Modi,
Race Course Society,
Rajkot.
(Transferor)

(2) Shri Jyantilal Gordhandas Modi,
6, Diwanpara, Rajkot.
T. No. 25040 and 26984,
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A building standing on land admeasuring 312-84 sq. yds. situated at 6, Diwanpara, Rajkot and as fully described in the sale-deed registered vide R. No. 4591 dated 23-7-1979.

S. N. MANDAL,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 22-2-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 23rd February 1980

Ref. No. Acq.23-I-2654(945)/1-1/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Sub-Plot No. 1A, S. No. , 389, F.P. 61, of T.P.S. 12
situated as Asarwa, Ahmedabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Ahmedabad on 26-7-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice, under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Ahmedbhai Ramjanbhai,
Sodagarni Pole,
Kalupur, Ahmedabad.
(Transferor)

(2) Ketan Co-operative Industrial Estate,
through : Chairman :
Sureshchandra Jayantilal,
677/10, Balabhai Girdharlal Market,
Cross Lane, Relief Road,
Ahmedabad.
(Transferee)

(3) Saraswati Manufacturing Works.
Asarwa, Ahmedabad.
(Person whom the under signed knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open land admeasuring 924 sq. yds. bearing S. No. 389, Sub-Plot No. 1A, F.P. No. 61 of T.P.S. 10, situated at Aswara, Ahmedabad, and as fully described in the sale-deed registered vide R. No. 8401 dated 26-7-1979.

S. N. MANDAL,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 23-2-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 23rd February 1980

Ref. No. Acq.23-I-2654(946)/1-1/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL
being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
F.P. 61, Sub-Plot No. 2-A, of T.P.S. 12,
situated at Asarwa, Ahmedabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Ahmedabad on 26-7-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ismailbhai Ramjanbhai,
Matawali Pole, Bhanderi Pole,
Kalupur, Ahmedabad.
(Transferor)

(2) Ketan Co-operative Industrial Estate Ltd.,
through : Chairman :
Sureshchandra Jayantilal,
677/10, Balabhai Girdharbhai Market,
Cross Lane, Relief Road,
Ahmedabad.
(Transferee)

(4) C. J. Industries,
Asarwa, Ahmedabad.
(Person whom the under signed knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION 6—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 924 sq. yds. bearing F.P. No. 61, Sub-Plot No. 2-A of T.P.S. 12 situated at Asarwa, Ahmedabad, and as fully described in the sale-deed registered vide R. No. 8402 dated 26-7-1979.

S. N. MANDAL,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 23-2-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 23rd February 1980

Ref. No. Acq.23-I-2654(947)/1-1/79-80.—Whereas, I,
S. N. MANDAL
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
S. No. 389, F.P. No. 61, Sub-Plot No. 3-A, of T.P.S. 12
situated at Asarwa, Ahmedabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act,
1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 26-7-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforeside exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or the assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Abdulkarim Ramjanbhai,
Home Sweet Home,
Opp : Mirzapur Police Chowky,
Ahmedabad.
(Transferor)

(2) Ketan Co-operative Industrial Estate Ltd.,
through : Chairman :
Sureshchandra Jayantilal,
677/10, Balabhai Market.
Cross Lane, Station Road,
Ahmedabad.
(Transferee)

(4) Saga Industries,
Asarwa, Ahmedabad.
(Person whom the under signed knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 1115 sq. yds. bearing S. No. 389, F.P. No. 61, Sub-Plot No. 3-A, of T.P.S. No. 12, situated at Asarwa, Ahmedabad and as fully described in the sale-deed registered vide R. No. 8403 dated 26-7-1979.

S. N. MANDAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 23-2-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF

THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 23rd February 1980

Ref. No. Acq.23-I-2654(948)/I-1/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Survey No. 389, F.P. No. 61, Sub-Plot No. 7 of TPS 12 situated at Asarwa, Ahmedabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 26-7-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269D of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Saberaben Ramjanbhai,
Dhupelwali Pole,
Kalupur, Ahmedabad
(Transferor)

(2) Ketan Co-operative Industrial Estate Ltd.
through : Chairman :
Sureshchandra Jayantilal,
677/10, Balabhai Girdharlal Market,
Cross Lane, Relief Road,
Ahmedabad.
(Transferee)

(4) 1. M/s. Vijaya Wood Works &
2. M/s. R. K. Patel & Co.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 1847 sq. yds. bearing S. No. 389, F.P. No. 61, Sub-Plot No. 7, of T.P.S. 12 of Asarwa, Ahmedabad and as fully described in the sale-deed registered vide R. No. 8404 dated 26-7-1979.

S. N. MANDAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 23-2-1980

Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 26th February 1980

Ref. No. Acq.23-I-2661(949)/1-1, 79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL
being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
S. No. 468, F.P. 20-A of T.P.S. 24 situated at
Rajpur-Hirpur, City Taluka, Ahmedabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Ahmedabad on 20-7-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Haribhai Valabhai Rabari,
Chaloda Village,
Tal : Dholka, Dist. Ahmedabad.
(Transferor)

(2) 1. Shri Ramanlal Chunilal Patel
2. Shri Devendra Ramanlal Patel,
3. Shri Sharad Ramanlal Patel,
4. Shri Rajesh Ramanlal Patel,
154, Makeriwad, Raipur, Ahmedabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 414 sq. yds. bearing S. No. 468, F.P. No. 20-A of T.P.S. 24 situated at Rajpur-Hirpur, City Taluka, Ahmedabad and as fully described in the sale deed registered vide R. No. 7808 dated 20-7-1979.

S. N. MANDAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 26-2-1980

Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD-AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 26th February 1980

Ref. No. Acq.23-I-2349(950)/1-2/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 572 situated at Keshod
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer
at Keshod on 25-7-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to betewen the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or **which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);**

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'said Act' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Ratna Gova Vanpariya
Keshod.
(Transferor)

(2) Mava Jiwa Kayada
Khamidaya, Taluka : Keshod.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property **may be made in writing to the undersigned—**

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are **defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.**

THE SCHEDULE

Agricultural land admeasuring A. 17, G-25, bearing S. No. 572, situated on Westernside to Keshod, Dist. Junagadh and as fully described in the sale-deed registered vide R. No. 810 in July, 1979.

S. N. MANDAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad

Date : 26-2-80
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 26th February 1980

Ref. No. Acq.23-I-2530(951)/11-3/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 122 situated at Kankasa, Mangrol Taluka, Dist. Junagadh
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Mangrol on 16-7-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Vipra Ramniklal Vrandavandas Thakar,
Kankasa, Tal. Mangrol, Dist. Junagadh.
(Transferor)

(2) Aher Govind Vejanand Chacha,
Kankasa, Tal. Mangrol.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons; whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An ag. land admeasuring A. 5, G-31, bearing S. No. 122, situated at Kankasa, Tal. Mangrol, Dist. Junagadh and as fully described in the sale-deed registered vide R. No. 548 dt. 16-7-1979.

S. N. MANDAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad

Date : 26-2-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380 009, the 1st March 1980

Ref. No. Acq. 23-I-2550(952)/5-5/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. S. No. 230/1 situated at Nawagam, Sihor Taluka, Sihor, Dist. Bhavnagar,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Sihor on July 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Shri
1. Ramshang Laxman,
2. Haribhai Ramshang,
3. Vajabhai Ramshang,
4. Bhupatbhai Ramshang,
5. Desaibhai Ramshang,
Nawagam, Taluka : Sihor; Dist. Bhavnagar.

(Transferors)

(2) Shri Ravjibhai Chunibhai Amin, 87, Urmi Society, Behind New India Mills, Vadodara-390 005.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land adm. A-7, G-02, situated at Navagam village, Taluka : Sihor, Dist. Bhavnagar, and as fully described in the sale-deed registered vide No. 425 in July 1979.

S. N. MANDAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 1-3-1980.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 3rd March 1980

No. Acq. 23-I-2549 (953)/5-5/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. S No. 37-1, situated at Loliyana Village, Vallabhipur Taluka, Dist. Bhavnagar,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred, under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sihor on July 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by **more than fifteen per cent of such apparent consideration and** that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in **respect of any income arising from the transfer; and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for **the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);**

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kumarpal Premchandbhai Shah and Manvantiben Amritlal Shah, Vallabhipur.
(Transferors)

(2) Shri Sureshbhai Bhanajibhai Rathod, Vallabhipur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land admeasuring A-15, G-16, bearing S. No. 37, situated at Loliyana Village, Taluka : Vallabhipur, Dist. Bhavnagar, and as fully described in the sale-deed registered vide R. No. 108 dated July 1979.

S. N. MANDAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 3-3-1980.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 3rd March 1980

No. Acq. 23-I-2549(954)/5-5/79-80.—Whereas, I,
S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinaftet referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 37 situated at Ioliyana Village, Taluka : Vallabhipur, Dist. Bhavnagar,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Sihor on 2nd July 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kumarpal Premchandbhai Shah, and Manvantiben Amritlal, Vallabhipur.

(Transferors)

(2) Shri Bhagwanbhai Jiwanbhai Parmar, Lakhanka, Taluka : Vallabhipur, Dist. Bhavnagar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land admeasuring A.6, G-0, bearing S. No. 37, situated at Ioliyana Village, Tal. Vallabhipur, Dist. Bhavnagar and as fully described in the sale-deed registered Vide R No. 107 dated July 1979.

S. N. MANDAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 3-3-1980.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 4th March 1980

No. Acq. 23-I-2533(955)/11-1/79-80.—Whereas, I,
S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 8, Paiki—Agricultural land—4 Acre-3G situated at Village : Dolatpara, Dist. Junagadh,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Junagadh on 11-7-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Bhikhabhai Bhagsali and Others, Vill : Dolatpara, Dist. Junagadh.
(Transferor)

(2) Shri Karamshi Ladhabhai Saparia, O/S Majewadi Gate, Junagadh.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land admeasuring 4 Acre, 3 Gunthas, situated at Village : Dolatpara, Distt. Junagadh, duly registered by Registering Authority, vide - Sale-deed No. 1237/11-7-1979 i.e property as fully described therein.

S. N. MANDAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 4-3-1980.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 4th March 1980

Ref. No. P.R. No. 889 Acq. 23-6-1/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25000/- and bearing No.
S. No. 143/1, Final Plot No. 202 situated at Nizampura, Baroda,
(and more fully described in the Schedule annexed here to) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Baroda on 30-7-1979,
for an apparent consideration which
is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(a) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Gangaben widow of Damodarbhai Kalyanbhai; Nizampura, Baroda.
(Transferor)

(2) The President; Vihalkrupa Coop. Housing Society Ltd., Nizampura, Baroda.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which ever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land admeasuring 6080 sq. mtrs. situated at S. No. 143/1, in the Nizampura area of Baroda City and fully described as per sale deed No. 4151 and 4152 registered in the office of Sub-Registrar, Baroda on 30-7-1979.

S. N. MANDAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 4-3-1980.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 4th March 1980

Ref. No. P.R. No. 890 Acq. 23/6-1/79-80.—Whereas, I S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
C.S. No. 59, T.P.S. No. 12 Plot No. 150 situated at Nizampura, Baroda,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Baroda on 20-7-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, the pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Bhagwanbhai Ramabhai; Nizampura, Baroda and Shri Kantilal Ramabhai; Nizampura, Baroda.
(Transferor)

(2) President; Parshwanath Coop. Housing Society Ltd., Pathar Gate, Amrut Nivas, Moti Tamboliwad, Baroda.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land admeasuring 1 Acre and 25 Gunthas situated at C.S. No. 59, T.P. S. No. 12, Plot No. 150, in the Nizampura area of Baroda City and fully described as per sale-deed No. 4031 registered in the office of Sub-Registrar, Baroda on 20-7-1979.

S. N. MANDAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 4-3-1980.
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 27th February 1980

Ref. No. P.R. No. 876 Acq. 23-II/79-80.- -Whereas, I, S. N. MANDAL,
being the Competent Authority
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Rev. S. No. 237 paiki Plot No. 15 & 22 situated at Vijalpor, Ashapuri Road, Navsari,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Navsari on 17-7-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Maganbhai Madhavbhai Amin; Premi Bhuvan, Krishna Society, Navsari.
(Transferor)

(2) Shri Bavanjibhai Alshibhai Kukadia; Krishna Nagar Apartment, Lunsikui, Navsari.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Rev. S. No. 237 paiki Plot No. 15 & 22, situated at Vijalpor, Ashapuri Road, Navsari, admeasuring 10331 sq. ft. duly registered on 19-7-1979 at Navsari vide No. 1184.

S. N. MANDAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 27-2-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 27th February 1980

Ref. No. P.R. No. 877 Acq. 23-II/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
House No. 236, Wd. No. 2, Tika No. 6/2 situated at Opp. Jamshed Bag, Navsari,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Navsari on 24-7-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Vasantiben Rambhai Bhakt; Opp. Jamshed Bag, Char Pool, Navsari.

(Transferor)

(2) Shri Gulam Kadar Mohmadbhai Fruitvala; Shri Iqbalhusein Mohmadbhai Fruitvala; Tata School Road, Navsari.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property bearing House No. 236, ard No. 2, situated Opp. Jamshedbag, Navsari duly registered on 24-7-1979 with Sub-Registrar at Navsari vide No. 1415.

S. N. MANDAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 27-2-1980.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 1st March 1980

Ref. No. P.R. No. 879 Acq. 23-4-3/79-80.—Whereas, I S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Survey No. 16 parki land situated at Mojampur, Bharuch.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Bharuch on 18-7-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax, Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Mahmad Ise Adam Mitha; Kasuk, Bharuch. (Transferor)

(2) Secretary-cum-Mantri; Shri Dipak Kantilal Shah; Pritam Society, Bharuch. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Survey No. 16 paiki land, situated at Majampur, Bharuch duly registered with the registering authority at Bharuch on 18-7-79 vide No. 1071.

S. N. MANDAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 1-3-1980.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 1st March 1980

Ref. No. P.R. No. 880 Acq. 23/4-3/79-80.—Whereas, I S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Survey No. 16 paiki land situated at Mojampur, Bharuch,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Bharuch on 23-7-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Bai Kattiben Ise Odam Mitha; Kasak, Bharuch. (Transferor)

(2) Secretary-cum-Mantri; Shri Dipak Kantilal Shah; Pritam Society, Bharuch. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Survey No. 16 paiki land situated at Mojampur, Bharuch duly registered with the registering authority at Bharuch on 23-7-1979 vide No. 1091.

S. N. MANDAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 1-3-1980.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE-II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 3rd March 1980

Ref. No. P.R. No. 881 Acq. 23/19-7/79-80.—Whereas, I S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Nondh No. 1936/A paiki land situated at Kailashnagar Society, Majura, Surat,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 9-7-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Nirmalaben Sudhirchandra Shah; Gopipura, Bhansali Pole, Surat.
(Transferor)

(2) President : Jayesh Coop. Housing Society Ltd., Smt. Vilasben Harilal Modi; 24, Swati Society, Nanpura, Timaliawad, Surat and Mantri : Shri Premchandbhai Bhogilal Doshi; Gopipura, Lalla Jiva Mandir, Surat.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Majura, Kailasnagar Society, bearing Nondh No. 1936/A paiki land, duly registered with authority at Surat on 9-7-1979 vide No. 1867.

S. N. MANDAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 3-3-1980.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 3rd March 1980

Ref. No. P.R. No. 882 Acq. 23-19-7/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Nondh No. 2/1936/A paiki land situated at Majura, Kailasnagar Society, Surat,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Surat on 9-7-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with he object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Naginchand Chimanlal Shah; Ganjawala Apartment, Borivali (West), Bombay.
(Transferor)

(2) President : Smt. Vilasben Harilal Modi; 24-Swati Society, Nanpura, Timaliawad, Surat and Mantri : Shri Premchandbhai Bhogilal Doshi; Gopipura Lalla Jiva Mandir; C/o Jayesh Coop. Housing Society Ltd., Surat.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Majura Kailasnagar Society, Surat duly registered with authority at Surat, bearing Nondh No. 2/1936/A paiki land registered on 9-7-1979.

S. N. MANDAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 3-3-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE-II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 3rd March 1980

Ref. No. P.R. No. 883 Acq. 23-19-7/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Survey No. 468 paiki land situated at Katargam, Surat,
(and more fully described
in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Surat on F. N. 31-7-1979,
for an apparent consideration which
is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties
has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

25—6GI/80

(1) Shri Kuberbhai Dhanjibhai Patel; Gotalavadi, Katargam, Surat.
(Transferor)

(2) Shri Pursottam Javaharlal Patel; and Shri Jayantilal Ramjibhai Patel; Prabhunagar Coop. Housing Society Ltd., Variavi Bazar, Saiyedpura, Surat.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Katargam bearing Survey No. 468 paiki land, duly registered at Surat in Fortnight 31-7-79 vide No. 2828.

S. N. MANDAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 3-3-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 3rd March 1980

Ref. No. P.R. No. 884 Acq. 23/4-1/79-80.—Whereas, I S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Survey No. 184/2 situated at Gadkhol—Taluka—Ankleshwar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ankleshwar on 31-7-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Karasanbhai Gamanbhai; Gadkhol—Taluka—Ankleshwar.
(Transferor)

(2) Ambalal Chinnanlal Gandhi and others; Ankleshwar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Gadkhol—Taluka Ankleshwar bearing Survey No. 184/2 duly registered on 31-7-1979 at Ankleshwar.

S. N. MANDAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 3-3-1980.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 3rd March 1980

Ref. No. P.R. No. 885 Acq. 23/4-1/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Survey No. 184/1+3 land situated at Gadkhol—Taluka—Ankleshwar,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Ankleshwar on 31-7-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the tranfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Fakirbhai Devjibhai; Kazi Falia, Ankleshwar. (Transferor)

(2) Shri Ambalal Chimanlal Gandhi and others; Ankleshwar. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are as defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Gadkhol Taluka Ankleshwar bearing Survey No.—184/1+3 land duly registered with the authority at Ankleshwar on 31-7-1979.

S. N. MANDAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 3-3-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-II

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 3rd March 1980

Ref. No. P.R. No. 886 Acq. 23/4/-1/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Survey No. 184/2 land situated at Gadkhol—Taluka—Ankleshwar,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Ankleshwar on 31-7-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Karsanbhai Gamanbhai; Gadkhol, Tal. Ankleshwar.

(Transferors)

(2) 1. Shri Ambalal Chimanlal Gandhi and others;
2. Shri Dhansukhlal Chunilal Mithaiwala; Ankleshwar.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Land at Gadkhol—Taluka Ankleshwar bearing Survey No. 184/2 duly registered at Ankleshwar on 31-7-1979.

S. N. MANDAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 3-3-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 6th March 1980

Ref. No. P.R. No. 891 Acq. 23-19-8/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Survey No. 1482 known as Plot No. H/4 Sr. No. 62, situated at Adarshnagar Coop. Society, Athwa, Surat
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Surat on 25-7-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 209D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Shardulsinh Udaysinh Mahida—P. A. Holder of Vijaysinh Udaysinh Mahida;
Village : Chhedchha; Post : Kasmada.
Dist. Surat.

(Transferor)

(2) 1. Shri Shashikant Chhotalal Sheth;
2. Shri Jaymanben Shashikant Sheth,
3. Shri Vandan Shashikant Sheth,
all residing at
B-11, 2nd Floor, Dina Pariwar, Nanpura, Tamaliavad, Surat.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property situated at Adarshnagar Coop. Housing Society, Athwa, Surat bearing Sur. No. 1482, Plot No. H/4, Index No. 62 duly registered at Surat on 25-7-79 vide No. 2807.

S. N. MANDAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Ahmedabad

Date : 6-3-1980
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR
HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 6th March 1980

No. Acq. 23-I-2601(958)/16-6/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing
S. No. 123 Paiki Plot No. 148 situated at Bedipara—towards Rajkot Wadhawan Road, Rajkot
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Rajkot on 31-7-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

(1) Shri Mohanlal Trikamji of Bombay-52—being Power of Attorney holder of—Shri Dayakunver Hirala,
2, Shakti Bhawan, Ghod Bander Road, Bombay-52.
(Transferor)

(2) Shri Ramji Parmar,
C/o. Shri Bedipara Rajput Mandal,
Bedipara, Rajkot.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of **45 days from the date of publication of this notice** in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing S. No. 123 Paiki Plot No. 148, situated at Bedipara—towards Rajkot Wadhawan Road, Rajkot (southern side) S. No. 123—duly registered by Registering Officer, Rajkot Vide sale-deed No. 4770 dated 31-7-1979 i.e. property as fully described therein.

S. N. MANDAL
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad

Date : 6-3-1980

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 6th March 1980

No. Acq. 23-I-2601(959)/16-6/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. No. 123, Paiki Plot situated at Bedipara—towards Rajkot Wadhwan Road, Rajkot (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajkot on 31-7-1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the equisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Mohanlal Trikamji Thakker, 72, Shakti Bhawan, S. V. Road, KHAR (West), Bombay-52.

(Transferor)

(2) Shri Ramji Parmar, C/o. Shri Bedipara Rajput Mandal, Bedipara, Rajkot.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA, of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing S. No. 123 Paiki Plot——situated at Bedipara—towards Rajkot Wadhwan Road, Rajkot (southern-side)—duly registered by Registering Officer, Rajkot vide sale-deed No. 4771 dated 31-7-1979 i.e. property as fully descriped therein.

S. N. MANDAL
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad

Date : 6-3-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR
HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 6th March 1980

No. Acq. 23-I-2509(960)/11-6/79-80.—Whereas, I,
S. N. MANDAL
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No 308 Paiki Property known as "Zaveri Bhawan" situated at Rajmahal Road, Verawal
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Verawal on 18-7-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1951 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) (1) Shri Gunvantrai Parshottam Zaveri,
(2) Shri Mukundrai Parshottam Zaveri,
(3) Shri Maiharlal Parshottam Zaveri,
All at "Zaveri Bhawan", Rajmahal Road, Verawal.

(Transferor)

(2) Aradhana Cinema,
through : Partners :
Shri Gunvantrai Parshottam Zaveri & Others,
Verawal.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property known as "Zaveri Bhawan"—at S. No. 308 Paiki standing on land 2413.90 sq. mtrs. situated at Rajmahal Road, Verawal, duly registered by Registering Officer, Verawal, vide sale-deed No. 451/18-7-79 i.e. property as fully described therein.

S. N. MANDAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad

Date : 6-3-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.
ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR
HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 6th March 1980

No. Acq. 23-I-2505(961)/16-6/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. S. No. 390, Plot No. 4, situated at Gondal Road, Rajkot (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Rajkot on 21-7-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jayantilal D. Sinroja,
Kandivali, Industrial Estate, Bombay.
(Transferor)

(2) Shri Kantaben Jamnadas Gajjar,
4, Jagnath Plot, Rajkot.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 1529.40 sq. yds. bearing S. No. 390, Plot No. 4, situated at Gondal Road and as fully described in the sale-deed registered vide R. No. 3215 dated 21-7-1979.

S. N. MANDAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad

Date : 6-3-1980

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR
HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 6th March 1980

No. Acq. 23-I-2540(962)/18-5/79-80.—Whereas I, S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property,
having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. No. 1770—Paiki Plot No. 2 to 5, situated at Surrendra Nagar District,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Wadhawan on July 1979
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Chandrakant Keshavlal Depala,
Dudhrej Road, Surendranagar.

(Transferor)

(2) Durga Builders,
through : Parop.
Shri Pradhumna Bhurubha,
Wadhawan City,
Dist. Surendranagar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing S. No. 1770—Paiki Plot No. 2 to 5, adm. 1261 2 sq ft.—City Survey No. 5358—situated at Surendranagar District—duly registered by Registering Officer, Wadhawan vide Sale-deed No. 1936/July, 1979 i.e. property as fully described therein.

S. N. MANDAL
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad

Date : 6-3-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 6th March 1980

No. Acq. 23-I-2622(963)/16-6/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 451 Plot No. 10-A, adm. 165-1-36 sq. yd. situated at Rajkot
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Rajkot on July 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Haridas Pradhanbhai Vithalani, "Jay Niwas", Opp. : Parekh Street, Ghod Bander Road, Kandivili, Bombay-67.
(Transferor)

(2) Shri Amratlal Madhavjibhai, Raiya Road, Rajkot.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land bearing S. No. 451, Plot No. 10-A, adm. 165-1-36 sq. yds. situated at Rajkot, duly registered by Registering Officer, Rajkot Vide sale deed No. 4550/79/July, 1979 i.e. property as fully described therein.

S. N. MANDAL
Competent Authority.
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad

Date : 6-3-1980

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR
HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 6th March 1980

No. Acq. 23-I-2622(964)/16-6/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 451, Plot No. 10-B, adm. 171-1-0 sq. yds. situated at Rajkot
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer
at Rajkot on July 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'said Act,' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Haridas Pradhanbhai Vithalani, "Jay Niwas", Opp. : Parekh Street, Ghod Bander Road, Kandivili, Bombay-67.

(Transferor)

(2) Shri Janakrai Chhatrabhuj Thakker, Raiya Road, Rajkot.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land bearing S. No. 451, Plot No. 10-B, adm. 171-1-0 sq. yds. situated at Rajkot, duly registered by Registering Officer, Rajkot vide Sale-deed No. 4551/79/July, 1979 i.e. property as fully described therein.

S. N. MANDAL
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad

Date : 6-3-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR
HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 6th March 1980

No. Acq. 23-1-2622(965)/16-6/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 451—Plot No. 10-C adm. 177-4-32 sq. yds. situated at Rajkot
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Rajkot on July 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Haridas Pradhanbhai Vithalani, "Jay Niwas", Opp. : Parekh Street, Ghod Bander Road, Kandivili, Bombay-67.

(Transferor)

(2) Shri Amarshibhai Mavjibhai Tank, Vaniawadi Street No. 1, Rajkot.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquistion of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land bearing S. No. 451—Plot No. 10-C—adm. 177-4-32 sq. yds. situated at Rajkot, duly registered by Registering Officer, Rajkot vide sale-deed No. 4552/July, 1979 i.e. property as fully described therein.

S. N. MANDAL
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad

Date : 6-3-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269 D (1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR
HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 6th March 1980

No. Acq. 23-1-2622(966)/16-6/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL,
being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 451—Plot No. 10-D adm. 183-5-112 sq. yds. situated at Rajkot
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Rajkot on July, 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Haridasbhai Pradhanbhai Vithalani, "Jay Niwas", Opp : Parekh Street, Ghod Bander Road, Kandivili, Bombay-67.
(Transferor)

(2) Shri Chhaganlal Laljibhai Kataria, "Kataria Mansion", Raiya Road, Rajkot.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land bearing S. No. 451, Plot No. 10-D, adm. 183-5-112 sq. yds. situated at Rajkot, duly registered by Registering Officer, Rajkot, vide sale-deed No. 4553/July, 1979 i.e. property as fully described therein.

S. N. MANDAL
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad

Date : 6-3-1980

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR
HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 6th March 1980

No. Acq. 23-I-2597(967)/16-6/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
S. No. 451—Paiki Plot No. 41—sq. yds. 165-6-108 situated at Raiya Road, Rajkot
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Rajkot on July 1979
for an apparent consideration
which is less than the fair market value
of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, on the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Naliniben Chandubhai,
C/o. Labhshanker Tribhovandas,
Ahmedabad.

(Transferor)

(2) Shri Vallabhbhai Vasrambhai,
Prahalad Plot Road,
Rajkot.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from a service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land of S. No. 451 Paiki Plot No. 41—Paiki—sq. yds. 165-6-108—situated at Raiya Road, Rajkot, duly registered by Registering Officer, Rajkot vide sale-deed No. 4108/4-7-79 i.e. property as fully described therein.

S. N. MANDAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad

Date : 6-3-1980

Seal :

FORM ITNS ——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 6th March 1980

No. Acq. 23-I-2597(968)/16-6/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 451—Paiki Plot No. 41, Paiki sq. yds. 103-8-0 and 103-8-0 sq. yds. Raiya Road, Rajkot
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Rajkot in July 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquistion of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Naliniben Chandulal,
Co. Labhshanker Tribhovandas,
Ahmedabad.

(Transferor)

(2) Shri Kanubhai Chhaganlal Pandya,
Prahalad Plot, Main Road,
Rajkot.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land of S. No. 451, Paiki Plot No. 41, Paiki sq. yds. 103-8-0 and 103-8-0 sq. yds. situated at Raiya Road, Rajkot, duly registered by Registering Officer, Rajkot vide sale-deed No. 4111/4-7-79 and 4112/4-7-79 respectively i.e. property as fully described therein.

S. N. MANDAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad

Date : 6-3-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR
HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 6th March 1980

No. Acq. 23-I-2597(969)/16-6/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 451—Paiki Plot No. 41, Paiki sq. yds. 103-8-0 and 103-8-0 situated at Raiya Road, Rajkot
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajkot on 4-7-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following person, namely :—

(1) Smt. Naliniben Chandulal,
C/o. Labhshanker Tribhovandas,
Ahmedabad.
(Transferor)

(2) Shri Vallabhbhai Vasrambhai Patel,
Prahalad Plot, Main Road,
Rajkot.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land of S. No. 451, Paiki Plot No. 41, Paiki sq. yds. 103-8-0 and 103-8-0 sq. yds. situated at Raiya Road Rajkot, duly registered by Registering Officer, Rajkot—vide sale-deed No. 4109/4-7-79 and 4110/4-7-79 respectively i.e. property as fully described therein.

S. N. MANDAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad

Date : 6-3-1980

Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR
HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 10th March 1980

Ref. No. P. R. No. 892 Acq. 23-II/79-80 —Whereas I, S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. City Sur. No. 3247 Paiki land situated at Deshra, Bilimora
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Gandevi on 10-7-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) on the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Chhaganlal Zaverchand Shah;
Sonivad, Bilimora.
(Transferor)

(2) President :
Shri Mohanlal Zaverchand Shah;
Vanka Mahollo, Billimora;
C/o Shivanjali Coop. Housing Society,
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Deshra, bearing City Survey No. 3247 admeasuring 1784-48-72 sq. mts. duly registered at Gandevi on 10-7-79 vide No. 1184.

S. N. MANDAL
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad

Date : 10-3-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR
HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD.
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 10th March 1980

No. Acq. 23-1-2554(970)/5-1/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL,
being the competent authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 117, 118, 119 Paiki Plot No. 20 situated at Rua Gam i.e. Village Rua, Dist. Bhavnagar
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Bhavnagar on 9-7-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax, Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Mukundrai Hargovinddas Trivedi and Others.
(Transferor)

(2) (1) Sh. Monpara Laljibhai Mohanbhai,
(2) Shri Monpara Hirabhai Mohanbhai.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property bearing S. No. 117, 118, 119—Paiki Plot No. 20, adm. 517-93 sq. mtrs. situated at village Rua, Dist. Bhavnagar, duly registered by Registering Officer, Bhavnagar, vide sale-deed No. 1315/July, 1979 i.e. property as fully described therein.

S. N. MANDAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad

Date : 10-3-1980
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR
HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 10th March 1980

No. Acq. 23-1-2558(971)/5-1/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Vacant Plot area 1250 sq. yds., situated at Ghoga Road Nr. Merv Baug
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bhavnagar on 21-7-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mr. Harilal Muljibhai Thakkar.

(Transferor)

(2) (1) Mr. Mohanbhai Vashram,
Post at Khokhra,
(2) Mr. Jodhabhai Bijalbhai, Post at Khokhra,
(3) Mr. Narsinhbhai Amarabhai, Post at Surka.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant Plot of land area 1250 sq. yds. Ghogha Road Nr. Merv Baug, duly registered by Registering Officer, Bhavnagar, vide sale-deed No. 1419/21-7-1979 i.e. property as fully described therein.

S. N. MANDAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Ahmedabad

Date : 10-3-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR
HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 10th March 1980

No. Acq. 23-I-2598(972)/16-6/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Plot No. 42—Paiki—Aghat Lekh No. 120 and 3, situated at Raghuvir Industries Compound, Rajkot
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Rajkot on 6-7-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Dilipkumar Narottambhai Purohit,
19, Raghuvir Park,
Rajkot.

(Transferor)

(2) (1) Shri Amratlal Ramjibhai Mehta,
(2) Smt. Taragauri Amratlal Mehta,
Both at Janta Society,
Rajkot.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building bearing plot No. 42—Paiki—Aghat Lekh No. 120—on land 155 sq. yds. situated at Raghuvir Industries Compound, Rajkot duly registered by Registering Officer, Rajkot vide sale deed No. 3539/6-7-79 i.e. property as fully described therein.

S. N. MANDAL
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad

Date : 10-3-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR
HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 10th March 1980

No. Acq. 23-I-2623(973)/16-6/79-80.—Whereas, I,
S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Plot No. 54/0—Paiki—Building on land 280-0 sq. yds.
situated at Bhaktinagar Society, Rajkot
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering officer
at Rajkot on July, 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Nandlal A. Mehta,
Dr. Radhakrishna Society,
Raiyya Road,
Rajkot.

(Transferor)

(2) (1) Shri Vithaldas Nathalal Makwana,
(2) Shri Vasantlal Nathalal Makwana,
Both at Tagore Road,
Rajkot.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building bearing Plot No. 54/0—Paiki standing on land admeasuring 280-0 sq. yds. situated at Bhaktinagar Society, Rajkot duly registered by Registering Officer, vide sale-deed No. 4457/July, 1979 i.e. property as fully described therein.

S. N. MANDAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad

Date : 10-3-1980
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 11th March 1980

Ref. No. P. R. No. 983 Acq 23-II/1684/19-8/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
Nondh No. 1636-A-2 situated at Tappura Street, Suthar Mohollo, Nanpura, Surat
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Surat on 5-7-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Partners of M/s. R. Manibhai & Co.,
1. Shri Ravjibhai Bhaijibhai Patel;
2. Shri Chhanabhai Bhaijibhai Patel;
3. Shri Manibhai Bhaijibhai Patel;
4. Shri Parsottambhai Manibhai Patel;
Village : Ode, Tal. Anand.
(Transferor)

(2) 1. President :
Shri Ambalal Lallubhai Patel;
Divyesh Apartments Coop. Hsg. Society Ltd.
Kakaji Street, Nanpura, Surat.
Resi : Sarpanch Maholio, Adajan Patia, Surat.
2. Secretary :
Shri Janak Dhirubhai Desai;
Sangadiavad, Surat.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Property situated at Nanpura, Ward No. 1, Sur. No. 1636-A-2 admeasuring 481 sq. yds. duly registered on 5-7-79 vide No. 2565.

S. N. MANDAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Ahmedabad

Date : 11-3-1980
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR
HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 12th March 1980

No. Acq. 23-1-2563(974)/12-1/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot No. 36, Sector No. 4 situated at Dist. Anjar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Anjar on July, 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other asset which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Harish Khushaldas. (Transferor)

(2) Shri Teja Mema Patel. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land Plot No. 36, Sector No. 4, situated at Anjar District duly registered by Registering Officer, Anjar, vide sale-deed No. 641-642/July, 1979 i.e. property as fully described therein.

S. N. MANDAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad

Date : 12-3-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR
HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 12th March 1980

No. Acq. 23-I-2564(975)/12-2/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
CS. Sheet No. 200 inquiry No. 31, Part Plot No. 8
situated at Bhuj
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Bhuj on July, 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1952 (27 of 1957).

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

28—6GI/80

(1) Maheravshri Madansinhji Rajput
Chhatralaya Trust—
through : Hon. Secretary Shri Jadeja V. J. of Bhuj
Ghanshyamnagar, Block No 4,
Bhuj.
(Transferor)

(2) Shri Manharlal Lalji Geria,
Ganapati Bhawan,
Opp : Babunshapir, Bhuj.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 264-43 sq. mtrs. bearing City Survey Sheet No. 200—inquiry No. 31, Part Plot No. 8, situated at Bhuj, duly registered by Registering Officer, Bhuj, vide sale-deed No. 1170/July, 1979 i.e. property as fully described therein.

S. N. MANDAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad

Date : 12-3-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR
HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD.
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 12th March 1980

No. Acq. 23-I-2522(976)/11-4/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL.
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Vacant Plot of land situated at Porbandar,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Porbandar on 9-7-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax, Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Narottamdas Mohanlal Takwani and Others,
Sudama Road,
Porbandar.
(Transferor)

(2) Shri Dineshkumar Kantilal Bamta,
Vadi Plot, Street No. 2,
Porbandar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A vacant plot of open land of sq. yd. 400 duly registered by Registering Officer, Porbandar, vide sale-deed No. 2540/9-7-1979 i.e. property as fully described therein.

S. N. MANDAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad

Date : 12-3-1980
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD

AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 12th March 1980

Ref. No. Acq.23-1-2572(977)/10-5/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

S. No. 10, AO-17-G Paiki Plot No. 2, land situated at Kalawad Talpad, Kalawad Distt. Jamnagar

(and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Kalawad on July, 1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Luhar Harjivan Vas ram,
Bholeshanker Society, Behind Vikram Mill,
Saraspur, Ahmedabad.
(Transferor)

(2) Doshi Dhirajlal Popatlal,
Darbargadh Sheri, Kalawad (Shitala),
Distt. Jamnagar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land adm. 5670 sq. ft. at Kalawad Talpad, Non-agricultural S. No. 10, Paiki Plot No. 2, situated at Kalawad, duly registered by Registering Officer, Kalawad, *vide* sale-deed No. 707/17-7-79 i.e. property as fully described therein.

S. N. MANDAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 12-3-80
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 12th March 1980

Ref. No. Acq. 23-I-2525(978)/11-4/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
CS. No. 3 Sheet No. 143—Building situated at Wadi Plot, Porbander
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Porbander on July, 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Karsanbhai Nermabhai,
of Vill : Garge,
Distt. Porbander.
(Transferor)

(2) Shri Harsukhlal Nathubhai,
Opp : Natverlal Oil Mill, Wadi Plot,
Porbander.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building standing on land 255-2-9 sq. yds. Lekh Reg. No. 368 of 1942-43—C.S. No. 3 Sheet No. 143 situated at Wadi Plot area at Porbander duly registered by Registering Officer, Porbander vide sale-deed No. 2655/20-7-79 i.e. property as fully described therein.

S. N. MANDAL
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 12-3-80
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 12th March 1980

Ref. No. Acq.23-I-2523(980)/11-4/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
CS. Ward No. 3. S. No. 2904 Paiki, situated at Kamla Nehru Park, Porbander
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Porbander on July, 1979
for an apparent consideration which is less than the fair **market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—**

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Laljibhai Jivanbhai Lakhani,
& others,
Vilage : "GOSA",
Distt. Porbander.
(Transferor)

(2) Shri Patabhai Rambhai
Village : Garag,
Distt. Porbander.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land adm. 445 sq. yds. Paiki bearing C.S.W. No. 3, S. No. 2904 situated at Kamla Nehru Park, Porbander, duly registered by Registering Officer, Porbander vide sale-deed No. 2532/9-7-79 i.e. property as fully described therein.

S. N. MANDAL
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 12-3-80
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 12th March 1980

Ref. No Acq. 23-I-2523(980)/11-4/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
CS. Ward No. 3, S. No. 2904, Paiki, situated at Kamla Nehru Park, Porbander
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act
1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Porbander on July, 1979
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Laljibhai Jivanbhai Lakhani
Vill : "Gosa",
Distt. Porbander.
(Transferor)

(2) Shri Sekabhai Rambhai Antrolia,
Village : Garej,
Distt. Porbandar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land adm. 445 sq. yd. Paiki bearing C.S.W. No. 3, S. No. 2904, situated at Kamla Nehru Park, Porbander, duly registered by Registering Officer, Porbander vide sale-deed No. 2534/9-7-79 i.e. property as fully described therein.

S. N. MANDAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 12-3-80

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 12th March 1980

Ref. No. Acq. 23-I-2523(981)/11-4/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
CS. No. Ward No. 3, S. No. 2904 Paiki situated at Kamla Nehru Park, Porbander
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Porbander on July, 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1972) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Laljibhai Jivanbhai Lakhani & Others,
Village : GOSA,
Distt. Porbander.
(Transferor)

(2) Shri Kanabhai Rambhai Gareja,
Village : Garej,
Distt. Porbander.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land adm. 464 sq. yds. Paiki bearing C.S.W. No. 3, S. No. 2904 situated at Kamla Nehru Park, Porbander, duly registered by Registering Officer, Porbander, vide sale-deed No. 2533/9-7-79 i.e. property as fully described therein.

S. N. MANDAL
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 12-3-80
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD
Ahmedabad-380009, the 12th March 1980

Ref. No. Acq.23-I-2555(982)/5-1/79-80.—Whereas, I, S. N. MANDAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Plot No. 21-A situated at Satyanarayan Road, Bhavnagar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Bhavnagar on 7-7-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Chandrakanta Kantilal Rawal
Shri Kantilal Bhayshanker Rawal
Shri Umakant Bhayshanker Rawal
Satyanarayan Road,
Plot No. 24,
Bhavnagar.
(Transferor)

(2) (1) Arunaben Ghansyambhai Parikh
(2) Urmilaben Kanaiyalal Parik
(3) Jyotiben Bipinchandra Parikh
C/o. Shri Trambaklal Savailal Parikh,
Havelivali Sheri,
Bhaga Talav, Bhavnagar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 975 sq. mtrs. bearing Plot No. 21, situated at Satyanarayan Road, Bhavnagar and as fully described in the sale-deed registered vide R. No. 1308 dt. 9-7-79.

S. N. MANDAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 12-3-80
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II

4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 10th March 1980

Ref. No. IAC/Acq-II/SR-II/7-79/2689.—Whereas, I, R. B. L. AGGARWAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 32, Road No. 42 situated at Punjabi Bagh, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on July 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object or—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Iqbal Singh Monga, (2) Sh. Talok Singh Monga & (3) Sh. Attar Singh Monga sons of S. Kartar Singh Monga R/o. 32/42, Punjabi Bagh, New Delhi.

(Transferor)

(2) (1) Shri Hari Om Parkash Bhalla, (2) Subhash Bhalla, (3) Ashok Bhalla & (4) Ajayvir Bhalla ss/o sons of Dewan Chand Bhalla of 3489 Aryapura S. Mandi, Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Bearing Plot No. 32, on Road No. 42, mg. 1140.49 sq. yds at Punjabi Bagh, area of vill. Madipur Delhi State Delhi.

R. B. L. AGGARWAL
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi

Date : 10-3-1980.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 10th March 1980

Ref. No. IAC/Acq-II/SR-II/7-79/2696.—Whereas, I, R. B. L. AGGARWAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing
No. 23 Road No. 41 situated at Punjabi Bagh, Delhi
and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Delhi on July 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transferor; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Surjan s/o S. Bhai Gurmukh Singh R/O 23/41, Punjabi Bagh, New Delhi.
(Transferor)

(2) S. Tarlochan Singh s/o Seth Kesho Ram got 1/2 share Harvinder Singh got 1/4th share & Bhupinder Pal Singh got 1/4th sons of Sh. Tarlochan Singh 4/57, Punjabi Bagh, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House on Plot No. 23, on Road No. 41, in Class A, mg 2209.26 sq. yds. at Punjabi Bagh, area of vill. Madipur Delhi State, Delhi.

R. B. L. AGGARWAL
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi

Date : 10-3-1980.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 10th March 1980

Ref. No. IAC/Acq-II/7-79/5513.—Whereas, I, R. B. L. AGGARWAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. 8/5, Alipur Road, situated at Civil Lines, Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Delhi on July 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri L. N. Gadodia & Son Ltd., through Director Sh. Taj Pal Gadodia s/o Ram Gopal Gadodia, r/o 89, Alipur Road, Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Satya Narayan S/o Sh. Kashi Ram & Smt. Tofa Devi W/o Sh. Satya Narayan R/o 3635, Mori Gate, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A Double Storeyed house No. 8/5, Alipur Road, Civil Lines, Delhi. With land underneath 131.96 Sq. Mts.

R. B. L. AGGARWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi

Date : 10-3-1980.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 10th March 1980

Ref. No. IAC/Acq-II/7-79/5565.—Whereas, I,
R. B. L. AGGARWAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. A-43 situated at Rajouri Garden, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), **has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908)** in the office of the Registering Officer at
Delhi on July 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to **between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—**

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay under the said Act in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 **(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);**

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Krishan Lal, (2) Sh. Subhash Chander, (3) Sh. Avinash Chander, (4) Sh. Des Deepak, (5) Sh. Mukesh & (6) Sh. Gulshan Rai Sons of Late Sh. Madan Lal Trehan of A-43. Rajouri Garden, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Gulshan Oberoi and (2) Sh. Manmohan Oberoi Sons of Sh. Manak Chand of B13/14, Rajouri Garden, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

2½ Storeyed building on Plot No. A-43, measuring 378 sq. yds., at Rajouri Garden, New Delhi.

R. B. L. AGGARWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi

Date : 10-3-1980.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,

4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 10th March 1980

Ref. No. IAC/Acq-II/SR-II/7-79/2706.—Whereas, I, R. B. L. AGGARWAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 1, situated at on North West Avenue Road, Punjabi Bagh., Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Delhi on July 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Rohini Oberai W/o Late Lt. Col. Dhan Raj Oberai D/o Late Lt. Col. Nechal Dass Puri R/o 1, West North Avenue Road, Punjabi Bagh, Delhi herself and attorney of her Brother Sh. Hari Chandra Puri & Avinash Chander Puri.
(Transferor)

(2) Shri Ram Sarup, (2) Sh. Om Parkash Sons of Sh. Hira Nand, (3) Ved Vias & Mohinder Pal sons of Ram Sarup D-3/65, Janakpuri, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. 1, On North West Avenue Road, Punjabi Bagh, area of vill. Madipur Delhi State, Delhi, measuring 2545 sq. yds.

R. B. L. AGGARWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Date : 10-3-1980.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 10th March 1980

Ref. No. IAC/Acq-II/SR-II/7-79/2740.—Whereas, I, R. B. L. AGGARWAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 18 Road No. 26 situated at Punjabi Bagh, Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Delhi on July 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ram Bhaj Batra s/o Shri Tara Chand Batra R/o 6/14, East Punjabi Bagh Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Suresh Kukreja and (2) Sh. Anil Kukreja sons of Dr. K. Kukreja R/o 18/26, East Punjabi Bagh Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House, on Plot No. 18, on Road No. 26, mg. 555.33 sq. yds. at Punjabi Bagh (East) area of vill. Shakurpur Delhi State, Delhi.

R. B. L. AGGARWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Date : 10-3-1980.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-II,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 10th March 1980

Ref. No. IAC/Acq-II/SR-II/7-79/2742.—Whereas, I, R. B. L. AGGARWAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
2 Road No. 80 situated at Punjabi Bagh, Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Delhi on July 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ram Singh s/o Sh. Diwan Chand R/o 2/80 Punjabi Bagh, Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Bimla Chawla W/o Sh. S. L. Chawla R/o 5/19 Punjabi Bagh, Delhi and Sh. Prem Chawla s/o Sh. S. L. Chawla R/o 2/80, Punjabi Bagh, Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property on Plot No. 2 on Road No. 80 mg. 1190 sq. yds. at Punjabi Bagh area of vill. Bassai Darapur Delhi State, Delhi.

R. B. L. AGGARWAL
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Date : 10-3-1980.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 10th March 1980

Ref. No. IAC/Acq-II/SR-II/7-79/2692.—Whereas, I, R. B. L. AGGARWAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 4 on Road no. 57 situated at Punjabi Bagh, New Delhi (and more fully described in the Schedule Annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Delhi on July 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair marked value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Tarlochan Singh S/o Sh. Kesho Ram R/o. 4/57, Punjabi Bagh, New Delhi.
(Transferor)

(2) Smt. Manjit Kaur W/o S. Darshan Singh Dhall, Sh. Surinderbir Singh Dhall, 10/57, Punjabi Bagh, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1½ Storeyed house on Plot No. 4, on Road No. 57, mg. 563.89 sq. yds. at Punjabi Bagh area of vill. Madipur Delhi State, Delhi.

R. B. L. AGGARWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Date : 10-3-1980.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 15th March 1980

Ref. No. IAC/Acq-II/SR-I/7-79/5558.—Whereas, I, R. B. L. AGGARWAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. XI/2848 situated at Gali Bahishtan Darya Ganj, Delhi (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Delhi on July 1979 at
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

(1) Smt. Raj Rani Chopra W/o late Ram Dev Chopra R/o D-74, Vivek Vihar, Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Sarla Sehgal W/o Sh. Narotam Lal Sehgal R/o 2130 Kucha Dhakni Rai, Daryaganj, Delhi and Smt. Asha Kapoor W/o Sh. Yash Pal Kapoor of 930, Kucha Kabool-Attar Ch. Chowk, Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Free hold Property No. XI/2848 Gali Bahishtan Darya Ganj, Delhi.

R. B. L. AGGARWAL
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Date : 15-3-1980.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 15th March 1980

Ref. No. IAC/Acq-II/SR-I/7-79/5616.—Whereas, I, R. B. L. AGGARWAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. D-6/18 situated at Rana Partap Bagh, Delhi
(and more fully described in the Schedule
annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Delhi on July 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Har Parshad Gupta S/o Sh. Shivsahai, Ram Avtar, Ram Kishan, Rai Bahadur and Ramesh Chander Sons of Sh. Har Parshad Gupta, R/o No. D-6/18, Rana Partap Bagh, Subzi Mandi, Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Sunil Kumar S/o Sh. Krishan Lal R/o. House No. 8935, Naya Mohalla, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Double storey house bearing No. D-6/18, situated in the abadi of Rana Partap Bagh Illaqa Subzi Mandi, Delhi.

R. B. L. AGGARWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Date : 15-3-1980.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 15th March 1980

Ref. No. IAC-Acq-II/SR-I/7-79/5562.—Whereas, I, R. B. L. AGGARWAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 2865 Ward No. IX situated at Bulbuli Khana, Bazar Sita Ram, Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Delhi on July 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Teju Ram S/o Sh. K. R. Ganotra R/o 2865 Bulbuli Khana, Bazar Sita Ram, Delhi.
(Transferors)

(2) Shri Nasir Ahmad S/o Akbar, R/o 1451 Gali Masjid Sayeed Rafai, Bazar Chitli Qabar, Delhi.
(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One House No. 2865 Ward No. IX situated in Bulbuli Khana, Bazar Sita Ram, Delhi.

R. B. L. AGGARWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Date : 15-3-1980.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 15th March 1980

Ref. No. IAC/Acq-II/SR-II/79/2700.—Whereas I, R. B. L. AGGARWAL
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 91 Block J-8 situated at Rajouri Garden, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Delhi on July 1979,
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax, Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Urmila Chadha W/o Sh. Inderjit Chadha R/o 527, Whiton Avenue West Green Ford, Middle Sex, United Kingdom, through her attorney Sh. Suresh Chander Gupta S/o Sh. Sita Ram, Professor & Head of Elect. Agr. University, Pant Nagar, U.P.

(Transferor)

(2) Shri N. C. Soni S/o Sh. T. L. Soni of J-46, Kirti Nagar, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which ever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Free-hold plot of land bearing Plot No. 91 Block 1-8 of 160 sq. yds., Rajouri Garden, New Delhi.

R. B. L. AGGARWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II
Delhi/New Delhi

Date : 15-3-1980
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSION ER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 15th March 1980

Ref. No. IAC/Acq-II/SR-II/7-79/2709.—Whereas I, R. B. L. AGGARWAL
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. J-5/85 situated at Rajouri Garden, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Delhi on July 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Hariqbal Singh Bali S/o Sh. Dharam Singh R/o J-5/85, Rajouri Garden, New Delhi.
(Transferee)

(2) Shri Gurdip Singh s/o Sh. Karam Singh R/o A-1/13, Krishan Nagar, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as property within 45 days from the date of the publi- shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

S. S. House No. J-5/85, measuring 160 sq. yds. at Rajouri Garden area of vill. Tatarpur Delhi State, Delhi.

R. B. L. AGGARWAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II
Delhi/New Delhi

Date : 15-3-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 20th March 1980

Ref. No. IAC/Acq-II/SR-I/7-79/5581.—Whereas I, R. B. L. AGGARWAL
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. K-5/5 situated at Model Town, Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on July 1979,
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the view of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Lakshman Swaroop S/o Sh. Nathu Singh, K-5/5 Model Town, Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Raghunath Pershad Jain & Sh. Abhinandan Kumar Jain sons of Sh. Govind Ram Jain, A-61, Industrial Area, G.T. Karnal Road, Delhi.
(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A Single Storeyed building bearing No. K-5/5, Model Town, Delhi.

R. B. L. AGGARWAL
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II
Delhi/New Delhi

Date : 20-3-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 20th March 1980

Ref. No. IAC/Acq. II/SR-I/7-79/5599.—Whereas I, R. B. L. AGGARWAL
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 777 Ward No. 1, situated at Nicholson Road, Kashmeri Gate, Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on July 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(a) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Smt. Rajeshwari W/o Sh. Anwar Khan & Sh. Anwar Khan S/o Sh. Mehboob Khan R/o No. 6, Siri Ram Road, Delhi.
(Transferor)

(2) Smt. Hardit Kaur W/o Sh. Narain Singh and Sh. Dharam Bir Singh S/o Sh. Narain Singh R/o No. C-125, Greater Kailash, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property bearing No. 777 in ward No. 1, situated in the abadi of Nicholson Road, Kashmeri Gate, Delhi.

R. B. L. AGGARWAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II
Delhi/New Delhi

Date : 20-3-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 20th March 1980

Ref. No. IAC/Acq. II/SR-I/7-79/5510.—Whereas I, R. B. L. AGGARWAL
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
G-13 situated at Bali Nagar, Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on July 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in the pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Om Parkash Taneja S/o Sh. Bhola Ram Taneja of 4/37, W.E.A., Karol Babh, New Delhi.
(Transferor)

(2) Sh. Harbans Lal Dhupar S/o Sh. Gian Chand Dhupar of T-474, Ahatta Kidara, Near Water Tank, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. G-13, Bali Nagar, area of vill. Basssai Darapur, Delhi State, Delhi.

R. B. L. AGGARWAL
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II
Delhi/New Delhi

Date : 20-3-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT.

COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 20th March 1980

Ref. No. IAC/Acq-II/SR-I/7-79/5585.—Whereas I, R. B. L. AGGARWAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. A-3, 45 situated at Mall Road, Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registation Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Delhi on July 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I
have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Rentiers & Financiers Pvt. Ltd.,
10-Haily Road, New Delhi.
(Transferor)

(2) Smt. Pushpa Singhal w/o Sh. G. N. Singhal
R/o A-191, Defence Colony, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said Immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A-3, 45 Mall Road, Delhi.

R. B. L. AGGARWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II
Delhi/New Delhi

Date : 20-3-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 20th March 1980

Ref. No. IAC/Acq-II/SR-I/7-79/5561.—Whereas I. R. B. L. AGGARWAL
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Flat No. 6, Mpl. No. 67/4 situated at building known as Madras House, Darya Ganj, New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on July 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Bhagwan Dass Tandon,
18/273 New Moti Nagar, Karampura,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Krishan Gopal Kapoor,
Kapoor Building, Gali No. 4,
Rajgarh, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publications of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 6, of the building known as Madras House, Municipal No. 67/A, Darya Ganj, New Delhi.

R. B. L. AGGARWAL
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax,
Acquisition Range-II
Delhi/New Delhi

Date : 20-3-1980
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 15th January 1980

Ref. No. 133-A/Hapur/79-80.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Hapur on 21-11-79
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax, Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Satya Prakash s/o Late Shri Pyare Lal self and Mukhtyar Aam Minjanib Shri Ratan Prakash, Shri Anand Prakash and Shri Ved Prakash son of Late Shri Pyare Lal r/o Radha Bhawan Chandi Road, Hapur, Distt. Ghaziabad.
(Transferor)

(2) Shri Rajendra Kumar s/o Shri Jagdish Prasad r/o Mauja : Burj Kasba Hapur, Distt. Ghaziabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A Pukki Shop No. 213 and Jena No. 214 measuring 19 sq. yds situated at Khirki Bazar, Hapur Distt. Ghaziabad.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 15-1-1980
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 15th January 1980

Ref. No. 330-A/PN/Hapur/79-80.—Whereas I. B. C. CHATURVEDI
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Hapur on 21-11-79
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Satya Prakash s/o Late Shri Pyare Lal
r/o Radha Bhawan Chandi Road,
Hapur Distt. Ghaziabad Self & Mukhtyar Aam Minjanib Shri Ratan Prakash, Anand Prakash and Ved Prakash sons of Late Shri Pyare Lal
r/o Radha Bhawan Chandi Road, Hapur,
Ghaziabad.
(Transferor)

(2) Shri Anil Kumar s/o Shri Jagdish Prasad
r/o Mauja : Burj, Kasba : Hapur,
Distt. Ghaziabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A Pukki Shop measuring 16 Sq. yds. No. 212 situated at Mouja : Khirki Bazar, Kasba : Hapur, Distt. : Ghaziabad.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 15-1-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 28th January 1980

Ref. No. 1246-A/Kanpur/79-80.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration
Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kanpur on 15-10-79
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquistion of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Mr. James Rabert Neal s/o Mr. Late M. G. Neal r/o 7/109-A, Swaroopnagar, Kanpur.
(Transferor)

(2) Smt. Shashi Uberoi w/o Shri Jag Mohan Oberroi r/o 7/202-A, Swaroopnagar, Kanpur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

A Portion of House No. 7/109-A measuring 425 sq. yds. situated at Swaroopnagar, Kanpur.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 28-1-1980

Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 4th January 1980

Ref. No. 1001-A/P.N./Baghpat/79-80.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Baghpat on 27-9-79
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Charan Singh s/o Shri Hariram
r/o Khindaura, Parg. Teh. Baghpat,
Meerut.
(Transferor)

(2) Shri Krishna Pal Singh s/o Shri Onkar Singh,
Smt. Sukhbiri w/o Krishna Pal Singh
r/o Khindaura, Parg : & Teh. Baghpat,
Distt. Meerut.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural Land No. 552/5ʃ2+10, 6207Iʃ3+9 situated at Vill : Khindaura, Parg. & Teh. Baghpat Distt. Meerut.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 4-1-80
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 4th January 1980

Ref. No. 1002-A/Baghpat/79-80.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reasons to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the schedule annexed thereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Baghpat on 27-9-79
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Charan Singh s/o Shri Hariram
r/o Khindaura, Parg. & Teh. Baghpat, Meerut.
(Transferor)

(2) Shri Naveen Kumar, Niraj Kumar Ss/o Shri Krishna Pal, Vilayat Onkar Singh Babakhud
r/o Khindaura, Smt. Sarita w/o Harish
r/o Nagla Kavir Teh. Jansath, Distt. Muzaffarnagar.
(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural Land No. 532 measuring 1011/1+1 situated at Vill : Khindaura, Parg : & Teh. Baghpat, Distt. Meerut.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 4-1-80
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 15th January 1980

Ref. No. 1395-A/Meerut/79-80.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Meerut on 26-11-79
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'said Act,' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri K. K. Puri s/o Late Mulakhraj, Smt. Uampuri w/o Late Shri C. K. Puri, Smt. Prelata, w/o Late Shri H. K. Puri, Smt. Achla Sethi w/o Shri H. R. Sethi r/o 223 West and Road, Meerut Cantt.
(Transferor)

(2) Smt. Kusumlata w/o Tara Chandra Shastri, Shri Fateh Chandra s/o Shri Ghanshyam Dass, Shri Tara Chandra s/o Gobardhan Singh, Shri Rajendra Prasad s/o Nakli Ram, Madan Lal and Shri Pravin s/o Fateh Chandra r/o Westand Road, Meerut Cantt.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House Property No. 223, Westand Road, Meerut Cantt measuring 4003.13 Sq. mtr.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 15-1-1980
Seal :

FORM ITNS ---

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 14th February 1980

Ref. No. 892-A/Roorkie/79-80.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
Roorkie on 20-8-79
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such trasnfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Rajaram s/o Mangat Ram
r/o 28, Hari Bhawan, Mohalla : Sat, Kasba : Roorkie Parg. & Teh. Roorkie,
Distt. Saharanpur.
(Transferor)

(2) Dr. Rajendra Pal s/o Madan Mohan Gupta,
r/o Kasba : Purkaji Post : Khas,
Distt. Muzaffarnagar.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot, Municipal No. 1 measuring 4500 Sq. ft. situated at Ambertalab Eastern Tolevil Land Roorkie, Distt. Saharanpur.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 14-2-1980

Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 14th February 1980

Ref. No. 532-A/Dehradun/79-80.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per Schedule situated at As per Schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), **has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at**
Dehradun on 12-7-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; **and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Amolak Rai Obrai, Arvind Kumar Obrai Attorney Amrish and Amrish Kumar Obrai r/o 10, Municipal Road, Dehradun.
(Transferor)

(2) Shri Jaganand Joshi s/o Shri Rudri Dutt Joshi r/o 37/3, Mehra Road, Dehradun.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural Land Khasra No. 363, 364, 369, 371, 372 measuring 2 Bigha, 19 Biswas and 7/1/2 Biswansi situated at Dharmpur, Teh : & Distt: Dehradun.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax.
Acquisition Range,
Kanpur.

Date : 14-2-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 19th December 1980

Ref. No. 937-A/Bulandshahar/79-80.—Whereas, I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per Schedule situated at As per Schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Bulandshahar on 3-9-79
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Weath-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Shanti Devi Bhatnagar, r/o Enta Rori, Bulandshahar.

(Transferor)

(2) Shri Ashok Kumar, Pradeep Kumar, Daleep Kumar s/o Shri Omeshwar Dayal Singhal, Advocate, Bulandshahar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A House Old Construction Situated at Mohalla Civil Lines Area Chandpur Road, Bulandshahar.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Kanpur.

Date : 19-12-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 2nd February 1980

Ref. No. 730-A/Meerut/79-80.—Whereas, I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per Schedule situated at As per Schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Meerut on 6-8-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ani Dube s/o Late Shri Dori lal ji Dube R/o 166, Civil Lines, Meerut.
(Transferor)

(2) Shri Dharmendra Kumar Gupta s/o Faqiur Chand and Smt. Nirmala Gupta w/o Dharmendra Kumar Gupta r/o 181, Begum Bagh, Meerut.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot (A) measuring 403 Sq. yds. situated at Boundary Road, Civil Lines, Meerut.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Kanpur.

Date : 2-2-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 14th January 1980

Ref. No. 694/Acq/Kanpur/79-80.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per Schedule situated at As per Schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Kanpur on 14-11-1979
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Saiyd Mahmood Umar Zaidi, Saiyd Mohd. Uvais Zaidi & Saiyd Zaved Umar Zaidi r/o 95/47, Bekanganj, Kanpur.
(Transferor)

(2) Smt. Akbtar Jahan w/o Mohd. Asgar r/o 92/67, Purwa Heeraman, Kanpur
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A immoveable Property No. 95/59 measuring 364.44 sq. yds. situated at Becanganj, Kanpur.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Kanpur.

Date : 14-1-1980
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 29th February 1980

Ref. No. 801/Acq/Mathura/79-80.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per Schedule situated at As per Schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Mathura on 31-7-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Weath-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri B. N. Gupta s/o Shri Charan Dass
r/o The Mall, Simla.
(Transferor)

(2) Shri Chitranjan Kumar Sharma
s/o Chandrashekhar Sharma
r/o Govind Nagar, Mathura.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A House bearing 50 and Plot bearing 47 of situated at Govind Nagar, Mathura.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range,
Kanpur.

Date : 29-2-1980

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 21st February 1980

Ref. No. 913/Acq/Shikohabad/79-80.—Whereas, I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to
believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing
No As per Schedule situated at As per Schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto, has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Shikohabad on 18-10-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Ramesh Chandra Jain, Ashok Chandra Khud and Shri Ashok Chand Mukhtar Aam Shri Subhash Chandra Jain ss/o Shri Lala Murari Lal Jain r/o Mandi Shriganj, Kasba : Shikohabad.

(Transferor)

(2) Smt. Bhagwati Devi Paliwal Wife of Shri Ram Gopal Paliwal r/o Mohalla : Gadhaiya, Kasba : Shikohabad, Distt : Mainpuri.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A House Property No. 276 situated at Mohalla : Gadhaiya, Kasba : Shikohabad, Dist : Mainpuri.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Kanpur.

Date : 21-2-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 29th February 1980

Ref. No. 296/Acq/Bharthana/79-80.—Whereas, I, B. C. CHATURVEDI
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000- and bearing
No. as per Scheduled situated at as per Schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bharthana on 16-7-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Hrithaya Nath s/o Shri Chiraujilal Paliwal r/o Vill : Punj Hall Vill : Pidaroda Khas, Teh : Konch, Distt : Jalaun.

(Transferor)

(2) Shri Nathu Ram s/o Ram Prasad Chhabinath s/o Ram Bharose Lal Shakya r/o Gathia Parhar, Mauja : Punja, Parg : Bharthana, Distt : Etawah.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovabe property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural Land bearing No. 251 measuring 4.99 Acre situated at Mauja : Punja, Parg : Bharthana.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Kanpur.

Date : 29-2-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 7th March 1980

Ref. No. 426/Acq/Agra/79-80.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per Schedule situated at As per Schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Agra on 25-7-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Maharaj Singh s/o Kanchan r/o Ladamda, Teh : & Distt : Agra.
(Transferor)

(2) Pooran Singh s/o Shri Gopi Chandra r/o Bichpuri, Agra and Shankerlal s/o Makuhumal r/o Gali Mahadev Moti Katra, Agra.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing No. 262 measuring 8 Bigha 6 biswa situated at Mauja : Ladamda, Teh : and Distt : Agra.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Kanpur.

Date : 7-3-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 6th March 1980

Ref. No. 216/Acq/Firozabad/79-80.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per Schedule situated at As per Schedule
(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Firozabad on 20-7-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269 C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Layak Singh s/o Bhanwar Singh r/o Alinagar Kenjra, Parg : Firozabad, Distt : Agra.
(Transferor)

(2) Kanchan Singh, Fauran Singh and Jagdish Singh sons of Gajraj Singh 1/3 part, Jail Dayal Singh, Chhoteylal, Richhpal Singh s/o Sonpal Singh 1/3 part, and Radhey Shyam s/o Jimipal 1/3 part r/o Alinagar Kenjra, Parg : Firozabad, Distt : Agra.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons with in a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural Land situated at Mauja : Alinagar Kenjra, Parg : Firozabad, Distt. Agra.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Kanpur.

Date : 7-3-1980
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 6th March 1980

Rel. No. 457/Acq/Firozabad/79-80.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under
section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to the the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per Schedule situated at As per Schedule
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Firozabad on 17-7-79
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to belive that the fair value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assests which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Munna Lal s/o Shri Hiralal Jatava r/o Tapawla Majara Mauja : Sukhmalpur Nijamabad, Teh : Firozabad, Distt : Agra.

(Transferor)

(2) Dalchand s/o Shri Tej Singh r/o Tapawla Teh : Firozabad, Smt. Chhaya Maharshi w/o Shri Mahesh Chandraji Sharma r/o Bai Pass Road, Firozabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural Land Khasara No. 395 measuring 21112-5 situated at Village : Sukhmalpur Nizamabad Teh : Firozabad.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Kanpur.

Date : 6-3-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 6th March 1980

Ref. No. 357/Acq./Mathura/79-80.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at As per Schedule (and more fully described in the Schedule Annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Mathura on 20-7-1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Biharilal Jhunjhunwala s/o Vishesar Dass r/o Dausamat Brindaban, Mathura. Mantri Shri Bhagwan Bhajonashran Pathrapur Brindavan Distt. Mathura. (Transferor)

(2) Smt Kumari Shyama, Kr. Bishal and Kumari Krishna d/o Shri Ram Kripal Shastri r/o Mangarh, Pratapgarh. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Two Plots Nos 5 and 6 situated at Raman Reti (Fogal Ashram) Brindaban, Mathura.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Kanpur.

Date : 6-3-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 1st March 1980

Ref. No. 249/Acq/Mathura/79-80.—Whereas, I,
B. C. CHATURVEDI
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
as per Schedule, situated at as per Schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the Office of the Registering Officer at
Mathura on 5-7-79
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Ram Nath and Subhash Chand
Ss/o Shri Lal Chandra,
Smt. Sushila Devi
w/o Shri Bal Kishan
r/o Satdham, Mathura.
(Transferor)

(2) Smt. Chandra Prabha
w/o Shri Kanchan Lal
r/o Fathura Darwaja, Brindaban.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A House Property bearing No. 1206 & 1307 situated at Sethwada, Mathura.

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 1-3-1980
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 1st March 1980

Ref. No. 200/Acq/Kol/79-80. -Whereas, I,
B. C. CHATURVEDI
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
number as per Schedule situated at as per Schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Aligarh on 18-7-1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Deshbir Singh
s/o Deshraj Singh
r/o Indragaj Nagar,
Luskar Gwaliar (Madhya Pradesh)
Mukhtar Aam Min Janib
Shri Deshraj Singh
s/o Shri Dulip Singh
r/o Vill. Aurangabad, Parg. Morthal,
Teh. Kol, Distt. Aligarh.

(Transferor)

(2) S/Shri Natthimal & Shyamlal
ss/o Shri Hotilal
r/o Vill. Harduwa Ganj
Parg. Teh. Kol. Distt. Aligarh.
Shri Bharatpal Singh
s/o Shri Raghubir Singh
r/o Vill. Aurangabad,
Parg. & Teh. Kol, Distt. Aligarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural Land No. 167 & 176 measuring 17 Bigha, 6 Biswa and 7 Biswansi situated at Vill. Aurangabad, Parg. & Teh. Kol, Distt. Aligarh.

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 1-3-1980

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1 OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 15th March 1980

Ref. No. 957-A/Musoorie/79-80.—Whereas, I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceedings Rs. 25,000/- and bearing
number as per Schedule situated at as per Schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Mussoorie on 19-7-1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Bilquis Fyaz Ahmed
w/o Late Fyazudeen Ahmed
r/o 93, Muir Road Allahabad and
S/Shri Salman Ahmed and Moinuddeen Ahmed
both ss/o Late Shri Faiyaz and
Mrs. Mahnaz Amir Curmalla
alias Mrs. Ruksana Ahmed,
r/o 93, Muir Road Allahabad
through their Attorney said
Mrs. Bilquis Fyaz Ahmed.
(Transferor)

(2) Shri Balraj Sahani
s/o Late Shri Lajpat Rai Sahani
r/o New Market Mussoorie and
Shri Anil Kapur
s/o Shri Dev Raj Kapur
r/o Hampton Court School Mussoorie.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable Property called "Brentwood Estate" situated in Municipal Area containing by measurement about 1 acre more or less Kulri Mussoorie.

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 15-3-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 6th March 1980

Ref. No. 680-A/Kanpur/79-80.—Whereas, I, B. C. CHATURVEDI being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing number as per Schedule situated at as per Schedule (and more fully described in the Echeduled annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kanpur on 24-7-1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any incsme arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Sujan Singh, s/o Shri Nanak Singh, r/o 119/501, B(3), Darshan Purwa, Kanpur. (Transferor)

(2) Shri Ram Charan Singh and Ram Pyari Devi, r/o 119/501, B(3), Darshan Purwa, Kanpur. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A House Property No. 119/501-B(3) measuring 535 sq. yds. situated at Darshan Purwa, Kanpur.

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 6-3-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 4th March 1980

Ref. No. 687-A/Kanpur/79-80.—Whereas, I, B. C. CHATURVEDI being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing number as per Schedule situated at as per Schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Kanpur on 19-7-1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Rajendra Bahadur Singh, Sripal Singh, Rana Singh, Krishna Pal Singh, Chandra Bhooshan Singh, Anil Kumar Singh, Arun Kumar Singh Surya Bhushan Singh, Shashi Bhushan Singh
r/o Mauja : Kashipur, Teh. Akbarpur, Distt. Kanpur.
(Transferor)

(2) Smt. Shanti Pajpai
w/o Shri Sri Narain Bajpai
r/o 27/1A, Birhana Road, Kanpur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A House Property No. 118/264, situated at Kaushalpuri, Kanpur.

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 4-3-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 4th March 1980

Ref. No. 954-A/Muzaffarnagar/79-80.—Whereas, I, B. C. CHATURVEDI
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
number as per Schedule situated at as per Schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Muzaffarnagar on 25-7-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Income-tax Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Saroj Garg
w/o Shri Satya Prakash Garg
r/o Prempuri, Muzaffarnagar.
(Transferor)

(2) S/Shri Ved Prakash Jain and Sajjan Kumar Jain
ss/o Shri Ram Chandra Jain,
r/o 7-B, New Mandi, Muzaffarnagar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House Property bearing No. Nil situated at Patel Nagar, Muzaffarnagar.

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 4-3-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 6th March 1980

Ref. No. 530-A/Dehradun/79-80.—Whereas, I, B. C. CHATURVEDI being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing number as per Schedule situated at as per Schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dehradun on 13-7-1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifeen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Purshottam Kumar Jain and Satish Kumar Jain
r/o Vikas Nagar, Dehradun.
(Transferor)

(2) S/Shri Sandeep Cine Exhibitors Pvt., Ltd.
Dehradun.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable Property (Cinema) named Shashi Theaters bearing No. 3/60-B (KHA) Part New Jain Market, Vikashnagar, Dehradun.

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 6-3-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 12th March 1980

Ref. No. 956-A/M. Nagar/79-80.—Whereas, I, B. C. CHATURVEDI being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing number as per Schedule situated at as per Schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Muzaffarnagar on 30-7-1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfor with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Deep Chandra
s/o Lala Sangam Lal
r/o Mohalla Patel Nagar, Kakra Bhawan,
Muzaffarnagar.
(Transferor)

(2) Shri Vinod Kumar, s/o
Lala Triloki Nath and
Smt. Kusum Lata, w/o
Shri Vinod Kumar, present r/o
500/2, South Civil Lines,
Muzaffarnagar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A House Property bearing No. 500/2 measuring 250 sq. yds. situated at Civil Lines, Muzaffarnagar.

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 12-3-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 14th March 1980

Ref. No. 774-A/Ghaziabad/79-80.—Whereas, I, B. C. CHATURVEDI being the Competent Authority under Section 269B of the **Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to** as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable **property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-** and bearing number as per Schedule situated at as per Schedule **(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of** 1908), in the office of the Registering Officer at Ghaziabad on 3-8-1979 **for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than** fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Som Dutta Takiar
s/o Shri Malawaram Takiar
C/o M/s. Tube Band Wire Noting Company,
Delhi Gate, Ghaziabad
r/o Gandhi Nagar, Ghaziabad.
(Transferor)

(2) M/s. Nish Stationery Manufacturing Co. Pvt. Ltd.
104, Nav Yug Market, Ghaziabad
through Sh. Deepak Kumar Gupta, Director
s/o Lala Damodar Dass
r/o Mohalla, Chhatta, Delhi Gate, Ghaziabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons, interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A Factory Building bearing No. D/3 Meerut Road, Industrial Area, Ghaziabad.

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 14-3-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 14th March 1980

Ref. No. 598/A/Meerut/79-80.—Whereas, I,
B. C. CHATURVEDI
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
number as per Schedule situated at as per Schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Meerut on 20-7-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mohd. Anik
s/o Mohd. Farookh
r/o Azad Colony, Islamadbad,
Shahar Meerut.

(Transferor)

(2) Mohd. Unus and Abdul Gaffar
Abdul Sattar and Abdul Zabbar
all ss/o Mohd. Yaseen
r/o Mauja Lawar Jan Ali,
Teh. Sardhana, Distt. Meerut.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A double Storeyed House bearing No. 31, measuring 250 situated at Mohalla : Islamabad, Meerut.

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 14-2-1980
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 1st March 1980

Ref. No. 365/Acq/Jhansi/79-80.—Whereas, I, B. C. CHATURVEDI being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing number as per Schedule situated at as per Schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908)in the office of the Registering Officer at Jhansi on 19-7-1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269-D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Rajesh Prakash, Om Prakash Virendra Prakash and Anil Prakash all ss/o Shri Harishchandra Agarwal r/o Jhokanbagh, Jhansi.

(Transferor)

(2) Smt. Jagjit Kaur w/o Shri Manmohan Singh r/o Bunglow No. 41, Sadar Bazar (Orcha Road), Jhansi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A House Property No. 41 situated at Sadar Bazar (Orchha Road), Jhansi.

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 1-3-1980
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 6th March 1980

Ref. No. 299/Acq/Fatihabad/79-80.—Whereas, I, B. C. CHATURVEDI being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing number as per Schedule situated at as per Schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registering Officer at of 1908) in the office of the Registering Officer Fatihabad on 12-7-1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration) and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Habibullah
s/o Shri Chhitaria
r/o Vill. Sigecha, Teh. Fatihabad,
Distt. Agra.

(Transferor)

(2) S/Shri Randhir Singh, Narain Singh (Balig), Kamal Singh, Aibaran Singh and Mahtab Singh (Nabalig)
all ss/o Shri Jwala Prasad and Shri Bilayat Amrit
s/o Shri Dalchand
r/o Vill. Bharau, Distt. Mathura,
S/Shri Shiv Singh (Balig), Lakhan Singh and Ombir Singh (Nabalig)
ss/o Shri Mahendra Singh and Shri Vilayat Kishan Singh
s/o Shri Pooran Chand
r/o Vill. Vad, Distt. Agra.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural Land Khata No. 57 Khasara No. 244 measuring 14 Biswa 8 Biswansi, Khata No. 149 Khasara No. 227 measuring 11(ii)-2-19, Khasra No. 244 measuring (II) 3-8 situated at Village Sigecha, Teh. Fatihabad, Distt. Agra.

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 6-3-1980
Seal :

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1980